लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

[खंड 56 में अंक 61 से 63 तक हैं
Vol. LVI contains Nos. 61 to 63]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूचि/CONTENTS

अंक 61—मंगलवार, 17 मई, 1966/27 वैशाख, 1888 (शक)

No. 61—*Tuesday, May* 17, 1966/*Vaisakha* 27, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1721	पश्चिम बंगाल में चावल का समाहर	Procurement of Rice in West Bengal	8779-81
1722	बिहार में धान के दाम	Prices of Paddy in Bihar	8781-83
1724	खाये जाने वाले तेलों के दाम	Prices of Edible Oils	8783-86
1725	समान सिविल संहिता	Common Civil Code	8786-89
1726	अगले आम चुनावों के लिये मतदान कि तिथियां	Poll Dates for next General Elections	8789-91
1727	एयर इंडिया द्वारा "पी" फार्म के बगैर टिकटों का दिया जाना	Issue of Tickets by Air India without 'P' Form.	8791-94

अ० सू० प्र० संख्या S.N. Q. Nos.			
38	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब का विमान	Aircraft of Madhya Pradesh Flying Club	8794
39	इस्पात "री-रोलिंग" उद्योग	Steel Re-Rolling Industry	8794-96

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1723	उर्वरक का आयात	Imports of Fertilizers	8796
1728	राज्यों में कुछ विभागों का विलय	Merger of Certain Departments in States	8796
1729	चीनी की मिलें	Sugar Mills	8796-97
1730	खेती के औजार	Agricultural Implements	8797
1731	उच्च शक्ति वाले डीजल इंजन	High Powered Diesel Locomotives	8797-98
1732	गन्ना पेरने की अवधि (सीजन)	Cane Crushing Season	8798
1733	संयुक्त स्कंध समवायों द्वारा योग्यता प्राप्त सचिवों की नियुक्ति	Employment of qualified Secretaries by Joint Stock Companies	8798
1734	गाजीपुर और वाराणसी के हरिजनों के लिये उत्तर प्रदेश, विधान-सभा में स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats in U. P. Assembly for Harijans of Ghazipur and Varanasi	8798-99

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा गया ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—78 L. S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1735	लाइबेरिया के मालवाहक जहाज "लैटो" का छोड़ा जाना Release of Liberian Tanker 'Leto'	8799
1736	अनाज की हानि Loss of Foodgrains	8799-8800
1737	मछली पकड़ने वाली नौका का लापता हो जाना Fishing Vessel missing	8800
1738	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों का तबादला Transfer of I.A.C. Staff	8800
1739	हिसार में अकाल की स्थिति Famine Conditions in Hissar	8801
1740	वनस्पति घी की कमी Shortage of Vanaspati	8801
1741	बैरियम कैमिकल्स लिमिटेड के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय Supreme Court Judgement in Barium Chemicals Ltd., Case	8801-02
1742	उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान Payment of Cane Price to Growers	8802
1743	खाद्यान्नों की आयात Import of Foodgrains	8802-03
1744	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कैरावल विमान की दुर्घटना Accident to I.A.C. Caravelle	8803
1745	गोआ में निर्वाचन Elections in Goa	8803
1746	खाद्य तेलों की तस्करी Smuggling of Edible Oils.	8803-04
1747	रामेश्वरम् ऐक्सप्रस गाड़ी से आने वाले श्रीलंका जाने वाले यात्रियों को जहाज में चढ़ने की अनुमति Clearance of Ceylon bound Passengers arriving by Rameshwaram Express	8804
1748	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों तथा व्यौम-बालाओं का झगड़ा Dispute between Pilots and Air Hostesses of I.A.C.	8804
1749	राज्यों में आकाल की स्थिति Famine conditions in States	8804-05
1750	खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित गोष्ठी Seminar organised by F.A.O.	8805

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.		
5698	केरल राज्य में भूमि का पुनर्सर्वेक्षण Resurvey of Land in Kerala State	8805-06
5699	उड़ीसा में कृषि उद्योग निगम Agro Industries Corporation in Orissa	8806
5700	उड़ीसा में हल्दी अनुसन्धान संस्था Turmeric Research Institute in Orissa	8806
5701	सतकर्ता न्यायाधीश Vigilance Judges	8806
5702	केरल में मछली पकड़ने के बन्दरगाह Fishing Harbours in Kerala	8807
5704	परिवहन ठेकेदारों को ज्यादा भुगतान Excess Payment to Transport Contractors	8807-08

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5705	उड़ीसा में बीज खेत	Seed Farms in Orissa	8808
5706	क्षेत्रीय खाद्य निदेशक	Regional Director of Food	8808-09
5708	मैसूर में अकाल की स्थिति	Famine Conditions in Mysore	8809
5709	उड़ीसा में लघु सिंचाई योजनाएं	Minor Irrigation Schemes in Orissa.	8809
5710	उड़ीसा में भूमि बंधक बैंक	Land Mortgage Banks in Orissa	8810
5711	उड़ीसा में रेलवे भूमि का लिया जाना	Taking over of Railway Lands in Orissa	8810
5712	परीक्षणात्मक नल-कूप संगठन	Exploratory Tube Wells Organisation	8810
5713	बम्बई बड़ौदा विमान सेवा	Bombay Baroda Air Service	8811
5714	उर्वरकों के दाम	Prices of Fertilizers	8811
5715	पंजाब में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Punjab	8811-12
5716	दिल्ली के गांवों में राशन व्यवस्था	Rationing in Villages of Delhi	8812
5717	राशनिंग विभाग में कर्मचारी	Staff in Rationing Department	8812-13
5718	मोटरगाड़ियों के पंजीयन तथा मोटरगाड़ियां चलाने के स्थाई लाइसेंसों के प्रपत्र	Vehicles Registration and Permanent Driving Licences Forms	8813
5719	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की सहकारी ऋण तथा मितव्ययता समिति, लिमिटेड	Co-operative Credit and Thrift Society Ltd. of Ministry of Food and Agriculture	8814
5720	केरल में चावल का राशन	Rice Ration in Kerala	8814
5721	बम्बई भावनगर विमान सेवायें	Bombay-Bhavnagar Flights	8814-15
5722	मैसूर में खाद्यान्न का उत्पादन	Food Production in Mysore	8815
5723	केरल में मछली पकड़ने का उद्योग	Fishing Operation in Kerala	8815-16
5724	गुजरात के बन्दरगाहों के लिये ड्रेजर्स (तल से कीचड़ निकालने वाले यंत्र)	Dredgers for Gujarat Ports	8816
5725	दिल्ली-पटना विमान सेवाएं	Delhi-Patna Air Flights	8816
5726	राज्यों में सहकारी समितियां	Co-operative Societies in States	8816-17
5727	अकाल क्षेत्रों में सहायता कार्य	Relief Works in Famine Areas	8817-18
5728	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company	8818
5729	कोचीन बन्दरगाह	Cochin Port	8818-19
5730	आलू का निर्यात	Export of Potatoes	8819
5731	राज्यों में भारतीय खाद्य निगम की शाखाएं	Branches of Food Corporation of India in States	8819-20

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5732	वाराणसी में नया होटल	New Hotel at Varanasi . .	8820
5733	वाराणसी में होटल	Hotels at Varanasi . . .	8820
	अवलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— .	
	(एक) भारत, यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के बीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन	(i) Proposed tripartite summit meeting between India, Yugoslavia and UAR . . .	8821-24
	(दो) जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयत्न करने का समाचार	(ii) Reported attempt on the life of Chief Minister, Jammu and Kashmir . . .	8849-52
	ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re: Calling Attention Notices (Queries) . . .	8824
	संविधान संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में नियम संख्या 338 के निलम्बन के बारे में	Re: Suspension of Rule 338 in relation to Constitution Amendment Bill	8824
	विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege . .	8825
	वर्तमान पंजाब राज्य के पुर्नगठन के बारे में	Re: Re-organisation of the Present State of Punjab . .	8825
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re: Motions for Adjournment (Queries)	8825
	1953 और 1964 में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत के क्षेत्र के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Area of India as published by U. N. O. and the Survey of India in 1953 and 1964—	
	श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla . .	8826-28
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	8828-31
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
	कार्यवाहि का सारांश	Minutes.	8831
	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
	कार्यवाही का सारांश	Minutes	8831
	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति—	Committee on Government Assurances—	
	कार्यवाही का सारांश	Minutes	8832
	राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha .	8832
	विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills . .	8833
	न्यायाधीश (जांच) विधेयक—	Judges (Inquiry) Bill—	
	(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee	8833
	(दो) साक्ष	(ii) Evidence .	8833

विषय	SUBJECT	PAGES पृष्ट
विमानों की उड़ानों में पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 261 के उत्तर में शुद्धि—	Correction of Answer to S. Q. No. 261 re: Interference by Pakistan in Air Flights . . .	8833
काली सूची में दर्ज फर्मों को दिये जाने वाले कच्चे माल के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1669 के उत्तर में शुद्धि—	Correction of Answer to S. Q. No. 1669 re: Quotas of Raw Materials to Black Listed Firms—	
श्री त्रि० ना० सिंह	Shri T. N. Singh . . .	8853-34
श्री हवेलीराम के घर की तलाशी और उसके उत्तर के बारे में एक सदस्य का वक्तव्य (नियम 115 के अन्तर्गत) —	Statement by Member (Under Rule 115) re: Search of Shri Haveli Ram's House and Reply thereto—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	8834
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri	8835
विशेषाधिकार समिति के पांचवे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत हुआ—	Motion re: Fifth Report of Committee of Privileges—*Adopted*.—	
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh . . .	8835-36
श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh . .	8836
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	8836
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	8836
श्री रंगा	Shri Ranga	8836
श्री कृष्णमूर्ति राव	Shri Krishnamoorthy Rao .	8836
नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत हुआ—	Motion re: Third Report of the Rules Committee—*Adopted*—	
श्री कृष्णमूर्ति राव	Shri Krishnamoorthy Rao	8837
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	8837-38
श्री रंगा	Shri Ranga . . .	8838
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	8838
योजना मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा की यात्रा के बारे में चर्चा—	Discussion re: Planning Minister's Visit to U.S.A. and Canada—	
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	Shrimati Renu Chakravarty .	8838-40
श्री अ० चं० गुह	Shri A. C. Guha .	8840-41
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandekar . . .	8841-42
श्री के० दे० मालवीय	Shri K. D. Malaviya . .	8842-43
श्री म० ना० स्वामी	Shri M. N. Swamy . .	8843-44
श्री बड़े	Shri Bade . . .	8844
श्री व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi .	8844
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia.	8845
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai . . .	8845-46
श्री अशोक मेहता	Shri Asoka Mehta . .	8847-49
सभा के कार्य के बारे में	Re : Business of the House .	8853-54

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 17 मई, 1966/27 वैशाख, 1888 (शक)
Tuesday, May 17, 1966/Vaisakha 27, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lock Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल में चावल का समाहार

*1721. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में 90 प्रतिशत चावल का समाहार गरीब किसानों से किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि धनी किसानों ने अपना अनाज अपने पास ही रख लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इन धनी जमाखोरों से चावल का उचित वितरण कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख): छोटे काश्तकारों और अन्य से की गयी अधिप्राप्ति की मात्राओं के बारे में अलग सूचना उपलब्ध नहीं है। अत: यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या 90 प्रतिशत मात्रा गरीब किसानों से प्राप्त हुई है। तथापि यह ठीक है कि आरम्भिक अवस्थाओंमें, छोटे काश्तकार जिन्हें अन्य वायदे पूरे करने थे और जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित की गयी अधिप्राप्ति कीमत से फायदा भी होता था ने पर्याप्त मात्राएं पेश की।

(ग) चूक करने वालो जिनमें बड़े काश्तकार भी है, पर अधिप्राप्ति लेवी आदेश अधिक कठोरता से लागू किया जा रहा है। लेवी आदेश के उल्लंघन के लिये चालान किये जा रहे हैं और स्टाक प्राप्त करने के लिये अनिवार्य अधिग्रहण का तरीका अपनाया जा रहा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि गरीब किसानों से कम मूल्यों पर चावल लिया गया और बाद में जब उनका स्टाक समाप्त हो गया तो धनी किसानों के लिये अधिक मूल्य दिया गया और कि अब पश्चिम बंगाल में प्राधिकारियों और किसानों के बीच हुए समझौते के आधार पर धनी किसानों के मामले में शुल्क की राशि कम की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : जहां तक मैं समझता हूं इस मौसम के आरम्भ के पश्चात् मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पश्चिम बंगाल में जो अनुभव हुआ है और उड़ीसा जैसे राज्यों में जो कुछ हुआ है--फालतू अनाज वाले राज्य में अकाल पड़ गया है--उस की दृष्टि से क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार बड़े पैमाने पर खरीद करने के लिये सहकारी संस्थाओं को और अधिक धन देने, उचित स्टाक रखने के लिये ऋण देने और भारत के खाद्य निगम को समाहार का प्रभावकारी माध्यम बनाने का विचार रखती है?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : राज्य सरकार की बजाये खाद्य निगम द्वारा खरीद करने की एक सामान्य नीति है, परन्तु खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में कार्य किये जाने में कुछ समय लगेगा। जहां तक सहकारी संस्थाओं सम्बन्धी सुझाव का प्रश्न है समाहार के लिये उन का भी उपयोग किया जा रहा है। परन्तु अन्ततोगत्वा, अधिक समाहार और अधिक उपलब्धता अधिक उत्पादन के आधार पर ही होगी जिस के लिये हम सभी प्रकार के प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री ब० कु० दास : क्या पश्चिम बंगाल के वसूली के पुनरीक्षित लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे और इस दृष्टि से क्या सरकार पश्चिम बंगाल के लिये और अधिक मात्रा में चावल भेजने के लिय तैयार है?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : 30 अप्रैल तक लगभग 5,25,000 मेट्रिक टन का समाहार हो चुक है और अभी यह कार्य किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह सकता कि उन के लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, परन्तु स्थिति पर बराबर नजर रखी जायेगी ताकि हमें मालूम हो सके कि उन्हें क्या सहायता चाहिये और हमें क्या सहायता दे सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सही है कि चूंकि केन्द्र की यह धारणा बन रही है कि पश्चिम बंगाल में समाहार पर्याप्त हुआ है इसलिये उसे गेहूं आदि कम दिये जाने का प्रस्ताव है, इस कारण वहां जुलाई 1966 के मास में अनाज की कमी पैदा होने की सम्भावना है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जी नहीं। गेहूं की सप्लाई में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पश्चिमी बंगाल को तो पर्याप्त मात्रा में गेहूं सप्लाई किया जा रहा है।

श्री रंगा : क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि शुरू में अथवा बाद में चावल को दिये जाने वाले मूल्य में कोई अन्तर न किया जाये ताकि किसानों के किसी वर्ग विशेष के साथ पक्षपात की कोई शिकायत न हो और उस समझौते के परिणामस्वरूप समाहार के लिये जिसे कम से कम भूमि के लिये छूट दी जाये उस की सीमा बढ़ा दी गई है या नहीं?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : सिंचाई वाली 5 एकड़ भूमि और गैर-सिंचाई वाली 7 एकड़ भूमि के लिये छूट दी गई है। अब प्रश्न बड़े किसान का है। मैं माननीय सदस्य को अश्वासन दे सकता हूं कि मूल्य के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। परन्तु समाहार के मामले में कठिनाइयां पैदा हुई हैं। पश्चिम बंगाल इन का समाधान कर रही है।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं कई बार यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में ला चुकी हूं कि यदि जनवरी मास से पहले समाहार मूल्य की घोषणा नहीं की जाती तो गरीब किसान नुकसान में रहते हैं क्योंकि वे अपने माल को रख नहीं पाते। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। क्या इस नीति का पालन किया जायेगा कि फसल के मंडियों में आने से पहले समाहार मूल्यों की घोषणा कर दी जाय ताकि गरीब किसानों का शोषण न हो सके?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : समाहार मूल्य तो फसल करने से पहले निर्धारित कर दी गई है।

श्री बड़े : उक्त भाग (ख) से प्रतीत होता है कि धनी किसानों ने अपना अनाज रोक लिया है। सरकार ने इस बारे में क्या जायजा लिया है? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मूल्य कम किये जाने के कारण ही ऐसे हुआ है और फिर सरकार अधिक मूल्य निर्धारित कर देती है? समाहार मूल्य और बिक्री मूल्य में 11 रुपये का अन्तर है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य भी इस तथ्य को स्वीकार करेंगे। पश्चिमी बंगाल में सरकार ने एकाधिकार वसूली की है। वहां व्यापार नहीं हो रहा है। इसलिये सरकार बड़े उत्पादकों जोकि अनाज को जमा कर सकते हैं कि अपेक्षाकृत छोटे उत्पादकों को प्राथमिकता देती है क्योंकि उन्होंने अपने अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपने उत्पाद को तुरन्त बेचना होता है। जिस समय यह वसूली का कार्य चल रहा था वहां पर कुछ दंगे हो गये। इस आन्दोलन से बड़े उत्पादकों को लाभ हुआ है। आन्दोलन से सरकारी संगठन में कुछ अव्यवस्था हो गई जिससे बड़े उत्पादकों ने अपनी उत्पाद जमा कर ली।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। वसूली मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्य में अन्तर है।

श्री बड़े : 11 रुपये का अन्तर है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इसपर सदा निगाह रखी जाती है और केवल उचित अन्तर ही रखा जाता है। यदि माननीय सदस्य यह सोचते है कि उपभोक्ता मूल्य वसूली मूल्य से अधिक होना चाहिये तो मैं इस पर ध्यान देने के लिये तैयार हूं। परन्तु मूल्य निर्धारित करते समय इनको सदा ध्यान में रखा जाता है।

श्रीमती रेणुका राय : क्या यह सच है कि बड़े उत्पादकों ने विभिन्न परिस्थितियों से लाभ उठाकार अपनी फसल को जमा कर लिया है और कि छोटे किसानों ने मूल्य को स्वीकार कर लिया है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जैसा मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया है कि छोटे किसानों को फसल के आरम्भ में अपनी उत्पाद बेचने के बाध्य होते हैं और वसूली के समय उनको उचित मूल्य देकर उनकी सहायता करनी होती है।

बड़े उत्पादको में उत्पाद रोक रखने की शक्ति होती है। परन्तु अब वे भी वसूली का विरोध कर रहे है। परन्तु वसूली के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार सभी प्रयत्न कर रही है।

श्री रंगा : शिकायत यह है कि उनको एक रुपया कम दिया जा रहा है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यदि छोटे किसानों के लिये यह लाभदायक है तो निश्चय ही बड़े उत्पादकों के लिये भी यह लाभदायक होगा।

बिहार में धान के दाम

*1722. **श्री रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री की इस शिकायत की ओर दिलाया गया है कि बिहार में धान के दाम अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण समाहार योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा इस प्रकार का विचार व्यक्त किया जाना कहां तक उचित है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि धान का बाजार भाव लगभग 25 रुपये प्रति मन था जब कि बिहार सरकार ने दाम 16 रुपये प्रति मन निर्धारित किया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : सरकार को पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री की ऐसी किसी शिकायत का पता नहीं है कि बिहार में धान के दाम अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण उनके राज्य में अधिप्राप्ति योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने केवल दिसम्बर, 1965 में बिहार के मुख्य मंत्री को लिखा था कि उनकी सरकार को पश्चिमी बंगाल से बिहार सीमावर्ती क्षेत्रों में चोरी छिपे धान/चावल के लाने ले जाने की खबरे मिली हैं और उन्हें रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये। बिहार के मुख्य मंत्री ने अपने पत्र में यह विश्वास दिलाया था कि मामले की जांच की जाएगी और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

(ग) सरकार ने बिहार में केवल धान के सरकारी खरीद के भाव निर्धारित किये थे और न कि अधिकतम भाव। खरीदके भाव जो कि पहले 40 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किये गये थे, बढाकर फरवरी, 1966 मे रु० 42·87 प्रति क्विंटल या रु० 16·00 प्रति मन कर दिये। उस समय बाज़ार भाव रु० 53·59 से रुपये 62·95 प्रति क्विंटल या रु० 20·01 से रु0 23·50 प्रति मन के बीच चल रहे थे।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह बाजार के मूल्य से बहुत कम हैं और यदि हां, तो मूल्य निर्धारित करने के पश्चात सरकार मूल्य स्थिर रखने के लिये कार्यवाही करेगी जिससे कि उपभोग की दूसरी वस्तुएं क्रय करते समय किसानों को अधिक मूल्य न देने पड़े।

श्री गोविन्द मेनन : जैसा प्रश्न के उत्तर के भाग (ख) से देखा जा सकता है बिहार में बाजार भाव सरकार द्वारा नियत किये गये भावों से मामूली अधिक है।

Shri Madhu Limaye : What do you mean by slightly ?

श्री गोविन्द मेनन : आंकड़े पहले ही दिये जा चुके हैं। अनुभव से पता लगा है कि जब कभी सरकार ने मूल्य बढ़ाये हैं बाजार में भी मूल्य बढ़ जाते हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि केवल छोटे किसानों ने ही धान वसूली की योजना के अनुकूल कार्य किया है और विभिन्न राज्यो में बड़े बड़े किसानो ने इसका विरोध किया है ?

श्री गोविन्द मेनन : जैसा कि पिछले प्रश्न के उत्तरमें बताया गया है छोटे किसान अपनी अन्य आवश्यकताओ को पूरा करने के लिये फसल काटने के तुरन्त पश्चात अपना धान बेच देते हैं। बड़े बड़े किसान अपने धान को तुरन्त नहीं बेचते क्योंकि उनमें इसको रोक रखने की शक्ति होती है और उनमें इस योजना का विरोध करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार ने इन शिकायतों पर ध्यान दिया है कि वसूली के लिये लागत से भी बहुत मूल्य दिया जा रहा है। और कि यह अलाभप्रद है और यह मूल्य भी किसानों को उनसे उत्पाद, लेते समय ही नहीं दिया जाता बल्कि उसको एक पर्ची दे दी जाती जिसको लेकर उसे अपने धान का मूल्य लेने के लिये कम से कम छः बार एस० जी० ओ० के कार्यालय में जाना पड़ता है और वहां पर उसको कुछ रुपये भी देने पड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वसूली की इस प्रक्रिया से बिहार राज्य में वसूली में रुकावट नहीं पड़ी है। क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ? समूचे बिहार राज्य में इस प्रकार की वसूली के विरूद्ध हमने शिकायत की है।

श्री गोविन्द मेनन : मुझे विश्वास नहीं कि देश के किसी भी राज्य में किसानों को पर्ची दी जाती है। यदि कोई ऐसी बात है तो उस पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : मैं केरल राज्य से यहां नहीं बल्कि बिहार राज्य से यहां पर आया हूं। मैं जानना हूं कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। मैं बेच रहा हूं इसलिये मैं जानता हूं। माननीय मंत्री को इस बारे में उपेक्षा नहीं दिखानी चाहिये।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यही कारण है कि बिहार में वसूली की कोई प्रणाली सफल नहीं हुई है। उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था परन्तु वह उसका 1/5 वां अथवा 1/6 वां भाग ही पूरा कर सके है। वास्तव में वे बिल्कुल भी वसूली के पक्ष में नही हैं। यही वास्तविक कठिनाई है।

श्री रंगा : हम वसूली नहीं चाहते। वे बाजार से वसूली कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इन सब कठिनाइयों और जटिलताओं को दूर करने के लिये क्या सरकार एक सम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करेगी जहां तक चावल अथवा धान के क्रय करने का सम्बन्ध है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सारे देश में एक सम मूल्य नियत नहीं किया जा सकता क्योंकि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न परिस्थितियां हैं और इन सबको ध्यान में रखना होता है।

श्री क० ना० तिवारी : क्या सरकार को पता है कि बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में चावल का अधिक मूल्य होने के कारण वहां पर चोरी छिपे चावल ले जाया जा रहा है और यही कारण है कि धान के मूल्य बढ गये है यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य सुझाव दे रहे है कि बंगाल से चोरी छिपे चावल बिहार में ले जाने के स्थान बिहार से चावल चोरी छिपे बंगाल में ले जाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पुरुलियो में क्या हो रहा है? मूल्य बहुत अधिक बढ़ रहे है।

खाये जाने वाले तेलों के दाम

+

*1724. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री रा० स० तिवारी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष में खाये जाने वाले तेलों के दाम बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने बढे हैं; और

(ग) दाम कम कराने के लिये क्या उपाय करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) अर्थ सलाहकार के "खाद्य तेलों के थोक मूल्य" के सूचकांक के अनुसार (1952-53 को 100 आधार मानते हुये) अप्रैल 1965 में खाद्य तेलों का सूचकांक 195 था और वह अप्रैल 1966 में बढ़कर 273 हो गया। इस प्रकार मूल्यों में 40 प्रतिशत वृद्धि हो गई।

(ग) मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये निम्न कदम उठाये गये :— बैंकों द्वारा एडवान्स देने पर सख्ती करना, सट्टे पर प्रतिबन्ध लगाना, निर्यात को कम करना तथा आयात की व्यवस्था करना।

Shri Yashpal Singh : Is Government aware that a tin of vegetable oil is being sold at Rs. 93 which was earlier sold at Rs. 49. In Delhi it is not available even at Rs. 100. Is it due to monopoly? May I know the reasons of its not being distributed in ration like Atta, wheat and rice? Is it not a fact that four capitalists have monopoly over it in all over India and day and night they are enhancing the prices? I want to know the steps being taken by Government in this regard.

Shri Shamdhar Mishra : We have already indicated the price index in regard to the vegetable oil. I am not denying the fact that prices have increased. It is also a fact that there has been a sharp rise in prices of vegetable oil since April. The Government is looking into this. These four agents belong to the private companies. The Government have no control over them.

Shri Yashpal Singh : Why vegetable oil is not rationed such as rice, wheat and atta?

Shri S. D. Mishra : Government considers that if during the mid season ration is introduced then there would be more mismanagement and more complaints would come. So it is not think proper to impose the ration.

Shrimati Jayaben Shah: May I know whether it is a fact that edible oil is being used for preparing soap because coconut oil has become dear. If that is so, whether it is also not a fact that consumption of edible oil in this manner gives impetus to increase in prices?

Shri S. D. Mishra : This is a fact that non-edible oils are used in preparing soap and some part of edible oil, is also used therein. This is also a fact that there is a shortage of edible oils. Government, have a scheme for its collection but it is not being implemented fully.

Shri Kashiram Gupta : I would like to know the parts of the country where the prices have risen much more than others and whether it is a fact that in Madhya Pradesh prices are almost double as compared to Gujerat?

Shri S. D. Mishra : Prices of vegetable oil have risen almost everywhere such as Kanpur, Madras.

Mr. Speaker : Where they have risen the highest as compared to other places. This is what he has enquired.

Shri Bhagwat Jha Azad : He is giving figures only upto April, vegetable oil is available here at Rs. 5.80 Paise per kilo. I have purchased only yesterday.

श्रीमती सावित्री निगम : डालडा 25 पैसे बढ़ गया है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऐसा लगता है कलकत्ता में सबसे अधिक मूल्य हैं। नवम्बर में 316 रुपये और अप्रैल में 425 रुपये था। बम्बई में भी यही मूल्य है।

श्री ज्योकिम अल्वा : क्या सरकार को पता है कि लीवर ब्रदर्स जोकि वनस्पति बनाते हैं, मूल्य में गड़बड़ कर रहे हैं और इसको चोर बाजारी में बेच रहे हैं? इस स्थिति को सुलझाने के लिये क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में छः कारखाने लगाने का है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सरकारी क्षेत्र में वनस्पति बनाने वाले कारखाने की कोई योजना नहीं है।

श्री नम्बियार : तेल के बीजों को बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाना भी क्या मूल्यों में वृद्धि का एक कारण है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नहीं अब इस की मनाही कर दी गई है। अब निर्यात नहीं किया जा रहा है।

श्री सिंहासन सिंह : सरकार द्वारा बताया गया है कि वे इसके वितरण पर नियंत्रण नहीं करेगी और नहीं इसका राशन करेगी। सरकार मूल्यों पर नियंत्रण करने की सोच रही है जिससे कि इन में वृद्धि न हो। मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। क्या सरकार का विचार मूल्यों पर नियंत्रण करने और नियत करने का विचार है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : वास्तव में दो वर्ष पूर्व वनस्पति के मूल्य पर नियंत्रण किया गया था। परन्तु दूसरी वस्तुओं के साथ इनसे भी नियंत्रण हटा दिया गया ताकि इसके प्रभाव का पता लग सके। दुर्भाग्यवश इस वर्ष मुख्यता मूल्यों में वृद्धि इस कारण हुई है क्योंकि तेलके बीजों का उत्पादन सामान्य उत्पादन से 25 प्रतिशत कम हुआ है। मुख्यता यही कारण है कि इस-लिये कमी को पूरा करने के लिये हम विभिन्न साधनों से खाने जानेवाले तेलों का आयात करने का यत्न कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : मेरे विचार में अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में कोई कानून है। पंजाब बिहार और उत्तर प्रदेश के घी खाने वाले लोगों ने भी अब तेल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इस चीज को देखते हुए क्या मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वह खाये जाने वाले तेलों तथा वनस्पती के लिये उस कानून का प्रयोग क्यों नहीं करते ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जैसा मैं ने अभी बताया कि अत्यावश्यक वस्तुओं सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत हमने नियंत्रण किया था और केवल दो वर्ष पूर्व ही इस नियंत्रण को हटाया गया है। बढ़े हुए मूल्यों को देखते हुए हमें इस बात पर विचार करना है कि हम नियंत्रण करें परन्तु ऐसा मिड़-सीजन में नहीं किया जा सकता और विशेषकर जबकि तेल के बीजों जैसे कच्चे माल की कमी हो।

श्री कन्डप्पन : खाये जाने वाले तेलों की देश में बहुत कमी है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात सरकार द्वारा खाये जाने वाले तेलों विशेषकर मूंगफली के तेल के निर्यात पर रोक लगाना कहां तक उचित है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इस पर रोक इसलिये लगाई गई थी क्योंकि मूल्यों में अव्यवस्था फैल गई थी परन्तु अब गुजरात सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि भारत सरकार की ओर से खाद्य निगम खरीद कर सकता है और दूसरे राज्यों को उचित मूल्यों पर दे सकता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : केवल मूंगफली का ही प्रश्न नहीं है। न केवल इस वर्ष अपितु पिछले दो वर्षों से सरसों के तेल के बारे में भी हमारा यही अनुभव है। दो वर्ष पूर्व जबकि सरसों की अच्छी फसल हुई थी तब भी उपभोक्ता मूल्य में कमी नहीं हुई थी। क्या सरकार इस चीज पर विचार कर रही है कि जब उत्पादन अच्छा होता है तब भी किसानों तथा उपभो-क्ताओं को नुकसान उठाना पड़ता है और मूल्य कम नहीं होते है और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : 1964–65 जब उत्पादन अधिक हुआ था तब भी मूल्यों में कमी नहीं हुई थी परन्तु उस समय वृद्धि भी नहीं हुई थी जैसा कि इस वर्ष हुआ है। इस बातसे मैं सहमत हूं। परन्तु जहां तक खाद्यान्नों के मूल्यों से हमारा सम्बन्ध है खाये जाने वाले तेल भी एक अत्यावश्यक वस्तु है। इसके मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिये हमें कोई प्रक्रियां बनानी ही होगी।

Shri Rameshwaranand : The prices of the edible oils have gone up because the people have stopped taking ghee. I would like to know whether the Government would take steps to encourage the animal husbandry so that people could get ghee.

Mr. Speaker : This is a suggestion. I agree with the hon. member.

श्री जी० भ० कृपलानी : यह पता होते हुए भी तेल के बीजों के उत्पादन में 25 प्रतिशत की कमी हुई है क्या अब भी इन का निर्यात किया जा रहा है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं ने पहले ही बताया है कि अब इनका निर्यात नहीं किया जा रहा है।

श्री जी० भ० कृपलानी : मेरे कहने का अर्थ था कि क्या उनका निर्यात किया गया था।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : पिछले वर्ष इनका निर्यात किया गया था।

श्री जी० भ० कृपलानी : क्या इस वर्ष नहीं।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इस वर्ष नहीं किया गया है।

श्री जी० भ० कृपलानी : इस वर्ष का क्या अर्थ है? पिछले वर्ष का क्या अर्थ है। पिछले वर्ष इसकी कमी थी न कि इस वर्ष।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : 1964–65 में अच्छा उत्पादन हुआ था इसलिये 1964–65 में हुये उत्पादन का निर्यात किया गया था। परन्तु 1965-66 में सभी वस्तुओं की कमी है विशेषकर कृषि उत्पादन की। इसलिये हम निर्यात न करने पर सहमत हो गये है।

समान सिविल संहिता

***1725. श्री श्रीनारायण दास :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के संविधान के सिद्धांतों के अनुसार एक व्यापक समान सिविल संहिता बनाने के लिये पृष्ठ भूमि तैयार करने हेतु मुसलमानों तथा अन्य लोगों में लोक भावना जागृत करने के लिये राज्य सरकारों के परामर्श से निश्चित कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या अब तक की गई कार्यवाही के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीनारायण दास : इस तथ्य को देखते हुए कि अनुच्छेद में सरकार द्वारा सिविल संहिता में समानता लाने सम्बन्धी उपबन्ध है मैं जानना चाहता हूँकि सरकार ने इन मामलों में कोई रुचि क्यों नहीं ली है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : अनुच्छेद 44 निदेशात्मक सिद्धान्तों के अनुच्छेदों में से एक है जिसको न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। हमें यह भी याद रखना है कि इस का सम्बन्ध व्यक्तिगत विधियों से भी है विशेषकर मुसलमानों से। जहां तक विधियों का सम्बन्ध है वहां पर कुछ समानता है। जहां तक शादी, दत्तकग्रहण, तल्लाक और उत्तराधिकार का सम्बन्ध है हम इस समुदाय की परम्पराओं का सम्मान करते है क्योंकि यह अल्प-संख्यक समुदाय है। संविधान में दो अन्य अनुच्छेद है––25 और 29 जोकि मूल अधिकारों के बारे में हैं और हमें अल्प-संख्यक समुदाय के हितों की भी देखभाल करनी है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार ने इस प्रश्न का अध्ययन किया है कि अनुच्छेद 44 को क्रियान्वित करने से मूल अधिकारों की अवहेलना होगी और यदि हां तो इस बारे में कानूनी राय क्या है?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : अनुच्छेद 25 और 29 मूल अधिकारों के बारे में हैं और अनुच्छद 44 निदेशात्मक सिद्धान्तों के बारे में है जिसका अनुसरण करने का हम यत्न कर रहे हैं। हमारा यही ध्येय है। निश्चय ही इससे अनुच्छेदों का निराकरण नहीं हो सकता। एक को न्यायालय में

श्री श्रीनारायण दास : माननीय मंत्री मेरे प्रश्न विशेष का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि अनुच्छेद 44 निदेशात्मक सिद्धान्तों में है और अनुच्छेद 25 मूल अधिकारों के बारे में है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या अनुच्छेद 44 को क्रियान्वित करने से अनुच्छेद 25 के उपबन्धों का उल्लंघन होता है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान कानूनी राय के बारे में नहीं पूछा जा सकता।

श्री श्रीनारायण दास : 18 वर्ष व्यतीत हो गये हैं--**अन्तर्बाधाये**। क्या उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जहांतक हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों का सम्बन्ध है हमने उनके निजी कानूनों के बारे में 1954 से ही अधिनियम बनाने आरम्भ किये हैं और हमने विशेष विवाह अधिनियम भी बनाया है जो कि सब पर लागू होता है।

अध्यक्ष महोदय : वह केवल इतना जानना चाहते है कि क्या अनुच्छेद 44 को क्रियान्वित करने में अनुच्छेद 25 कोई बाधा डाल रहा है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वह अनुच्छेद इसमें रुकावट नहीं है।

श्रीमती रेणुका राय : माननीय मंत्री के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या कुछ समय पूर्व जब हिन्दी संहिता बनाई गई थी यह निर्णय नहीं लिया गया था कि अन्य समुदायों से सम्बन्धित जिन कानूनों में कुछ कमियां हैं उनमें सुधार किया जायेगा और एक ही संहिता बनाई जायेगी और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने अबतक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है ? इसाइयों के सम्बन्ध में भी जो कानून बनाया जाने वाला था उसमें भी अधिक प्रगति दिखाई नहीं देती।

विधि मंत्री (श्री गोपालस्वरुप पाठक) : इस बारे में सरकार सावधानी से कार्य कर रही है क्योंकि व्यक्तिगत कानून धर्म से सम्बन्धित हैं। लगभग तीन वर्ष पूर्व मुसलमानों सम्बन्धी कानून पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई गई थी उसका कड़ा विरोध किया गया और उसे प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। हिन्दु कोड के सिद्धान्त बनाने में कई वर्ष लगे। धर्म के साथ सम्बन्धित इन मामलों में नये विचार स्वीकार करने के लिए मत तैयार करने से पहले काफी समय लगेगा। हम धर्म तथा रिवाजों सम्बन्धी विचार स्वीकार करने के लिए लोगों को बाध्य नहीं कर सकते।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री पाठक से हम नई बात सुन रहे हैं। जब हिन्दु कोड बिल के विरुद्ध बड़े पैमाने पर आन्दोलन हुआ तो उस समय पुराने विचारों वालों लोगों को यह स्पष्ट उत्तर दिया गया कि सिविल विधि को संहिताबद्ध करना हमारा लक्ष्य है और यह पहला कदम है और उसके बाद अन्य समुदायों के बारे में विधि बनाई जायेगी। इसलिए, मैं जानना चाहती हूं कि मुस्लिम समुदाय में लोक राय बनाने के लिए क्या निश्चित उपाय किये गये है और क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि जब पहली बार प्रयन्न किये गये तो इस देश के उप-राष्ट्रपति तथा उस समय कांग्रेस सरकार में मंत्री कई अन्य लोगों ने सरकार की इस नीति का विरोध किया।

श्री गोपाल स्वरुप पाठक : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को दिये गये उत्तर को ठीक करना चाहता हूं। सरकार ने समिति स्थापित नहीं की थी। सरकार ने समिति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव का ही कड़ा विरोध किया गया और इस लिए इसे समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार के मामले में, हम ऐसा कोई पग नहीं उठा सकते जो अल्पसंख्यक समुदायों पर किसी प्रकार का दबाव डाले। ऐसे मामलों में लोक राय बननी चाहिये (**अन्तर्बाधा**)। ऐसे मामलों में सुधार के पक्ष में राय बनाने में काफी लम्बा समय लगता है और क्योंकि वह समुदाय यह तुरन्त सुधार नहीं चाहता इसलिए सरकार ऐसा नहीं कर सकती।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, Sir, on a point of order. The Minister just now said that because of vehement opposition even the committee could not be formed, Should others follow the same practice?

Mr. Speaker : This has nothing to do with the rules.

श्री मुहम्मद इस्माइल : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ रिवाज धर्म से सम्बन्धित हैं। क्या सरकार जानती है कि शरियत विधि मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग है और यह कुरान का अंग है जो इस्लाम की धार्मिक पुस्तक है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित किया जाता है और अनुच्छेद 25(1) के अन्तर्गत अपने धर्म पर चलने की स्वतन्त्रता है और यह अनुच्छेद अनिवार्य है। संविधान में एक और अनुच्छेद है जिसके अन्तर्गत इन मामलों को न्यायालयों के समक्ष नहीं लाया जा सकता। इसलिए, शरियत विधि में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होना अथवा उसका निराकरण करना मुस्लमानों के हाथ में नहीं है (**अन्तर्बाधा**)।

इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान काफी पढ़े लिखे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अब भी मुस्लिम समुदाय को मुस्लिम विधि में ऐसे परिवर्तन के लिए सहमत होने के लिए बाध्य करेगा जो अनुच्छेद 25(1) के अनिवार्य उपबन्धों के अनुसार न होकर अनुच्छेद 44 के उपबन्धों के अनुसार हो।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। यदि वह कहें कि मिसरी लोग सच्चे मुसलमान नहीं हैं तो यह ठीक नहीं होगा। उन्होंने इस विधि का निराकरण कर दिया है। यह मत का प्रश्न है। हम उस मामले में जल्दी नहीं करना चाहते। यह हमारे मन में है। हमारी इच्छा है कि सभी लोगों के लिए एक जैसी विधि हो। वैदेशिक सिद्धान्तों में यही दर्ज है। कई मुस्लिम देशों ने इस विधि का निराकरण कर दिया है और वहां एक विवाह का कानून है (**अन्तर्बाधायें**)।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, प्रसन्नता की बात है कि श्री पट्टाभिरामन ने वास्तविकता का अधिक सामना किया है। यह किसी पर दबाव डालने का प्रश्न नहीं है, यह सरकार की कायरता का प्रश्न है। जब डा० अम्बेडकर विधि मंत्री थे तो सरकार की कायरता के कारण हिन्दु कोड विधेयक वापिस ले लिया गया था। यही प्रश्न बार बार उठाया गया है। (**अन्तर्बाधा**) क्या यह सच नहीं है कि मत तैयार करना पड़ता है। परन्तु जब तक सरकार इस मामले पर गम्भीर न हो, यह मत कैसे तैयार किया जा सकता है। यहां उत्तर देने से मत नहीं बन जाते। क्या यह सच नहीं है कि इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान ने सामान्य विधि बनाने के लिए आवश्यक धाराओं का निराकरण नहीं किया है। क्या मिस्त्र ने ऐसा नहीं किया है। क्या ट्यूनेशिया जैसे कई मुस्लिम देशों ने ऐसा नहीं किया ?

श्री मुहम्मद इस्माईल : यह केवल एक निर्वचन और भ्रम है।

श्री नाथ पाई : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार समान नागरिकता, समान अधिकार तथा समान दायित्व के बारे में कब पक्का विचार बनायेगी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : सभी व्यक्तियों पर लागू होने वाली समान संहिता बनाने का हमारा विचार है। परन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, समय में थोड़ी सी ढ़ील देनी होगी। हम ने केवल अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में ही समिति स्थापित करने का विचार नहीं किया था। यह भी ठीक है कि पूना में कुछ मुसलमानों ने एक जलूस निकाला। उसके बारे में मैंने प्रश्नों का उत्तर पहले दे दिया था।

श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए समान सिविल कोड बनाने से पहले कोई निश्चित उपाय करेगी क्योंकि यह महत्वपूर्ण कदम है। यदि हां, तो सरकार ने क्या निश्चित योजना बनाई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मत जानने का एक तरीका उस समुदाय से परामर्श करना होगा। यह संकल्पों, प्रदर्शनों, सामाजिक सम्मेलनों जैसे अन्य तरीकों के अतिरिक्त होगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने मुसलमानों का मत जानने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयत्न किये है और पढ़े लिखे मुसलमानों को उनके निजी कानून में आमूल परिवर्तन कराने के लिए सहमत कराने के लिए प्रयास किये हैं ? यदि हां, तो विस्तृत कार्यक्रम क्या है ? क्या सरकार केवल यही करेगी कि समय आने पर ऐसा किया जायेगा।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इन मामलों में पहल करना सरकार का काम नहीं है । हमें जनता के विचारों की ओर देखना होगा। मैं नहीं जानता कि समिति नियुक्त करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं। यह बात नहीं है कि हम समान सिविल कोड की आवश्यकता के प्रति जागरूक नहीं हैं। यह केवल समय का प्रश्न है।

Shri Prakash Vir Shastri : The statistics of 1961 Census compel us to have a uniform civil code. Those statistics raise an alarm for India. The increase in the population of the whole country has been 24 per cent whereas the increase in Muslim population has been 38 per cent. Is that not a major reason for having a uniform Civil code. Monogamy is the law for Hindus whereas Muslims are allowed to have four wives. In view of these facts, do the Government propose to take a firm decision to have a uniform civil code, so that it does not produce any undesirable impact on the population of India.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हम यह जानते है कि एक से अधिक विवाह करने के लिए भी धर्म परिवर्तन किया जाता है। इसी कारण हम यह परिवर्तन चाहते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार जानती है कि सिखों ने मिलकर विवाह-विच्छेद तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी इस कोड के उन पर लागू होने का विरोध किया था। यदि हां, तो क्या सरकार का तब तक उन्हें कुछ राहत देने का विचार है जब तक कि समूचे देश में समान सिविल कोड लागू नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : डा० अम्बेडकर ने मुझे बताया था कि सिखों पर पिछले 100 वर्षों से हिन्दु विधि लागू है। इसलिए, वह कुछ नहीं कर सकते।

श्री कपूर सिंह : परन्तु विवाह-विच्छेद तथा उत्तराधिकार के मामले में नहीं।

Shri Yudhvir Singh : Whether the Government have overlooked the fact that Pandit Jawaharlal Nehru said in 1961-62 that there may be differences with regard to the customs of Muslims but he opposed monogamy and it will be his endeavour to bring a law in the near future so that the system of polygamy prevalent amongst the Muslims comes to an end. Do the Government propose to give a legal shape to the views of Pandit Jawaharlal Nehru.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हम इस बारे में जानते है। अन्य नेताओं ने भी ऐसा कहा है।

अगले साधारण निर्वाचनों के लिये मतदान की तिथियाँ

+

*1726. **श्री राम हरख यादव :**
श्री रामानन्द शास्त्री :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी साधारण निर्वाचनों के लिये मतदान की तिथियां अन्तिम रूप से निश्चित कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या लाने ले जाने में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिये मतपत्रों की छपाई का काम भिन्न-भिन्न स्थानों पर कराने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो विकेन्द्रीकरण का ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : निर्वाचन आयोग, मुख्यतया उत्तर प्रदेश में, मतपत्रों की छपाई के काम का विकेन्द्रीकरण करने की संभावना पर विचार कर रहा है जिससे कि काम अधिक सुविधापूर्वक और अधिक तेजी और शुद्धता के साथ हो तथा छपाई के बाद निर्वाचन क्षेत्रों में मतपत्रों के वितरण में भी सुविधा हो। विकेन्द्रीकरण के ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं।

Shri Ram Harakh Yadav : I would like to know whether the elections will be held simultaneously throughout the country or they will be held on different dates?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जी हां। एक ही समय चुनाव कराने का विचार है परन्तु इस प्रश्न का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से है। इसका सम्बन्ध 60 निर्वाचन क्षेत्रों सम्बन्धी 7-½ करोड़ शलाका पत्रों से है।

Shri Ram Harakh Yadav : Whether it has been suggested to the Election Commission that the period of 10-12 days of election should be reduced considerably and the elections to the assemblies should be completed in a day and parliametary elections should be completed in two days?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : एक ही दिन में करने का विचार है परन्तु यह सम्भव है कि कुछ क्षेत्रों में दो दिन लग जायें।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या कारण है कि निर्वाचन आयोग विधान मण्डल के चुनाव तथा संसदीय चुनावों में एक दो दिन का अन्तर रखना चाहता है? क्या यह सच नहीं है कि पुरानी प्रणाली से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और निर्वाचन आयोग ने ऐसे सुधार लागू करने का प्रयत्न किया है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी .....।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल मतपत्रों के मुद्रण से तथा चुनाव की तिथि निर्धारित करने से है।

Shri Tyagi : In view of numerous complaints regarding the use of influence by Government officers, may I know why Uttar Pradesh is being permitted to print ballot papers separately? Whether the Government will make law to provide for imprisonment, of the officers using their influence in the elections.

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): This does not arise out of the main question.

Shri Tyagi: What is the reason for allowing Uttar Pradesh to print the ballot papers.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के लिए मुद्रण, सरकारी मुद्रणालय, लखनऊ में किया जायेगा। मध्य प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों के बारे में ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग इससे अवगत है। वे अधिक मुद्रणालयों में काम कराकर विकेन्द्रीकरण का कोई तरीका निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि वे क्या सोच रहे है। सदस्य जानते है कि वह स्वतन्त्र आयोग है। हम आयोग को माननीय सदस्य के विचार अवश्य देंगे।

श्री राजाराम : शलाका पत्रों में गोलमाल हो रहा है।

श्री जसवन्त मेहता : हाल ही में निर्वाचन अधिकारियों का एक सम्मेलन पंचमढ़ी में हुआ था। क्या मैं जान सकता हूं कि मतपत्रों की गणना करना तथा बूथ-वार परिणामों की घोषणा करने की दिशा में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वहां इस मामले पर विचार किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न में कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बड़े : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर 'न' में दिया गया है। समाचार पत्रों में भी छपा है कि पंचमढ़ी में एक सम्मेलन हुआ था और उन्होंने निर्णय किया था कि तिथि 19 फरवरी, 1967 होनी चाहिये। क्या यह सच है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : अस्थायी रूप से फरवरी का तीसरा सप्ताह निश्चित किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार तथा निर्वाचन आयोग इस बात पर ध्यान देंगे कि निर्वाचन रविवार को कराये जायें ताकि काम पर जाने वाले लोग अपना मत दे सके।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। श्री बूटा सिंह।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं यह सुझाव भेज दूंगा (**अन्तर्बाधा**)।

श्री बूटा सिंह : प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) का उत्तर 'न' में दिया गया है। क्या देश के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी से कोई प्रभाव पड़ा है। वे कहते हैं कि चुनाव नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। आप उनसे पुनः परामर्श करें।

श्री शिकरे : क्या सरकार गोआ के महाराष्ट्र के साथ विलय के प्रश्न पर आगामी चुनाओं से पहले विचार करेगी अथवा.................

अध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

एयर इण्डिया द्वारा "पी" फार्म के बगैर टिकटों का दिया जाना

+

***1727. श्री स० मो० बनर्जी : श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मुहम्मद इलियास : श्री बूटा सिंह :
श्री दाजी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 में एयर इंडिया ने भारत के रिजर्व बैंक के "पी" फार्म के बिना लगभग 500 से 1,000 तक टिकट बेचे;

(ख) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने एयर इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है अथवा कोई 'कारण बताओ' नोटिस दिया है ;

(ग) क्या इस जालसाजी के लिये उत्तरदायी अधिकारियों की पदोन्नति की गई थी और उनका तबादला किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं। ऐसे मामलों की संख्या जिनकी जांच की जा रही है 300 से मामूली अधिक है और जांच के दौरान बहुत से मामले ऐसे पाये गये हैं जिनमें "पी" फार्म आवश्यक है या जिनमें "पी" फार्म आवश्यक नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) कारपोरेशन ने रिपोर्ट दी है कि विभागीय जांचों और प्रवर्तन निदेशालय से भी प्राप्त पत्रों के परिणामस्वरूप "पी" फार्म अनुभाग या सम्बद्ध यूनिटों में पहले काम कर रहे अधिकारियों

और कर्मचारियों को वहां से बाहर भेजना वांछनीय समझा गया। सजा के तौर पर अभी तक कोई तबादले नहीं किये गये हैं।

एक अधिकारी का तबादला उसके द्वारा कारण बताओ नोटिस के प्राप्त किये जाने से पहले सामान्य तौर पर हांगकांग किया गया। यह पदोन्नति का मामला नहीं था बल्कि सामान्य तबादले का मामला था।

उन्होंने आगे यह भी बताया है कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों में से किसी को भी पदोन्नति नहीं की गयी है। एक मामले में, एक अधिकारी की पदोन्नति की घोषणा, उसके इन अनियमितताओं में फंसने के मामले के कारपोरेशन की नोटिस में आने से पहले हो चुकी थी। जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी हुई, पदोन्नति का आदेश रद्द कर दिया गया।

(घ) चूंकि इस समय जांच की जा रही है इसलिए ऐसी स्थिति में इससे अधिक विवरण देना सार्वजनिक हित में वांछनीय नहीं होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे बहुत खुशी है कि मंत्री महोदय ने मेरे इस बयान को कि संख्या 500 तथा 1000 के बीच में है, सही किया है और बताया है कि संख्या इतनी न होकर 300 के करीब है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह पी फार्म का घुटाला 1957 से एयर इण्डिया में चल रहा है और यदि ऐसा है तो सरकार ने इसे हमेशा के लिये समाप्त करने की क्या कार्यवाही की ? क्या वह अधिकारी हांगकांग के लिये अपना स्थानान्तरण वैभागिक कार्यवाहियों से बचने के लिय कराना चाहता था ?

श्री चे० मु० पुनाचा : पी फॉर्म के नियम रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के द्वारा 1962 में लागू किये गये तथा इस प्रकार माननीय मित्र में जो 1957 में चालू रहने की बात थी वह सत्य पर आधारित नहीं है।

दूसरी बात यह थी कि यह अधिकारी साधारण नियमों के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाने को था तथा इसका उसे बाद में दिये जाने वाले कारण बताओ नोटिस से कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूँ कि कितने अधिकारी इस मामले में निलम्बित किये गये तथा बाद में दोषमुक्त करार दे दिये गये ? यदि कोई भी अधिकारी निलम्बित नहीं हुआ तो इसके कारण बताये ?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिये गये, इनमें से एक निलम्बित है। मेरा विचार है कि एयर इण्डिया व्यवस्थापन के द्वारा चार अधिकारियों के विरुद्ध कुछ वैभागिक कार्यवाहियां चल रही हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या वे चार अधिकारी निलम्बित हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बताया गया है कि उनमें से कोई भी निलम्बित नहीं हुआ है ?

श्री बूटा सिंह : प्रश्न यह है कि यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर एक क्रम-बद्ध घुटाला चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार उस घुटाले का पता लगाने तथा उसे समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है जो इस देश की विदेशी पूंजी विनिमय के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

श्री चे० मु० पुनाचा : इस बात की ओर सरकार तथा प्रवर्तन निदेशालय का ध्यान दिलाया गया है कि यात्रा अभिकर्ताओं ने कुछ अवांछनीय कार्य किये हैं। मामले की जांच हो रही है तथा इस बार अभी कुछ ठीक कह सकना सम्भव नहीं है।

श्री बूटा सिंह : क्या इस सम्बन्ध में यात्रा-कारिन्दों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : जांच हो रही है ।

श्री बूटा सिंह : उन्होंने नहीं बताया कि कोई यात्राकारिन्दा भी इस मामले में फंसा है ? मैं जानना चाहूँगा कि क्या वे किसी यात्रा अभिकर्ता को भी पकड़ पाये ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जैसा मैंने पहिले बताया कि हमारे पास प्रतिवेदन हैं कि एक या दो यात्रा-अभिकर्ताओं के संगठन इन आरोपित शिकायतों में फंसे हुये हैं। हम मामले की जांच कर रहे हैं।

श्री नम्बियार : अपराध की गम्भीरता के कारण क्या उन अधिकारियो पर सरकार का अभियोग चलाने का विचार है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : निश्चित है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जाने पर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नम्बियार : अभियोग चलाने के बारे में क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ?

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I wrote a letter to the Finance Minister regarding this P-form. The reply I received on 9th March ran as follows :

> "हमारा प्रवर्तन-निदेशालय एयर इण्डिया इण्टरनेशनल के सम्बन्ध में इन आरोपों की जाच कर रहा है और अब तक 5-1/2 महिनों की जांच हो चुकी है। जांच के आधार पर कानूनों का पालन किया जा रहा है और यदि परिणामस्वरूप किसी को दोषी पाया गया तो उचित कार्यवाही की जायेगी।"

As I have said that this reply was received on 9th March. Investigations have been completed. What course of action has been taken was only to be decided. I would like to know whether this has not been decided so far even after two or three months.

श्री चे० मु० पुनाचा : जैसा कि मैं कह रहा था कि रिज़र्व बैंक प्रवर्तन निदेशालय ने सतर्कता के साथ सब मिलाकर लगभग 300 मामलों की जांच की जिनमें से 50 मामलो की जांच पूरी हो गई है। ये 50–52 मामले पी-फॉर्म नियमों के अन्तर्गत आते हैं ; इनमें 42 के पास जायज पी-फॉर्म थे तथा 10 को पी-फॉर्म की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके पास आवश्यक विदेशी विनिमय भुगतान की व्यवस्था थी। अब 200 के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जांच हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उनको एक पत्र मिला कि 9 मार्च को जांच पूरी हो गई और केवल कानूनी पहलू की जांच होने को है। वह पूछते हैं कि दो महिने पूरे जाने पर भी जांच क्यों नहीं हो पाई।

श्री चे० मु० पुनाचा : वास्तव में इस सम्बन्ध में मेरे मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, with your permission I lay it on the table of the House*. Answer may please be elicited for this.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपका निर्देश चाहता हूं पहिले इस प्रश्न का उत्तर श्री संजीव रेड्डी ने दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि यह वित्त मंत्रालय को ज्ञात है। आजभी मंत्री महोदय के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को देखूंगा। श्री हेम बरुआ ।

---

*अध्यक्ष महोदय ने पत्र को सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी क्योंकि पत्र को पहलेही माननीय सदस्य ने पढ़ लिया था।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इन विशेषाधिकार प्राप्त यात्रियों में से जो पी-फॉर्मों के बिना जा सकते थ, महा प्रबन्धक या कुछ एयर इण्डिया इण्टरनेशनल के किसी बड़े अधिकारी के दो बेटे भी थे जिन्हें इस घुटाले का विशेषाधिकार मिला। यदि ऐसा है तो उन सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कायवाही की जायेगी जिन्होंने अपने बेटों के द्वारा इसका लाभ उठाया।

श्री चे० मु० पुनाचा : यह सही रूप में इस सम्बन्ध में है कि सम्बन्धित अधिकारी निलम्बित है।

श्री भगवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि इन मामलों की जांच के दौरान सरकार ने एक दल का पता लगाया है जो रिज़र्व बैंक के अन्दर सक्रिय है तथा जो पी० फॉर्म दिये जाने में दे करवाता है जिससे एयर इण्डिया को बड़ी राजस्व-हानि उठानी पड़ती है। क्या इसकी भी जांच हो रही है कि सभी औपचारिक नियमों का पालन होने पर भी रिज़र्व बैंक-दल पी-फार्म नहीं प्राप्त करने देता है तथा परेशानी पैदा करता है।

श्री चे० मु० पुनाचा : यात्रा करने वाली जनता को इन औपचारिकताओं से कुछ असुविधा होती है। यह तथ्य है। जहां तक कि पी-फॉर्म नियमों का प्रश्न है, विदेशी विनिमय स्थिति की जटिलता से उक्त प्रक्रिया आरम्भ की गई तथा लागू की गई; यद्यपि वे यात्रियों के लिये कुछ असुविधाजनक है।

Shri Rameshwaranand : Name should be amended.

Mr. Speaker : I have given this name.

मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब का विमान

अ०सू० प्रश्न 38. श्री लिंगा रेड्डी : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब का दो सीटों वाला प्रशिक्षण विमान एल-5 का जो 6 मई, 1666 को इन्दौर से उड़ा था, पता नहीं लगा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

परिवहन, तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : सत्यता यह है कि मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के दो सीटों वाले एल-5 विमान का जोकि 6 मई, 1966 को भारतीय मानक समय के अनुसार 11.20 बजे भोपाल से उड़ाथा और जिसे लापता बताया गया था, उसी दिन पता लग गया था। विमान को प्रशिक्षणार्थी विमान चालक भोपाल से उज्जैन और वापसी की बिना रुके हुए देश के आरपार जाने की एक एकाकी उड़न पर ले गया था। वापस आते समय की उड़ान पर विमान चालक अपना मार्ग भूल गया और विमान को भोपाल से लगभग 50 मील दक्षिण में नसरुला गंज तहसील के "शीलकान्त" नामक ग्राम के निकट नर्मदा नदी तल पर उसी दिन 14.30 बजे मजबूरन उतारना पड़ा। न तो विमान चालक को कोई चोट आई और न विमान को ही कोई क्षति पहुंची।

इस्पात 'री-रोलिंग' उद्योग

39. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छड़ों के भारी अभाव के कारण देश मे इस्पात "री-रोलिंग" उद्योग को संकट का सामना है जिसके फलस्वरूप स उद्योग की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष में इस उद्योग की छड़ों संबंधी क्या आवश्यकतायें थी और कितनी मात्रा में यह छड़े इस उद्योग को उपलब्ध की गई तथा चालू वित्तीय वर्ष में इस कच्चे माल की उनकी क्या आवश्यकतायें होंगी और कितनी मात्रा में यह माल उन्हें दिये जाने की आशा है; और

(ग) क्या सरकार ने इस्पात की छड़े निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है और यदि हां तो कितनी मात्रा में और क्या सरकार को इस निर्णय के विरुद्ध इस उद्योग से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 1965-66 में मांग की तुलना में बिलेट्स का उत्पादन कम था। फिर भी ऐसी बात नहीं थी कि पुलबेलन उद्योग के सामने कोई संकट आ गया था। वास्तव में प्रदाय स्थिति में मास प्रति मास सुधार हो रहा है।

(ख) गौण उत्पादकों को सम्मिलित करके बिलेट्स की वार्षिक आवश्यकता 1.25 मिलियन टन के लगभग है। इसके मुकाबले में 1965-66 में कुल उत्पादन 7 लाख टन के लगभग था। ऐसा अनुमान है कि 1666-67 में भी इतनी ही मांग रहेगी लेकिन ऐसी आशा है कि कुल उत्पादन एक मिलियन टन से ऊपर होगा।

(ग) सरकार ने 1966-67 में 25,000 टन बिलट्स का नाममात्र निर्यात करने की अनुमति दी है। स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसीएशन आफ इंडिया ने इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवेदन दिया था। इस प्रतिवेदन पर विचार किया गया और जिन परिस्थितियों में निर्यात के लिए अनुमति देने का विचार था उस से एसोसीएशन को अवगत करा दिया गया।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूँ कि ये उत्पादन स्थापित क्षमता के पूरे उपयोग के बाद इस्पात के छोटे टुकड़े जैसी वस्तुयें निर्यात के लिये छोड़ी जा सकते है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जैसे इसी उत्तर में कहा गया है, हमारा इस वर्ष का उत्पादन 12 लाख 50 हज़ार टन लगभग है तथा इतनी ही अनुमानित मांग भी है। इस पर भी हमारा विचार है कि बाजार बनाने के लिये निर्यात को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। बहुत थोड़ी मात्रा में ही निर्यात हो रहा है। यह ऐसा नहीं है कि इससे दूसरों के निर्यात हट सकें।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस्पात के छोटे टुकड़े निर्यात करने से अर्जित किया जाने वाला विदेशी विनिमय कितना आंका गया तथा इसका सम्भावित विदेशी विनिमय-आय के साथ क्या स्थान है यदि इस्पात के कच्चे टुकड़ों के स्थान पर बनी बनाई वस्तुयें निर्यात की जाये ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस निर्यात से प्राप्त होने वाले विदेशी विनिमय के मूल्य के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। निर्यात के उद्देश्य से इन बातों का अध्ययन करना होगा। यह सच है कि इसमें घरेलू कीमतों की तुलना में कुछ असुविधा अवश्य है लेकिन निर्यात व्यापार और विदेशी विनिमय के हित में इसे त्यागना चाहिये।

श्री कमलनयन बजाज : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब कच्चे इस्पात के टुकड़ों की कमी है तो इन्हें निर्यात करने की अपेक्षा सभी आयातित कच्चे इस्पात के टुकड़े क्यों न खरीद लिये जाये ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक इस का सम्बन्ध है हमने निर्यात के लिये 10,000 टन का विशेष कोटा निश्चित किया है।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय प्रश्नकर्ता की ओर मुड़ते हैं तो दूसरे लोग सारी सभा में उन्हें नहीं सुन सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इसकी कमी के साथ ही राज्यों में कच्चे लोहे की भारी कमी है तथा क्या वह कमी पूरी की गई और यदि हां तो उत्तर प्रदेश में कितनी कमी रह गई है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरे विचार में कच्चे लोहे की कोई कमी नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरकों का आयात

***1723. श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात करने का विचार है; और

(ख) इनका आयात किन-किन देशों से किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) लगभग 500,000 मीटरी टन नाइट्रोजन, 93,000 मीटरी टन P_2O_5 तथा 1,28,000 मीटरी टन K_2O।

(ख) कैनेडा, कोलम्बिया, जी० डी० आर०, जापान, फिलिपाइन, रूमानिया, इंगलैंड, अमरीका, रूस तथा पश्चिम योरूप के देश।

राज्यों में कुछ विभागों का विलय

***1728. श्री फिरोदिया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह सुझाव दिया है कि राज्यों में कृषि, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास विभागों को मिला कर किसी एक मन्त्री के अधीन कर देना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बारे में किसी राज्य ने अपने निर्णय की सूचना दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) मुख्य मन्त्रियों के पिछले सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार विभागों को एक मन्त्री की देखरेख में लाने के लिये उठाये गये कदम पर विचार किया गया और राज्यों द्वारा ऐसा ही समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यह मामला मुख्य मन्त्रियों पर छोड़ दिया गया कि किस ढंग से ऐसा समन्वय स्थापित किया जाये और उसे किस प्रकार सुदृढ़ किया जाये।

(ख) अभी नहीं।

चीनी की मिलें

***1729. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वर्ष में महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश में चीनी की नई मिलों की स्थापना के लिये अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो गैर सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में, अलग अलग, कितनी मिलें स्थापित की जायेंगी तथा उनकी क्षमता कितनी होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : जी हां। 1966 में नये 9 शर्करा कारखानों (सभी सहकारी) की स्थापना के लिये जिन में प्रत्येक की गन्ना पेरने की दैनिक क्षमता 1250 मीटरी टन होगी, आशय-पत्र जारी किये गये हैं---महाराष्ट्र में 4, मैसूर में 3 और गुजरात तथा मद्रास प्रत्येक में एक एक कारखाना। आन्ध्र प्रदेश में नया शर्करा कारखाना स्थापित करने के लिये 1966 में कोई आशय-पत्र जारी नहीं किया गया है।

खेती के औजार

*1730. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेती के उन्नत औजारों के बारे में सुझाव देने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। योजना आयोग की प्लान प्रोजेक्ट समिति ने विभिन्न प्रकार के कृषि-उपकरणों तथा मशीनों के विकास सम्बन्धी पहलुओं का अध्ययन करने के लिये एक कृषि-दल की नियुक्ति की थी। सात राज्यों के बारे में रिपोर्ट तैयार हो चुकी हैं।

(ख) समिति ने सात राज्यों में कृषि स्कन्धों को सुदृढ़ करने के लिये अनुसन्धान तथा विकास में सुधार करने, कच्चे माल की सप्लाई करने, विनिर्माण, कारीगरों तथा अन्य तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने, विस्तार, प्रचार तथा वितरण करने के विषय में उपयुक्त सिफारिशें की हैं।

(ग) उन सात राज्यों को (जिन्होंने तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों ने सिफारिशों के विषय में सहमति प्रकट की थी) क्रियान्विति के लिये सिफारिशें भेज दी हैं। योजना आयोग से अखिल भारतीय रिपोर्ट प्राप्त होते ही अन्य राज्यों के विषय में आगे कार्यवाही की जायेगी।

उच्च शक्ति वाले डीजल इंजन

*1731. **श्री बसवन्त** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय:

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार हाल में भारत को उच्च शक्ति वाले डीजल इंजन देने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डीजल इंजनों की कुल संख्या कितनी होगी; और

(ग) ये डीजल इंजन किन शर्तों पर दिये जायेंगे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : जी हां। कनाडा सरकार 24 लाख कनेडियन डालर का ऋण भारत सरकार को 13 हाई पावर्ड डीज़ल लोकोमोटिवज़ खरीदने के लिए, सहमत हो गई है, जो कि कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों के लिए चाहिए।

(ग) कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों ने 13 डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव के लिए, छः 1250 अश्व शक्ति के और सात 640 अश्व शक्ति के, कनेडियन लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड को आदेश दे दिया है। इन 13 डीजल हाइड्रोलिक इंजनों की कुल करार कीमत 93,24,224 रुपये है।

इन की कुल कीमत, जिस में भाड़ा, बीमा, और सीमा शुल्क शामिल है, 1,30,53,913 रुपये है। इस राशि में से 93,24,224 रुपये की राशि की अदायगी कम्पनी को कनैडियन डालर में करनी होगी। इस की पूर्ति 24 लाख कनैडियन डालर के कनैडियन विकास ऋण, में से की जाएगी। विकास ऋण में से जो धन राशि कनैडियन सप्लायरों को दी जाएगी उसके बराबर धन राशि रुपयों में भारत सरकार कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों से वसूल करेगी। 37,29,689 रुपये की शेष राशि जिस में भाड़ा, बीमा और सीमा शुल्क आते है, कलकत्ता कमिश्नरों द्वारा रुपयों में चुकाई जाएगी।

गन्ना पेरने की अवधि (सीजन)

*1732. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार गन्ना पेरने की अवधि बढ़ाये जाने के कारण चीनी उद्योग को हुई हानि के लिये उसे मुआवजा देने हेतु वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) सरकार का उन्हें कुल कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) यह प्रोत्साहन की मात्रा, जिसका निर्णय किया जाना है, पर निर्भर करेगा।

संयुक्त स्कंध समवायों द्वारा योग्यता प्राप्त सचिवों की नियुक्ति

*1733. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त स्कन्ध समवायों द्वारा योग्यता-प्राप्त सचिवों की अनिवार्य रूप से नियुक्ति किये जाने के बारे में विधान बनाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी नहीं, महोदय ; संयुक्त स्कन्ध समवायों द्वारा योग्यता-प्राप्त सचिवों की अनिवार्य रूप से नियुक्ति किये जाने के बारे में विधान बनाने का फिलहाल कोई सुझाव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर और वाराणसी के हरिजनों के लिये उत्तर प्रदेश, विधान-सभा में स्थानों का आरक्षण

*1734. **श्री सरजू पाण्डेय :**

श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर-वाराणसी जिलों में हरिजनों की संख्या आजमगढ जिले के हरिजनों की संख्या से अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक ओर तो गाजीपुर-वाराणसी जिलों के लिये विधान सभा में आरक्षित स्थानों की संख्या कम की जा रही है हालांकि वहां पर हरिजनों की संख्या अधिक है और दूसरी ओर आजमगढ़ के लिये स्थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी हां। गाजीपुर और वाराणसी जिलों के हरिजनों की संख्या आजमगढ़ जिले के हरिजनों की संख्या से अधिक है।

(ख) और (ग) : परिसीमन आयोग ने, अपनी प्रकाशित प्रस्थापनाओं में (जिन्हें अन्तिम रूप अभी तक नहीं दिया गया है) 1961 की जनगणना के अनुसार गाजीपुर जिले में एक, वाराणसी जिले में दो और आजमगढ जिले में चार आरक्षित स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आबंटित किए थे। यह परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 9(1)(ग) के अनुकूल है।

Release of Liberian Tanker "Leto"

***1735. Shri Onkar Lal Berwa : Shri Braj Bihari Mehrotra :**
Shri Vishwa Nath Pandey : Shri Maheswar Naik :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 23rd April, 1966, a Liberian tanker "Leto" carrying 18,000 tons of wheat for India was detained at Fremantle (West Australia) and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) and (b). It is a fact that tanker "Leto" of Liberian flag chartered by the Government of India for lifting 18,000 tons of wheat from Australia was detained at Fremantle (West Australia) for a day on the 23rd April, 1966. The reasons for detention is reported to be non-payment of certain dues to the local authorities. Fuller details are not so far available with the Government.

अनाज की हानि

***1736. श्री शशिरंजन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज़ में लदा हुआ गेहूं आने और भरी हुई बोरियों में उतारने के बाद तथा कलकत्ता पत्तन में सरकार के पास वास्तव में पहुंच जाने पर गेहूं का कोई नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जहाज़ में इस प्रकार अनाज की कितनी हानि होती है; और

(ग) 1961 से अब तक कलकत्ता पत्तन में प्रति वर्ष कुल कितने जहाज़ आये हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) कलकत्ता में खाद्यान्नों को बोरियों में आमतौर पर जहाज़ों के खाबों में भरा जाता है और गोदियों से बोरियों को रेल वैगनों तथा ट्रकों में भेजा जाता है जिनका वजन क्रमश: रेल और सड़क कांटों पर किया जाता है। कलकत्ता में उतारे गये अनाज के बारे में हिसाब किताब रेल और सड़क कांटों के वज़नों के आधार पर अन्तिम रूप से तैयार किया जाता है। क्योंकि बन्दरगाह पर उतारे जाने पर खुले अनाज का वजन नहीं होता और जब तक बोरियां बैगनों और ट्रकों में लादी नहीं जाती तब तक बोरियों में बन्द अनाज बन्दरगाह प्राधिकारियों के संरक्षण में रहता है। इस स्थिति में गेहूं का कोई नुकसान होना नहीं बताया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कलकत्ता बन्दरगाह पर 1961 से 1965 तक खुला अनाज लाये जहाज़ों की संख्या निम्न प्रकार है :--

1961	172
1962	144
1963	183
1964	219
1965	177

मछली पकड़ने वाली नौका का लापता हो जाना

*1737. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मरकन्टाइल मरीन बंबई कल्याणी नं० 5 की मछली पकड़ने वाली एक नौका बंबई बन्दरगाह के सासून डाक से लगभग 15 जुलाई, 1965 को रवाना हुई थी;

(ख) क्या यह बाद में डूब गई थी अथवा किसी तरह से लापता हो गई थी, यदि हां, तो कब तथा किन परिस्थितियों में ;

(ग) इनके नाविक दल का क्या हुआ;

(घ) क्या इस मामले की जांच की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों का तबादला

*1738. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्थान से दूसरे स्थान में विशेषकर प्रादेशिक मुख्यालय से बाहर के स्थानों में तबादला करने की नीति के बारे में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा उसके कर्मचारियों के बीच कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समझौता पूर्वी क्षेत्र पर भी लागू होता है;

(ग) क्या कलकत्ता स्थित कार्यालय के कर्मचारियों से शिकायतें आई हैं कि समझौते की शर्तों का उल्लंघन करके अनेक तबादले किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) तबादले कर्मचारी संघ के साथ हुए एक समझौते के अनुसार किये जाते हैं, जोकि 1956 से लागू है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिसार में अकाल की स्थिति

*1739. **श्री हिम्मतसिंहजी :**

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के हिसार जिले में इस समय भीषण अकाल फैला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने के लिये स्थानीय अधिकारियों ने तत्काल केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं। हिसार जिले में 1965 के सूखा के कारण केवल कमी की स्थिति चल रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वनस्पति घी की कमी

*1740. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री श्रीनारायण दास :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में वनस्पति घी तथा अन्य खाये जाने वाले तेलों की, विशेषकर दिल्ली में अत्यन्त कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वनस्पति घी तथा अन्य खाये जाने वाले तेलों के भाव भी बढ़ गये हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या विनियम लागू किये हैं कि निर्माता तथा व्यापारी यदा कदा स्थिति का अनुचित लाभ न उठाने पायें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : जी हां। वनस्पति सहित खाने के योग्य तेलों की कमी और उनके भावों में वृद्धि के बारे में समाचार मिले हैं।

(ग) भावों में वृद्धि देश के अधिकांश भागों में 1965 में देर से, असमान और अपर्याप्त वर्षा होने के कारण; उत्पादन में कमी होने के फलस्वरूप हुई है।

(घ) सरकार स्थिति पर निगरानी रख रही है और उपचारी उपायों पर विचार कर रही है।

बैरियम कैमिकल्स लिमिटेड के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*1741. **श्री मधु लिमये :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समवाय विधि के प्रशासन के संबंध में बेरियम कैमिकल्स लिमिटेड के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिणामों के बारे में विचार कर लिया है;

(ख) क्या उन्होंने कुछ संसद्-सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में लगाये गये आरोपों के बारे में सरकार के दृष्टिकोण पर होने वाले इसके प्रभाव का भी अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) और (ख) के बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी हां ।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री की ओर से कोई कद्भावना नहीं थी । मामले के वैधानिक पक्षों के अतिरिक्त और कुछ कहना मेरे लिये संभव नहीं है ।

(ग) केवल एकमात्र आधार पर उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से पुनरावेदन की अभयनुज्ञति दी कि खण्डित आदेश में बोर्ड ने समवाय अधिनियम की धारा 237(ख) में निर्दिष्ट बातों से बाहर की सामग्री पर अमल किया । इस बात का यह पक्ष निर्णय करने के लिये परीक्षाधीन है कि इस मामले में अगली आवश्यक कार्यवाही क्या की जाय ।

उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान

*1742. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलारी जिले के होसपेट के गन्ना उत्पादकों से कोई शिकायतें आई हैं कि इंडियन शुगर ऐन्ड रिफाइनरीज़ लिमिटेड होसपेट ने पिछली फसल से ढाई लाख रुपये का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो नियमित रूप से भुगतान कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) होसपेट कारखाने द्वारा उत्पादकों को पिछली अवधि के लिये बोनस के रूप में अभी कितनी धनराशि दी जानी बकाया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) "बोनस दर" से सम्भवतया माननीय सदस्य का निर्देश 1958-59 से 1961-62 के वर्षों में गन्ने की अतिरिक्त देय कीमत की ओर है ।

1958-59 के लिये गन्ने की अतिरिक्त कीमत की दर गन्ना (अतिरिक्त) मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश के अनुसार रु० 5.70 प्रति बड़ा टन निर्धारित की गयी है । तथापि, कारखाने ने मैसूर उच्च न्यायालय में "रिट" याचिका दायर कर दी है और रोक आदेश प्राप्त कर लिया है । 1959-60 के वर्ष का गन्ने का कोई अतिरिक्त मूल्य देय नहीं है । रोक आदेश की दृष्टि में 1960-61 और 1961-62 के वर्षों की अतिरिक्त देय कीमत अभी निर्धारित नहीं की गयी है ।

खाद्यान्नों का आयात

*1743. **श्री लिंग रेड्डी** :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के वर्तमान खाद्य संकट को दूर करने के लिये अमरीका तथा अन्य देशों से अब तक कितना अनाज प्राप्त हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)**: एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6379/66।**]

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कैरावेल विमान की दुर्घटना

*1744. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री बृजवासी लाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 24 अप्रैल 1966 को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का कैरावेल विमान, जो दिल्ली से मद्रास जा रहा था, उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जब धावन मार्ग को छुते ही विमान के बाईं ओर से चारों तरफ टायर कट गये;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां। विमान के उतरने के बाद पोर्ट अंडर कैरेज के चार मुख्य टायर फट गये। दूसरी कोई क्षति नहीं हुई।

(ख) घटना की जांच की जा रही है।

(ग) पोर्ट अंडर कैरेज के चारों पहियों और उनके ब्रेकों के पुर्जों को बदलने के बाद विमान को उड़ने के योग्य बना दिया गया और वह दूसरे दिन अर्थात् 25 अप्रैल, 1966 को फेरी उड़ान पर बम्बई के लिए उड़ा।

गोआ में निर्वाचन

*1745. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ में निर्वाचन करने की तिथि अन्तिम रूप में निश्चित कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तेलों की तस्करी

*1746. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मई, 1966 के "स्टेट्समैन" समाचार पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य तेल शिमला, जम्मू तथा काश्मीर और उत्तर प्रदेश के रास्ते चोरी छिपे तिब्बत और पाकिस्तान ले जाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार की सचाई का पता लगाया है; और

(ग) क्या तेलों को इस प्रकार चोरी छिपे देश से बाहर ले जाये जाने के कारण तेलों के भाव बहुत बढ़ गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) कस्टम अधिकारियों से प्राप्त होने वाली सूचना के अनुसार न तो खाद्य तेलों को चोरी से तिब्बत या पाकिस्तान में ले जाने के किसी मामले का पता चला है और न ही सीमा पर खाद्य तेलों को कब्जे में लिया गया है ।

(ग) 1965-66 में शनैः शनैः तिलहनों के उत्पादन में गिरावट आने तथा उनकी उपलब्धि में कमी होने के कारण ही मुख्यतः खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि हुई है ।

रामेश्वरम ऐक्सप्रेस गाड़ी से आनेवाले श्रीलंका जानेवाले यात्रियों को जहाज में चढ़ने की अनुमति

*1747. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्तन अधिकारियों ने श्रीलंका जाने वाले और रामेश्वरम ऐक्सप्रेस गाड़ी से पहुंचने वाले अनेक यात्रियों को जहाज में चढने की अनुमति नहीं दी थी यद्यपि जहाज छूटने के निर्धारित समय से एक घंटे पहले रेलगाड़ी वहां पहुंच गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) तत्पश्चात इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को, जो रामेश्वरम और तलाइमनार (श्री लंका) के बीच में नौका सेवा चलाते हैं, किसी यात्री से इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता है ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों तथा व्योम-बालाओं का झगड़ा

*1748. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डमडम हवाई अड्डे पर ड्यूटी पर तैनात इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन की दो व्योम-बालाओं द्वारा मांग बिल्ले रखने के कारण उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों तथा उनके द्वारा विमान चालकों के विरुद्ध की गई शिकायतों के बारे में की जा रही जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो जांच की अब क्या स्थिति है ; और

(ग) उसे पूरा करने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) दो विमान परिचारिकाओं के विरुद्ध की जा रही जांच उनके द्वारा ड्यूटी के समय मांग बिल्ले पहने रखने के कारण नहीं थी । उन्हें ड्यूटी की लापरवाही के कारण चार्ज-शीट किया गया था । जांच पूरी हो गयी है और जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अगले कुछ दिनों में प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में अकाल की स्थिति

*1749. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूखे की गम्भीर स्थिति के बारे में राज्यों से समाचार मिलते रहते हैं, और अनाज एवं वित्तीय सहायता भेजने की भी प्रार्थना की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों द्वारा अब तक मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और नवीनतम आंकड़ें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) राज्य सरकारों से सूखे की गम्भीर स्थिति के बारे में कोई समाचार नहीं मिले हैं। सूखा ग्रस्त आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों ने 1965 में सूखा के कारण जो सहायता उपाय शुरू किये थे, उनके लिये वित्तीय सहायता मांगी है और उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों ने गेहूं का कोटा बढ़ाने के लिये कहा है।

(ख) और (ग) : एक विवरण जिसमें मांगी गयी और दी गयी वित्तीय सहायता और कमी से प्रभावित राज्यों को नियत किये गये खाद्यान्नों की मात्रा दी गयी है, सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6380/66]**

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित गोष्ठी

*1750. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित एक क्षेत्रीय गोष्ठी हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस गोष्ठी में भारत में सहकारी खेती को बढ़ाने के बारे में क्या क्या मुख्य मत व्यक्त किये गये तथा सुझाव दिये गये; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) केवल 3 दिन पहले 14 मई, 1966 को समाप्त हुई गोष्ठी की रिपोर्ट अभी सरकार को नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल राज्य में भूमि का पुनर्सर्वेक्षण

5698. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में भूमि के पुनर्सर्वेक्षण के सम्बन्ध में केरल सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी भूमि का पुनर्सर्वेक्षण करने का विचार है ; और

(ग) इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना अंशदान दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 18,410 वर्ग किलो मीटर (अथवा 7,108 वर्ग मील)।

(ग) चालू केन्द्रीय सहायता के प्रतिमान के अनुसार 1966-67 के दौरान कैडैस्ट्रल सर्वेक्षण योजनायें जो स्टेट प्लानज में शामिल की गई हैं केन्द्र से 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की हकदार हैं। चौथी योजना के शेष वर्षों के लिए सहायता के प्रतिमान के बारे में अभी निर्णय किया जाना है ।

उड़ीसा में कृषि उद्योग निगम

5699. **डा० कोहोर** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में एक कृषि-उद्योग निगम स्थापित करने की एक योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे मंजूर कर लिया गया है ; और

(ग) इसके कब स्थापित किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

उड़ीसा में हल्दी अनुसन्धान संस्था

5700. **डा० कोहोर** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के फूलबनी जिले में जी० उदयगिरी में हल्दी अनुसंधान संस्था कब खोली गई थी;

(ख) इसकी स्थापना के बाद प्रतिवर्ष कितनी प्रगति हुई ;

(ग) क्या देश में ऐसी अन्य अनुसन्धान संस्थाएं खोली गई है;

(घ) क्या काश्त तथा उर्वरक का कोई अच्छा तरीका निकाला गया है ; और अधिक फसल उगाने के लिये फारेस्ट-टिलर की बजाय उपयुक्त खाद का प्रयोग करके देखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ङ) : केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में हल्दी संबंधित कोई अनुसन्धान संस्था उड़ीसा अथवा किसी अन्य राज्य में नहीं खोली गई है। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है आवश्यक सूचना उनसे मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सतर्कता न्यायाधीश

5701. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब उच्च न्यायालय, दिल्ली के सर्किट बैंच में कितने सतर्कता न्यायाधीश काम कर रहे हैं; और

(ख) पंजाब उच्च न्यायालय के दिल्ली स्थित सर्किट बैंच के डिप्टी रजिस्ट्रार के पास 1 जनवरी, 1966 से 30 अप्रैल, 1966 तक कितनी शिकायतें आई है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) : पंजाब उच्च न्यायालय से जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

केरल में मछली पकड़ने के बन्दरगाह

5702. **श्री अ० व० राघवन :**

श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पोनानी, धर्मक्षम और पालकोड में मछली पकड़ने के बन्दरगाह बनाने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) **पोनानी** वर्तमान आवश्यकताएं पूरी करने के लिये राज्य मात्स्यकी विभाग ने मछली उतारने और जहाजों को घाट पर लगाने के लिये लगभग 300 फुट का घाट और उससे लगती भूमी प्राप्त की है। मत्स्य-हरण बन्दरगाह का निर्माण करने के लिये विस्तृत जांच-पड़ताल करने हेतु 1966-67 के राज्य बजट में 3.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

धर्मक्षम प्रारम्भिक तकनीकी विचार यह था कि मत्स्य-हरण बन्दरगाह बनाने के लिये धर्मक्षम उपयुक्त स्थान नहीं है क्योंकि खाड़ी के मूंह पर बलुई भित्ती बहुत कम दिखोई दी और पथरीली सतह भी देखी गयी तथा जलमग्न चट्टानों के होने की सम्भावना का भी सन्देह था। तथापि, केरल सरकार ने सम्भाव्य अध्ययन के लिये 1966-67 के अपने बजट में 1.00 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

पालकोड चौथी पंचवर्षीय योजना में इस स्थान पर मत्स्य-हरण बन्दरगाह बनाने का विचार किया गया है। आवश्यक सर्वेक्षण, अवभूमि जांच और यदि आवश्यक हुआ तो माडल टैस्ट किए जाएंगे। इनके लिये 1966-67 के राज्य बजट में रु० 2.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन मत्स्य-हरण बन्दरगाहों का निर्माण कार्य पूरा करने का विचार है बशर्ते कि जांच-पड़ताल के परिणाम अनुकूल हों।

Excess Payment to Transport Contractors

5704. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an excess payment of about Rs. 4,000 had to be made to M/s. Girish Chandra Dinesh Chandra contractors by the Regional Director, Food, New Delhi towards a transport contract at Hathras Depot;

(b) whether it is also a fact that the Regional Director, New Delhi, realised this amount of Rs. 4,000 from the said contractors later on; and

(c) if so, the circumstances under which the excess payment was made?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) M/s. Girish Chandra Dinesh Chandra were the handling and transport contractors at C. S. D. Hathras from 6-9-59 to 5-9-62. The distances from the Goods Shed to the various godowns in Hathras had been measured on 21-8-59. Payments were made to M/s. Girish Chandra Dinesh Chandra on the basis of this measurement. On 3-12-62, however, these distances were re-measured and, on this occasion, fond to be shorter. In the light of the distances as re-measured on 3-12-62 and

taken as correct, an amount of Rs. 4145.06 was found to have been overpaid to M/s. Girish Chandra Dinesh Chandra. This has therefore been recovered from them.

उड़ीसा में बीज खेत

5705. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई बीज खेत स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख): उड़ीसा में एक केन्द्रीय बीज फार्म की स्थापना का प्रश्न अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

Regional Director of Food

5706. **Shri Kishen Pattnayak :**

Shri Bagri :

Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to refer to the replies given to Starred Question Nos. 850 and un St. Q. No. 2680 on the 29th March, and 27th April, 1966 respectively and state :

(a) whether it is a fact that the present Regional Director of Food, has been a Regional Director of Northern Region since January, 1960 and thus has held this post for the last six years;

(b) whether it is also a fact that he suffered a loss of about Rs. 50 lakhs within two years from Depots situated in Agra, Harduaganj, Delhi, Kanpur and Meerut, etc. during his term;

(c) whether it is a fact that many inquiries are in progress in this connection on account of which the officials want the present Regional Director to continue here so that he may pacify the Inquiry Officers and stop the inquiries;

(d) whether it is a fact that files relating to the abovementioned depots have been sent to the Special Police Establishment for investigation;

(e) whether it is a fact that Superintendent (Police), Kotah House wrote to his Ministry in Feburary, 1966 requesting to hold an open inquiry into a loss of Rs. 8-10 lakhs at Agra Depot for which he held the Government officers responsible; and

(f) if so, the reasons for which his Ministry is hesitant to allow the Superintendent Police, Kotah House to hold an open inquiry?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) The present Regional Director (Food), Northern Region, has held this post since 31st December, 1958.

(b) No, Sir.

(c) It is not a fact that the officials want the present Regional Director to continue here so that he may pacify the Enquiry Officers and stop the enquiries.

(d) Yes, Sir.

(e) Yes, Sir.

(f) The Ministry has already agreed, in April last, to the Special Police Establishment holding an open enquiry.

मैसूर में अकाल की स्थिति

5708. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 29 मार्च, 1666 के तारांकित प्रश्न संख्या 853 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकाल पीड़ित लोगों को सहायता देने के सम्बन्ध में नियुक्ति की गई समिति ने मैसूर राज्य के बारे में क्या मुख्य सिफारिशें की है ;

(ख) योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) लोगों को सहायता देने के बारे में की गई सिफारिशों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) की गयी सिफारिशें और उन पर की गयी कार्यवाही के एक भाग में जिनका उल्लेख 29 मार्च, 1966 को तारांकित प्रश्न संख्या 853 के उत्तर में सभा के पटल पर रखे गये विवरण में किया गया था, सचिवों की समन्वय समिति ने मैसूर के बारे में कोई अलग से सिफारिशें नहीं की थी ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा में लघु सिंचाई योजनाएं

5709. **श्री रामचंद्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में खाद्य के अत्यन्त अभाव की स्थिति को देखते हुए आपातकालीन उपाय के रूप में इस वर्ष में क्रियान्विति हेतु उड़ीसा राज्य के लिये कोई लघु सिंचाई योजनाएं मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं पर कुल कितना खर्च होगा; और

(ग) क्या इन योजनाओं का सारा खर्च वहन करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख): 1966-67 के वित्तीय वर्ष में उड़ीसा में लघु सिंचाई के लिये 280 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के सूखे से प्रभावितक्षेत्रों के लिये लघु सिंचाई हेतु राज्य सरकार से 1 करोड़ रूपये की और रकम की सहायता के लिये प्रार्थना प्राप्त हुई है। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पम्प सैटों के वितरण के लिये 54 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि के लिये भी राज्य सरकार ने प्रार्थना की है।

अतिरिक्त राशि के बारे में राज्य सरकार की प्रार्थना पर विचार हो रहा है।

(ग) योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये प्रतिमान के अनुसार भारत सरकार ऋण तथा उपदान के रूप में लघु सिंचाई का व्यय वहन करेगी।

उड़ीसा में भूमि बंधक बैंक

5710. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965–66 में उड़ीसा राज्य में ऋण देने तथा ऋण-पत्र जारी करने के लिये भूमि बन्धक बैंकों को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1966–67 में उड़ीसा में इन बैंकों को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क), (ख) व (ग): केन्द्रीय सरकार भूमि बन्धक बैंकों के ऋण-पत्रों के लिये सीधे अंशदान नहीं देती है। तथापि सरकारी क्षेत्र की तीन संस्थाओं अर्थात् भारत के रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम और भारत के स्टेट बैंक द्वारा अंशदान दिया जाता है। उड़ीसा राज्य के लिये वर्ष 1965–66 में राज्य भूमि बन्धक बैंक द्वारा 80 लाख रुपये तक के ऋण-पत्र जारी करने का एक कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था, जिसमें से इन तीन सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं का स्वीकृत अंशदान 40 लाख रुपये का था। वर्ष 1966–67 में उड़ीसा के लिये 80 लाख रुपये का ऋण पत्र कार्यक्रम स्वीकार किया गया है, जिसमें से ये तीन सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं 48 लाख रुपये का अंशदान देंगी ।

उड़ीसा में रेलवे की भूमिका लिया जाना

5711. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अब तक रेलवे से कुछ कृषि योग्य भूमि ले ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि को खेती के हेतु बांटने के लिये सरकार ने क्या तरीका अपनाया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस भूमि को खेतीहर श्रमिकों तथा छोटे काश्तकारों में बांटने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी उड़ीसा सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

परीक्षणात्मक नल-कूप संगठन

5712. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में 1965–66 में परीक्षणात्मक नलकूप संगठन द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : 1965–66 में समन्वेषी नलकूप संस्था ने उड़ीसा में कोई कार्य नहीं किया है।

बम्बई-बड़ोदा विमान सेवा

5713. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री बृजवासी लाल :
श्री जसवन्त मेहता :

(क) क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि 23 अप्रैल, 1966 को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने यह घोषणा की थी कि उसकी बम्बई-बडौदा दैनिक विमान सेवा बन्द कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां, बम्बई-बड़ौदा विमान सेवा 25-4-1966 से बन्द कर दी गई।

(ख) बडौदा में अच्छे मौसम की हवाई पट्टी विमान परिचालन के लिये बेकार हो गयी थी। धावन पथ को लम्बा और मजबूत करने के प्राक्कलन अब सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गए हैं।

Prices of fertilizers

5714. Shri Rattan Lal : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to reduce the prices of fertilizers for distribution with a view to grow more food; and

(b) if so, the nature of the decision taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misnra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पंजाब में राष्ट्रीय राजपथ

5715. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री साधू राम :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने राज्य की कुछ सड़कों के सामारिक महत्व को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उन सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर दे ;

(ख) यदि हां, तो वे सड़के कौन कौन सी हैं; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेडी) : (क) से (ग) : 1964 में पंजाब सरकार ने निम्न राज्य सड़कों को राष्ट्रीय मुख्य मार्ग योजना में शामिल किये जाने का सुझाव दिया था ;

1. चण्डीगढ़—लुधियाना—फीरोजपुर सड़क
2. चण्डीगढ़—पटियाला—तोबना—हिसार—राजगढ़ सड़क

3. सूरतगढ़--अबोहर--मुक्तसर--कोटलापुरा--जीरा--माखू--अमृतसर--पठानकोट--मण्डी सड़क ।

4. फीरोजपुर--भटिंडा--जखारा--जिन्द--रोहतक सड़क ।

अभी हाल ही में एक और सड़क अर्थात, चक्की--धार--उधमपुर का भी सुझाव दिया गया है। अपनी सिफारिश के लिये जो कारण बताये गये है उनमें राज्य की अन्य जरूरतों के साथ प्रतिरक्षा आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। चौथी योजना में राष्ट्रीय मुख्यमार्ग योजना में सड़कों को लेने का निर्णय करते समय राज्य सरकार की सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा। किन्तु सड़कों के लिये चौथी योजना के आवंटन संबन्धी उपलब्ध संकेतो के अनुसार उस योजना में राष्ट्रीय मुख्य मार्ग योजना के किसी भी आकारमय विस्तार को हाथ में लेना संभव नहीं होगा।

दिल्ली के गांवों में राशन व्यवस्था

5716. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के गांवों में राशन व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राशन व्यवस्था कब लागू की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दिल्ली के 91 नगरीय गांव में पहले से सांविधिक राशन व्यवस्था लागू है। अन्य गावों में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राशनिंग विभाग में कर्मचारी

5717. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राशनिंग विभाग के लिये दिल्ली प्रशासन को श्रेणी वार कुल कितने कर्मचारियों की मंजूरी दी गई ;

(ख) अब तक श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये है ;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या उनके लिये रक्षित किये गये पदों की प्रतिशतता के बराबर है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) रक्षित पदों को भरने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग): अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6381/66।]**

(घ) जी नहीं।

(ङ) सभी श्रेणी के पदों की भर्ती अधिकांशतः दिल्ली प्रशासन और भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के व्यक्तियों के स्थानान्तरण से की गयी है। सीधी भर्ती सामान्यतः चतुर्थ श्रेणी के पदों और निरीक्षकों तथा निम्न श्रेणी लिपिकों के कुछ पदों के लिये की गयी है। स्थानान्तरण से नियुक्त के मामले में अनुसूचित जातियों आदि के लिये आरक्षण के नियमों का पालन

करना सम्भव नहीं हुआ है। सीधी भर्ती से भरे गये पदों के मामले में सम्भवता सीमा तक इन नियमों का पालन किया गया है और अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जिने उपयुक्त उम्मीदार उपलब्ध थे, नियुक्त किये गये हैं।

(च) जब कभी सीधी भर्ती से रक्षित पदों को भरा जाना होता है, विशेष तौरपर रोजगार दिलाउ कार्यालय से याचना की जाती है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उमिदवार भेजे। चुनाव में ऐसे उमीदवारों को तरजीह दी जाती है।

मोटरगाड़ियों के पंजीयन तथा मोटरगाड़ियां चलाने के स्थाई लाइसेंसों के प्रपत्र

5718. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री मोटर गाड़ियों के पंजीयन तथा मोटरगाड़ियां चलाने के स्थायी लाईसेंसों के प्रपत्रों के बारे में 30 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1585 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 और 1966 में कितने नाम पंजीकृत किये गये तथा मोटरगाड़िया चलाने के कितने स्थायी लाइसेंस दिये गये;

(ख) कितने पंजीयन-पत्र तथा कितने लाइसेंस उपयुक्त पुस्तिका के रूप में दिये गये थे और कितने साधारण कागज पर दिये गये थे;

(ग) जिन व्यक्तियोंको साधारण कागज पर ये कागजात दिये गये थे, या उन्हें सूचित किया गया है कि वे उन्हें उपयुक्त पुस्तिक प्रपत्रों में बदलवा ले; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई सुधार किये गये है, तो वे क्या है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क)

	पंजीकृत गाड़ियों की संख्या	जारी किये गये मोटर गाड़ियां चलाने के लाइसेंसों की संख्या
1965	13595	15161
1966 (31-3-66 तक)	2650	3665

(ख)

	पुस्तिका के रुप में जारी किये गये डाकूमेंट		साधारण कागज पर जारी किये गये डाकूमेंट	
	पंजीयन प्रमाणपत्र	चलाने के लाइसेंस	पंजीयन प्रमाणपत्र	चलाने के लाइसेंस
1965 . . .	302	2253	13289	12908
1966 (31-3-66 तक)	120	3665	2530	3665

(ग) जी हां।

(घ) 10-11-1965 से सब नये मोटर गाड़ियां चलाने के लाइसेंस पुस्तिका रूप में जारी किये जा रहे हैं। पंजीयन और गाड़ियां चलाने की लाइसेंस पुस्तिकाओं की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा जरूरी कार्यवाही की जा रही है।

Cooperative Credit and Thrift Society Ltd. of Minister of Food and Agriculture

5719. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Ministry of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state:

(a) the reasons for the money deposited in the fixed deposits with the Cooperative Credit and Thrift Society Ltd., Ministry of Food and Agriculture situated at Krishi Bhavan not being returned to the depositors when they need for at the lapse of the fixed deposit period;

(b) whether it is a fact that although the society is reluctant to return the money to the fixed depositors, yet it is advancing loans to some persons in the form of emergent loans; and

(c) if so, the steps Government propose to take to ensure that the money put in the fixed deposits is returned to the persons concerned?

The Deputy Minister in the Ministry of Food , Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra): (a) to (c). The financial position of the society is generally sound. The society is, however, having certain temporary difficulties as depositors are not renewing their deposits as usual. However deposits are being returned to the depositors as and when outstanding loans are realised from members. During the period November, 1965 to April, 1966 the society refunded Rs. 2,63,141 to depositors while it loaned only Rs. 52,000 to its members. In view of this position it is not proposed to take any action unless the creditors themselves seek remedy under Section 44 of the Bombay Cooperative Societies Act, 1925, as extended to Delhi.

केरल में चावल का राशन

5720. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में होटलों को मिलने वाले चावल के राशन में पच्चीस प्रतिशत कमी कर दी गई है; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या कारण था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) इस वर्ष देश में खाद्य सप्लाई की कठिन स्थिति विशेषकर चावल के बारे में, को देखते हुये अधिक से अधिक मात्रा में चावल संरक्षित करने के लिये सभी सम्भव उपाय करने पड़ेंगे। तदनुसार सभी राज्य सरकारों को एक सुझाव दिया गया था कि वे सोमवार की सांय को अनाज रहित भोजन परोसने के अलावा, चावल खाने वाले राज्यों में सप्ताह में अन्य एक दिन और दूसरे राज्यों में सप्ताह में दो दिन भोजनालय में चावल परोसने की मनाही के बारे में सांविधिक आदेश जारी करें। केरल सरकार ने सांविधिक आदेश जारी नहीं किये हैं लेकिन उन्होंने केन्द्रीय सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये राज्य में भोजनालयों के चावल के कोटे में कटौती कर दी है।

बम्बई-भावनगर विमान सेवायें

5721. श्री जसवन्त मेहता : क्या **परिवहन, नौवहन, उड्डयन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और भावनगर के बीच विमान सेवाएं पुन: आरम्भ करने में विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) भावनगर हवाई अड्डे के धावन पथों के विस्तार के लिये कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(घ) निर्माण-कार्य को शीघ्र पूरा कराने तथा विमान सेवा पुनः चालू कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्यन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) धावन पथ के विस्तार और मजबूत करने के लिये स्वीकृत प्राक्कलन अनुमानतः 36.6 लाख रुपये है।

(घ) निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है और विमान सेवाओं के जल्दी आरंभ होने की आशा है।

मैसूर में खाद्यान्न का उत्पादन

5722. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में मैसूर राज्य में खाद्यन्न का कितना उत्पादन हुआ और राज्य सरकार ने किसने खाद्यन्न की कमी के बारे में बतलाया, और

(ख) ग्रामीण उचित मूल्य वाले डिपो के जरिये संभरण के लिये ग्रामीण जनता की खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये पिछले दो महीनों में खाद्यान्न के कम उत्पादन को किस हद तक पूरा किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) वर्ष 1965–66 के सभी खाद्यान्नों की उपज के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है तथापि, मैसूर सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि उन्हें 1966 में अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये बाहर से लगभग 9 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) भारत सरकार राज्य को सप्लाई किये गये खाद्यान्नों का कोई भी भाग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये निर्धारित नहीं करती है। राज्य के अन्दर खाद्यान्नों के वितरण का सारा दायित्व राज्य सरकार का है और यह वितरण राज्य में समस्त उपलब्धि और कमी वाले इलाकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है। मार्च और अप्रैल, 1966 के महीनों में मैसूर सरकार को केन्द्रीय स्टाक से 15 हजार मीटरी टन चावल, 89.4 हजार मीटरी टन गेहूं और 60 हजार मीटरी टन माइलों का नियतन किया गया था।

केरल में मछली पकड़ने का उद्योग

5723. **श्री अ० ब० राघवन :**

श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास करने के लिये अमरीका के मैसर्स वेन केम्प सी० फूड के साथ एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है; और

(ग) मछली उद्योग निगम में राज्यों द्वारा कितनी राशि के अंश खरीदे गये है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : विदेशी को शिरम्प का निर्यात करने के प्रमुख उद्देश्य से समुद्री पदार्थों और सहपदार्थों का निर्माण करने के लिये एक अमरीकी फर्म के सहयोग से एक सहकारी सीमित कम्पनी जिसका मुख्यालय कोचीन में होगा, स्थापित करने का विचार है, करार जोकि अभी सम्पन्न होना है, का मुख्य उद्देश्य अमरीकी फर्म द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी का प्रयोग करना, समुद्री पदार्थों को तैयार करने में सहायता देना, तट संबंधी सुविधाएं मत्स्य हरण जहाज और अन्य उपकरणों की स्थापना, अनुरक्षण और कार्यचालन, मत्स-हरण स्थलों की खोज तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और विदेशी मंडियों में उन पदार्थों की बिक्री करनी है।

(ग) प्रस्तावित सीमित कम्पनी की हिस्सा पूंजी में राज्य के भाग लेने का प्रश्न विचाराधीन है।

गुजरात के बन्दरगाहों के लिये ड्रेजर्स (तल से कीचड़ निकालने वाले यंत्र)

5724. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बन्दरगाहों पर समुद्रतल से कीचड़ निकालने के लिये गुजरात सरकार ने ड्रेजरों की मांग की है ;

(ख) सरकार के पास इस समय कितने ड्रेजर बेकार पड़े है ; और

(ग) गुजरात के तटवर्ती बन्दरगाहों में इन ड्रेजरों का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : भारत सरकार के पास कोई भी निर्ष्कषक बेकार नहीं है। अभी ही में एक 22'' कटर सेक्शन निकर्षक को भावनगर में भेजे जाने की आज्ञा दी गई है जहां वह निकर्षक कार्य करेगा। निकर्षक कलकत्ता से भावनगर के मार्ग में है।

Delhi-Patna Air Flights

5725. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that direct Delhi-Patna air flights have been stopped;

(b) if so, the reasons therfor; and

(c) when direct flights are likely to be resumed?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping & Tourism (Sari N. Sanjiva Reddy) : (a) to (c). Delhi-Banaras-Patna-Calcutta service continues to be operated by the same aircraft, but for administrative purposes, it has been given two service Nos. *viz.* Ic-411/412 (Delhi-Banaras) and IC-209/210 (Banaras-Patna-Calcutta).

Co-operative Societies in States

5726. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the fact that Government still exercises direct or indirect control on co-operative societies in several States;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to end the control exercised?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) to (c). The working of the cooperative societies registered in the different States is regulated according to the provisions of the Co-operative Societies Acts enacted by State Legislatures. These Acts confer some duties and responsibilities on the Registrars of Co-operative Societies with regard to regulation, supervision and audit of the working of co-operative societies. The object of these legal provisions is to assist cooperative societies in developing on sound lines.

In the very nature of things some regulatory powers over co-operative societies have to be exercised by the Registrars of Co-operative Societies appointed by the State Governments. It has, however, been the Government policy that such regulatory powers and functions of the Registrar should be progressively reduced to the minimum necessarv, consistent with the basic objective of assisting the co-operative societies to develop their activities on sound lines. The following important measures have been taken towards this end:

(i) Wherever Government officials have been holding key positions in coope rative societies, such as Chairman of the Committee of Management, State Governments have been advised to replace such officials by elected non-officials;

(ii) Formation of federal co-operative organisations at State/national level has been encouraged. Provision has been made in the Co-operative Acts of several States to enable State Governments to confer some of the powers of the Registrar on the federal organisations;

(iii) It has been accepted as a general policy that where Government participate in the share capital of a society, Government should not nominate more than 3 directors or one-third of the total number of directors, whichever is less, and such nominated directors should have no power of veto.

अकाल क्षेत्रों में सहायता कार्य

5727. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में अकाल संहिता के अन्तर्गत विशेष निर्माण कार्य कार्यक्रम आरम्भ करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने के लिये स्थायी व्यवस्था करने के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार सूखा से प्रभावित विभिन्न राज्यों में शुरू किये गये राहत कार्यों और उन पर काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

राज्य का नाम	राहत कार्यों की संख्या	राहत कार्यों पर काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या
मध्य प्रदेश	3,153	8,29,300
महाराष्ट्र	5,862	5,44,897

राज्य का नाम	राहत कार्यों की संख्या	राहत कार्यों पर काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या
उड़ीसा	19,000	3,30,000
मैसूर . . .	2,103	1,49,372
राजस्थान	1,151	2,10,770
गुजरात	500	8,90,000
आन्ध्र प्रदेश	3,334	97,701

(ख) स्थायी परिसम्पति के सृजन के लिये कोई अलग आवंटन नहीं किये गये हैं लेकिन राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे राहत कार्यों के द्वारा योजना स्कीमों की कार्यान्विति के लिये अग्रिम कार्यवाही करें जिससे स्थायी परिसम्पति का सृजन हो सके।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

5728. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सं० मो० बनर्जी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दाजी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी ने सरकार से तीन करोड़ रुपये का ऋण अविलम्ब देने के लिये अनुरोध किया है, जब कि इस कम्पनी के विरुद्ध कुप्रबन्ध सम्बन्धी आरोपों के बारे में जांच अब भी की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किस कार्य के लिये मांगा गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं। केवल 1.5 करोड़ रुपये के ऋण की प्रार्थना प्राप्त हुई थी और बाद में यह वापस ले ली गई।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन बन्दरगाह

5729. **श्री दाजी :**
श्री वारियर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन बन्दरगाह में प्रयोग में लाने के लिये हालैंड से खरीदी गई फ्लोटिंग क्रेन गत छः महीनों से बेकार पड़ी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्रेन की कुल लागत कितनी है; और

(घ) क्रेन का शीघ्र उपयोग करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां। तिरती क्रेन मेसर्स हेनसेनस आफ रौटरडम से मंगाई गयी थी, कोचीन पत्तन में दिसम्बर 1965 में पहुंच गयी है।

(ख) उसमें जेनरेटर और पावर आउटपुट से संबंधित कुछ त्रुटियां थी। करार में दी गयी गति से इसकी पानी में चलने की गति कम थी।

(ग) 21.5 लाख रुपये कस्टम ड्यूटी को मिलाकर इसकी कुल कीमत 68 लाख रुपये है।

(घ) जेनरेटर और पावर आउटपुट से संबंधित त्रुटियां मार्च में ठीक कर दी गई थी। जहां तक गति का संबंध है, इस विषय पर पत्तन ट्रस्ट और उत्पादक कम्पनी के बीच बातचीत हो रही है। चूंकि इस त्रुटि का चालन कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिये पत्तन ट्रस्ट क्रेन को काम में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बशर्ते जब तक इसे बंबई भेजने और सूखी गोदी में उस के हल का परीक्षण करने के लिए प्रबंध नहीं हो जाता है, तब तक वैध सुरक्षण हो।

Export of Potatoes

5730. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that potatoes are being exported to Ceylon and Middle East countries from Uttar Pradesh;

(b) if so, the amount of foreign exchange likely to be earned therefrom;

(c) whether Government propose to import good quality seed potatoes from abroad; and

(d) the quantity of potatoes produced in Uttar Pradesh this year?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) and (b). Export Statistics of potatoes like any other commodity are maintained on all-India basis and not on State-wise basis. It is, therefore, not possible to indicate the quantity and value of potatoes exported from the State of Uttar Pradesh alone to any foreign country during any period.

(c) No; Sir.

(d) Production estimates of potatoes in Uttar Pradesh for 1965-66 season are not yet available.

Branches of Food Corporation of India in States

5731. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government propose to open branches of the Food Corporation of India in Uttar Pradesh;

(b) if so, the districts where these branches would be opened and the benefit that would accrue to the public;

(c) the percentage of share of the Central Government and State Government respectively; and

(d) the number of similar branches opened in other States?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir. An office will be set up by the Food Corporation of India at Lucknow shortly.

(b) The districts where the Corporation will open branches and other details have not yet been decided upon.

(c) The Corporation is wholly financed by the Central Government.

(d) As on 1-4-1966, the Corporation had the following branches/offices:

Regional Offices	8
Sub-regional Offices	1
District Offices	34

वाराणसी में नया होटल

5732. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल पर्यटन निगम ने वाराणसी में एक नया होटल बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना खर्च किया जायेगा ; और

(ग) इस होटल को बनाने के मुख्य कारण क्या है जब कि वाराणसी में इस समय पाश्चात्य ढंग के होटलों की मांग कम है ?

परिवहन, उडडयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) भारत पर्यटक होटल निगम द्वारा वाराणसी पर के होटल का निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) चूंकि इसका साइज और व्यवस्था किये जाने वाले आवास की श्रेणी अभी विचाराधीन है इसलिये इस समय इसकी लागत बताना संभव नहीं है।

(ग) यदि होटल निगम वाराणसी में होटल बनाने का निर्णय करता है तो उस के पूरा होने में दो या तीन वर्ष लगेंगे। निगम द्वारा किये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण से मालूम होता है कि जब तक यह होटल तयार होता है तब तक पर्यटक यातायात में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी जिस से नये होटल के लिये, वाराणसी के मौजूदा होटलों पर बिना बुरा असर डाल, मुवक्कलें की व्यवस्था हो जाएगी।

वाराणसी में होटल

5733. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये वाराणसी में इस समय पाश्चात्य ढंग के कितने होटल है ;

(ख) इन होटलों में इस समय कुल कितने लोग ठहरते हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में इस नगर में होटलों में औसतन कितने व्यक्ति ठहरे हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) वाराणसी में दो होटल हैं जो पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में हैं और वे पर्यटकों द्वारा प्रयुक्त किये जाने के लिये पर्याप्त उपयुक्त समझे जाते हैं।

(ख) इन होटलों की कुल क्षमता नीचे दी जा रही है :—

क्लार्कस होटल	होटल डी पेरिस
69 कमरे	32 कमरे

(ग) इन दो होटलों में ठहरने का औसत अनुपात नीचे दिया जा रहा है :—

	क्लार्कस होटल	होटल डी पेरिस
1963–64	56 प्रतिशत	27 प्रतिशत
1964–65	60 प्रतिशत	32 प्रतिशत
1965–66	53 प्रतिशत	29 प्रतिशत

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत, यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के बीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय शिखर-सम्मेलन

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :–

"भारत, यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के बीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय शिखर-सम्मेलन"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : बड़ी संख्या में नए आज़ाद देशों ने, खास तौर से एशिया और अफ्रीका के देशों ने, गुटों से अलग रहने की जो नीति अपनाई है, उसका शांति और अंतर्राष्टीय मेलजोल में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और युगोस्लाविया उन देशों में से हैं जिन्होंने शांति और गुटों से अलग रहने की निति को बढ़ावा देने में सक्रिय पार्ट अदा किया है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, राष्ट्रपति टीटो, राष्ट्रपति नासर और प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ब्रयोनी और काहिरा में पहले दो बार मिल चुके हैं।

जब से काहिरा में गुटों से अलग देशों का सम्मेलन हुआ है, तब से गुट रहित देशों की एक मीटिंग करने का विचार समय-समय पर रखा गया है। काहिरा के ढंग का दूसरा बड़ा सम्मेलन करने में काफी कठिनाइयां है और इसे माना भी गया है। जब युगोस्लाविया के प्रधान मंत्री भारत आए थे, तब चुने हुए देशों की शिखर बैठक आयोजित करने पर चर्चा हुई थी। प्रधान मंत्री ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विनिमय करने के उद्देश्य से इस प्रकार की मीटिंग करने की उपयोगिता के महत्व को माना था।

युगोस्लाविया, संयुक्त अरब गणराज्य और भारत की सरकारों के बीच सलाह-मशविरा हुआ है और यह महसूस किया गया है कि इन देशों की सरकारों के प्रमुखों की मीटिंग करना उपयोगी होगा। मीटिंग के लिए परस्पर सुविधाजनक समय और स्थान के बारे में राजनयिक तौर पर मशविरा अब भी हो रहा है।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे, संयुक्त अरब गणराज्य और युगोस्लाविया के बीच निकट मैत्री और समझ-बूझ विद्यमान है। तीन देशों की सरकारों के प्रमुखों की मीटिंग से समान दृष्टिकोन के आधार पर न केवल वर्तमान संबंध सुदृढ होंगे बल्कि विश्व की इस कठिन और संकटपूर्ण स्थिति में इससे शांति, स्वतन्त्रता और गुटों से अलग रहने की शक्तियों को और सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी।

Shri Yashpal Singh : In view of the fact that Yugoslavia and U.A.R. have neither declared that China is an aggressor and is in illegal occupation of 38,000 Sq. miles of Indian territory and not that Kashmir is an integral part of India, no use ful purpose will be served by holding this summit meeting.

Shri Swaran Singh : This presumption is wrong. This meeting would be very useful.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि वह इस प्रस्तावित शिखर-सम्मेलन का समर्थन करेगी और प्रयत्न करेगी कि सम्मेलन यहीं भारत में ही हो। जिस से भारत अपने पडौसियों के साथ अपने विवादो को निपटाने के लिये प्रयत्न कर सके क्योंकि यदि अशान्ति बनी रहेगी तो हम आर्थिक उन्नति नहीं कर सकेंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस सम्मेलन के पक्ष में हैं और यदि युगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के नेताओं के लिये भारत में आना सुविधाजनक हो तो हम उन के इस निर्णय का स्वागत करेंगे। सामान्यता ऐसे उच्च शिखर सम्मेलनों में द्विपक्षीय विवादों को नहीं सुलझाया जाता है। क्योंकि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करना होगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): In view of the fact that the policy of non-alignment has made our Government swing its balance alternately towards Russ a and America and also that it has proved infructuous, do Government propose to rectify these two mistakes?

Shri Swaran Singh : It is wrong to say that these are mistakes and as such there is no need to reconsider the policy.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, this is no reply He may say thousand times that I am wrong but at least he should say that our policy of non-alignment has not made us swing our balance either towards America or towards Russia. There is no such country who is really pursuing the policy of non-alignment. Either it swings its balance towards America or towards Russia.

Shri Swaran Singh : We Indians do not swing our balance to any side. We are truly non-aligned.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर): क्या मैं जान सकता हूं कि किन समस्याओं के कारण यह सम्मेलन बुलाया जा रहा है ? संयुक्त अरब गणराज्य के समाचारपत्रों में छपा है कि इस सम्मेलन में वियतनाम तथा काश्मीर के मामलों पर विचार किया जायेगा, क्या यह सही है? काश्मीर के बारे में, जो हमारा आन्तरिक मामला है, कोई भी अनिश्चितता न केवल खतरनाक ही है परन्तु उत्साह को भी भंग करने करने वाली है। वियतनाम के बारे में क्या कोई ठोस चर्चा की जायेगी अथवा केवल किसी की निन्दा ही की जायेगी अथवा क्या समझौते का कोई आधार ढूंढा जायेगा?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैंने बताया गुटों से अलग देशों द्वारा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। मेरे लिये यह कहना तो सही नहीं होगा कि किन विशिष्ट विषयों पर चर्चा की जायेगी। मैं ने भी इस प्रकार की प्रेस रिपोर्ट देखी हैं जिनका माननीय सदस्य, श्री माथुर ने उल्लेख किया है। परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि यह केवल कल्पित बातें हैं तथा इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं की गई है कि इस सम्मेलन में किन विषयों पर विचार किया जायेगा। इतना अवश्य कह सकता हूं कि शान्ति की शक्तियों को सुदृढ़ बनाने के लिये निश्चय ही चर्चा की जायेगी। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा जाये।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): पूर्व-अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुटों से अलग राष्ट्र वास्तव में गुटों से अलग नहीं है जैसा कि श्री नासर द्वारा हाल ही में दिये गये वक्तव्य से स्पष्ट होता है जिस में उन्होंने चीन का पक्ष लिया है तथा चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में जैसा कि वियतनाम के मामले में गुटों से अलग राष्ट्रों की आवाज़ कमज़ोर होती जा रही है, क्या सरकार अब यह स्वीकार करती है कि इस प्रकार की मीटिंगें विलासी क्लब मीटिंगों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस सम्मेलन में भारत तथा युगोस्लाविया जैसे वास्तव में ही गुटों से अलग राष्ट्र ही भाग ले ?

श्री सुवर्ण सिंह : युगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य दोनो वास्तव में ही गुटों से अलग देश हैं और वे हमारे मित्र भी हैं। माननीय सदस्य द्वारा इन देशों की तटस्थता के बारे में शंका करना बड़ खेद की बात है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि क्या यह केवल एक विलासी क्लब मीटिंग होने जा रही है मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक उच्चस्तरीय सम्मेलन है जिस में तीन महत्वपूर्ण गुटों से अलग देश विचार विमर्श करेंगे और हमें इस प्रकार की महत्वपूर्ण सम्मेलन की उपयोगिता के बारे में शंका नहीं होनी चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि गुटों से अलग देशों का एक बड़ा सम्मेलन बुलाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में गुट से अलग राष्ट्रों के भिन्न भिन्न मत हैं। इन तीन देशों के बारे में, जिनको शिखर-सम्मेलन बुलाये जाने का प्रस्ताव है, क्या यह सही नहीं है कि संयुक्त अरब गणराज्य एक गुट रहित देश नहीं है और पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के बारे में इस का एक निष्पक्ष मत नहीं था और जब ये सभी देश मामलों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं तो इस प्रस्तावित त्रिपक्षीय सम्मेलन से क्या लाभ होगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : महोदय, श्री द्विवेदी के दल के ही एक सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि संयुक्त अरब गणराज्य निश्चय ही गुटों से अलग देश है क्योंकि वह दोनों बड़े ब्लाक में से किसी में नहीं है। यह हो सकता है कि सभी पहलुओं पर गुटों से अलग राष्ट्रों के मत एक जैसे न हों। गुटों से अलग रहने की नीति का सार यह है कि किसी देश को किसी अन्तर्राष्ट्रीय मामले पर इसके गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष रुप में विचार करने का अधिकार है। हो सकता है कि वह देश जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वह दूसरे गुटों से अलग देशों को स्वीकार्य न हो। गुटों से अलग रहने की नीति की यह कोई अच्छी कसौटी नहीं होगी कि गुटों से अलग सभी राष्ट्र किसी अन्तर्राष्ट्रीय मामले अथवा किसी द्विपक्षीय मामले के बारे मे हमारे दृष्टिकोणों से सहमत हों। यदि कोई देश हमारे किसी द्विपक्षीय विवाद में हम से सहमत नहीं है तो हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये और यही हमारा प्रयत्न रहा है कि हम उस देश को समझायें कि वह सच्चाई को माने। हमारा यह मत है कि संयुक्त अरब गणराज्य तथा युगोस्लाविया दो ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जो गुटों से अलग हैं और वे एक स्वतंत्र नीति अपनाते है और प्रश्नों का निर्धारण उनके गुण-दोषों के आधार पर करते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार प्रस्तावित सम्मेलन में चीन की नाभिकीय धमकी का प्रतिकार करने हेतु किये जानेवाले उपायों के बारे में इन दो देशों से बातचीत करना चाहती है और यदि हां, तो क्या सरकार इन राष्ट्रों से पहले ही पत्रव्यवहार कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस बारे में हम कई देशों से पत्रव्यवहार कर रहे हैं। गुटों से अलग देशों के पिछले सम्मेलन में भी इस मामले पर विचार किया गया था। इस सम्बन्ध में हम अन्य देशों से भी विचार-विमर्श करेंगे ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के भूतपूर्व महासचिव श्री आर० के० नेहरूने एक शिक्षा गोष्ठी में बोलते हुए कहा है कि गुटों से अलग रहने की नीति जैसी कोई चीज़ नहीं है और कि हमें एक सकारात्मक नीति अपनानी चाहिये। क्या सरकार ने नीति में परिवर्तन किया है अथवा सरकार की वही पुरानी नीति है? क्या उक्त मत तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये वक्तव्य में परस्पर विरोध नहीं पाया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। श्री दी० चं० शर्मा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : क्या इस सम्मेलन में वियतनाम, चीन का सेनावाद जर्मनी का पुनर्विलय, रोडेशिया द्वारा अफ्रीकियों को धमकी और अमरीका से सम्बन्धित कुछ मामलों पर भी विचार किया जायेगा ? क्या किसी मामले पर विशिष्ट रूपसे विचार किया जायेगा अथवा नहीं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे विश्वास है कि विशिष्ठ मामलों पर भी विचार किया जायेगा परन्तु अन्तिम विवरण में क्या सम्मिलित किया जायेगा इस बात का निर्णय तो तीनों नेताओं द्वारा किया जायेगा। हो सकता है वे उन सभी मामलों को, जिनपर विचार किया गया हो, इस विवरण में शामिल न करें।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : यदि इन देशों का, भारत-चीन संघर्ष जैसे वास्तविक संकट के समय, हमें कोई लाभ नहीं है तो हम इन अनुपयोगी सम्मेलनों में अपना समय बेकार क्यों नष्ट कर रहें है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे विश्वास है कि हम समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों तथा हमारे देश से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में यह सम्मेलन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : साम्यवादी चीन ने गुटों से अलग देशों द्वारा रखे गये कोलम्बो प्रस्तावों का गला घोंट दिया है, क्या सरकार प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में इन प्रस्तावों को बचाने के लिये इन देशों से आग्रह करेगी?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं प्रश्न के पिछले भाग को नहीं समझ पाया है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि तटस्थ देशों का पहला कदम कोलम्बो प्रस्ताव का और उसका गला घोंट दिया गया है। क्या यह बैठक उसी को बचाने के लिये होगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : भारत ने तो कोलम्बो प्रस्ताव मान लिये थे परन्तु चीन ने नहीं माने थे। इस लिये उन प्रस्तावों को मेरे विचार में अब दोबारा नहीं उठाया जायेगा।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कौनसे मामलें हैं जिन के लिये यह दो नेता मिलने आ रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : संसार के सामने बहुत सी समस्याओं हैं जैसे वियतनाम समस्या, दक्षिण रोडेशिया आदि जिन पर बात हो सकती है।

ध्यान दिलाने की सूचनाओ के बारे में
RE: CALLING ATTENTION NOTICES

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्नों के बारे में कई नोटिस आये हैं। एक तो देश के कुछ भागों में सुखा पड़ने के बारे में है जिस पर अभी चर्चा कर चुके हैं। दूसरा काश्मीर में बम विस्फोट के बारे में है। उसे मैंने मंजुर कर लिया है और 5 बजे लेंगे। क्योंकि इन सब पर चर्चा करना असंभव है मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री से कहूंगा कि वह सदस्यों को अपना वक्तव्य भेज दें ताकि फिर यह समाचार पत्रों को भी दिया जा सके।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): हमें यहां लाबी में समाचार मिला है कि निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री पर गोली चलाई गई है जिस के कारण उनका अंग रक्षक मारा गया। क्या मंत्री महोदय इस पर भी वक्तव्य देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उसका पता लगाऊंगा।

संविधान संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में नियम संख्या 338 के निलम्बन के बारे में
RE: SUSPENSION OF RULE 338 IN RELATION TO CONTRIBUTION AMENDMENT BILL

अध्यक्ष महोदय : मैं यह घोषणा करना चाहता हूं, कि मैं ने सदन के नेता से बात की है और यह फैसला किया है कि संविधान संशोधन विधेयक को पुर:स्थापना के बारे में नियम को निलंम्बित नहीं करेंगे बल्कि अगला सत्र जुलाई में शीघ्र बुलाया जायेगा।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : अध्यक्ष महोदय, 11 मई को लोक सभा में उड़ीसा में अकाल के बारे में चर्चा हुई। "इंडियन एक्सप्रैस" ने उन सदस्यों के नाम छापे हैं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया परन्तु श्री ही० ना० मुकर्जी का नाम नहीं छापा। इस लिये मैं यह विशेषाधिकार का प्रश्न रखता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस पर कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष महोदय : इंडियन एक्सप्रैस के सम्पादक ने मुझे एक पत्र लिखा है और कहा है कि समाचार पत्र में स्थान कम होने के कारण वह श्री ही० ना० मुकर्जी का नाम नहीं छाप सके। मैं समाचार पत्र की ओर से अध्यक्ष तथा संबंधित सदस्य की अपनी ओर से इसका खेद प्रकट करता हूं।

श्री रंगा : मेरा विचार यह है कि इस मामले को समाप्त किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं समाचार पत्रों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और सावधानी से कार्य करें।

वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बारे में

RE: REORGANISATION OF PRESENT STATE OF PUNJAB

अध्यक्ष महोदय : मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि यहांपर पंजाब के जो सदस्य हैं उनके मन में कल के प्रस्ताव के विफल होने के कारण बड़ी चिन्ता है। मैं ने सदन के नेता से बात की है और उन्होंने कहा है कि दोनों राज्यों की स्थापना के बारे में कोई अन्तर नहीं आया है। इस बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT (QUESTION)

Shri Bagri (Hissar): Mr. Speaker, my adjournment motion comes under the rules. If it is put off it will give repulsion to the Indian people who have so much in Lok Sabha regarding the security of India.

Mr. Speaker : Please resume your seat. I have disallowed this adjournment motion. Even their latest publication pertains to the year 1964 and so there is nothing new in that.

Shri Maurya (Aligarh) : It has come to the library only yesterday.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Mr. Speaker, I had a talk yesterday with the United Nations Information Service and they informed me that the latest publication pertains to the year 1964 and it was published in February this year. It came to India in April and in Parliament library it came on 12th April 1966. The figures given by Government are of great surprise to me as it will create a difference of about 2,60,000 kilometres.

Mr. Speaker : Will the Minister of **Education** is prepared to make a statement about it ?

1953 और 64 में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत के क्षेत्रफल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: AREA OF INDIA AS PUBLISHED BY U. N. O. AND THE SURVEY OF INDIA IN 1953 AND 1964

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): 14 मई 1966 को डा० राम मनोहर लोहिया ने "इंडिया ए रेफ्रेंस एन्नुल 1953" काम की पुस्तिक का जिक्र किया जिसमें भारत का क्षेत्रफल 12,69,640 वर्ग मिल लिखा है। यह आंकडे एक "सर्वे आफ इंडिया" के अनुमान पर आधारित थे और बाद में यह 12,62,158 वर्ग मील हो गई।

1953 तथा 1964 में भारत का क्षेत्र फल 561 वर्गमील घटा है यद्यपि 1964 के आंकड़ों में 1615 वर्ग मील का इलाका गोवा, दमन और डयु, दादरा और नगर हवेली शामिल किया गया है। इस लिये 1953 और 1964 का वास्तविक अन्तर 2176 वर्गमील का है। यह अन्तर इस लिये है कि बाद में नये तथा ठीक प्रकार सर्वेक्षण के तरीके बदले गये।

सर्वेक्षण एक लगातार कार्य है और यह समय समय पर होता है जिसके कारण भिन्नता का भी पता चलता रहता है।

जो आंकड़े डा० राम मनोहर लोहिया ने दिये उनके बारे में मुझे यह कहना है कि 1952 से 1960 तक संयुक्त राष्ट्र वार्षिकी में भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग मील से अधिक था और 1959 और 1960 में यह 23,63,373 वर्गमील। उस में जो नीचे पादटिप्पण दिया था उसमें से जम्मू और काश्मीर का क्षेत्र जो कि 2,22,380 वर्गमील है इस से निकाला हुआ है।

1961 से हमारा केन्द्रीय आंकड़ा संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ को उनकी वार्षिकी के लिये आंकड़ें संबंधी सूचना भेजता है परन्तु फिर भी वह भिन्न आंकड़ें छापते हैं।

भारत सरकार ने जम्मू और काश्मीर के निकाले जाने को अनुचित करार दिया है क्योंकि हम उसे भारत का अंग समझते हैं। 1960 तक तो संयुक्त राष्ट्र संघ जम्मू काश्मीर को भारत का अंग दिखाता रहा परन्तु 1961 में उन्होंने अपने आप ही इसे निकाल दिया। इस ग़लती का मामला हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव से उठाया था और इसे ठीक कराने के लिये फिर उठा रहे हैं।

श्री त्यागी (देहराडून) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो जम्मू काश्मीर का क्षेत्रफल भारत से निकाला है वह पाकिस्तान में दिखाया है क्योंकि वहां का क्षेत्रफल बढ़ा है।

श्री मु० क० चागला : इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है। मैं इसकी पड़ताल करूंगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : भारत सरकार ने इसके विरुद्ध पत्र कब भेजा था और इसका जोरदार विरोध पत्र क्यों नहीं भेजा ?

श्री मु० क० चागला : हमने जोरदार विरोध पत्र भेजा है। वह 1961 में किया गया और उसके बाद से बार बार उठाया जा रहा है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने स्थायी प्रतिनिधि को निर्देश दिया हुआ है कि वह इसे उठाते रहें।

श्री रंगा (त्रिचूर) : क्या कारण है कि मंत्री महोदय के पास यह सूचना नहीं है कि यह क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्र में दिखाया गया है अथवा नहीं ?

श्री मु० क० चागला : हमें यह सूचना रखनी चाहिये की परन्तु इस समय मेरे पास यह नहीं है। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य): संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी देश ने जो आंकड़े दिये हैं उन्हें बदलने का कोई अधिकार नहीं है फिर क्या कारण है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के इस अपमान को सहन कर लिया और क्या कारण है कि 1961 से यह बात होती रही ?

श्री मु० क० चागला : हम ने यह अपमान सहन नहीं किया है बल्कि हमने इसका विरोध किया है और 1961 से हम ऐसा कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को हमारी सीमा के बारे में कमी करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री पाराशर (शिवपुरी): इस संबंध में संयुक्त राष्ट संघ से जो भी लिखा पढ़ी हुई है उसे सभा पटल पर रखा जाये।

श्री रंगा (चित्तूर): मेरा सुझाव यह है कि अगले सत्र में संविधान संशोधन विधेयक के बाद इसे प्राथमिकता दी जाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The hon. Minister by saying tnat it pertains only to the State of Jammu and Kashmir has tried to mislead the House. Even in Government of India's publication "India", they showed Indian area in 1957 as 12,69,900 sq. miles and in 1958 it was 12,59,797 sq. miles which meant a decrease of 10,103 sq. miles. So it is not a question of Jammu and Kashmir alone. It is a question of the failure of the government.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : एक बार पहले भी मेरे सहयोगी श्री नाथ पाई ने कहा था और आज मैं कहता हूं कि क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा है कि यदि वह इसी प्रकार हमारे क्षेत्र फल को कम करके दिखाते रहे तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना चन्दा देना बन्द कर देगा ?

श्री मु० क० चागला : हमने जोरदार विरोध प्रकट किया है। क्या यह भी आवश्यक है कि हम उन्हें यह अल्टीमेटम देने की आवश्यकता है ? जब से संयुक्त राष्ट्र बना है हम उसके वफादार सदस्य रहे हैं। इस कारण मेरे विचार में ऐसा करना हमारे राष्ट्र के लिये अच्छा नहीं दिखाई देगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : यह अच्छा किया कि जोरदार विरोध पत्र भेजा है। परन्तु अच्छा यह होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उन पुस्तिकाओं का अपने देश में आना बन्द कर दें जिनमें भारत का क्षेत्रफल कम दिखाया है।

श्री मु० क० चागला : सदन को जम्मू और काश्मीर के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के रवैये का पता है कि वह हमारे विरोध के बावजूद उस क्षेत्र को अलग ही दिखाते रहे हैं।

Shri Maurya (Aligarh) : In the report for the year 1961, Jammu and Kashmir has been shown as part of India.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I only want to know whether the area which has been shown less in India, has been shown as exceeding in the case of Pakistan?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह भाग भारत के क्षेत्रफल में दिखाया जाता था परन्तु उसके पश्चात से भी इसे पाकिस्तान का भाग बिल्कुल नहीं दिखाई गया है।

यह आंकड़ों का विषय है। हम एक श्वेत पत्र प्रकाशित करने वाले हैं। उसमें इन क्षेत्रों, फुटनोटों और विभिन्न प्रकार की सांख्यकी जानकारी दी जायेगी। माननीय सदस्य उसका अध्ययन कर सकते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : जब वह इस जानकारी को तैयार करे तो हम जानना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सभी विवाद ग्रस्त क्षेत्रों को उसमें नक्शों से बाहर रखा जाता है अथवा केवल भारत के मामले में ही ऐसा किया जाता है।

श्री नाथ पाई (राजापुर): इस विषय को अस्पष्ट बनाया जा रहा है। दो प्रकार की गलतियां हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कई वर्षों से एक गलती यह कर रहा है कि उस राज्य क्षेत्र को विवादास्पद राज्य-क्षेत्र के रूप में दिखा रहा है जो इस देश के संविधान के अन्तर्गत भारत का एक अंग है।

[श्री नाथ पाई]

यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि हमने इस पर विरोध प्रकट किया है। इस गलती को ठीक कराने के लिये सख्त कार्यवाही करनी होगी। भारत सरकार अपने कर्तव्य का पालन करने में साफ तौर से विफल रही है। इसने शक्ति और दृढ़ता को कोई परिचय नहीं दिया है और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे साथ अपमान जनक व्यवहार करता चला जा रहा है। नक्शों में आक्रमण वास्तविक आक्रमण का द्योतक है। प्रत्येक स्थान पर हमें इसको सहन करना पड़ा है। इसको रोकने के लिये हमें उनसे कहना चाहिये।

दूसरे भारत सरकार के प्रकाशन प्राप्त वर्ष पुस्तक में भी इस सम्बन्ध में अन्तर दिखाया गया है। जबकि 1654 में भारत का क्षेत्रफल 12,69,000 वर्गमील दिखाया गया था। 1964 में इसे 12,61,000 वर्गमील दिखाया गया। इसका कश्मीर से कोई सम्बन्ध नहीं है। आठ हजार वर्गमील क्षेत्र भारत के प्रशासन में नहीं दिखाया गया है।

ऐसा कोई देश नहीं है जिसके राज्य क्षेत्र तथा भूमि के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा इसके पड़ोसियों द्वारा ऐसी खिलवाड़ की गई हो। यह कहने की बजाय कि यह एक छोटी सी भूल है सरकार को और अधिक गंभीर होना चाहिये। इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार आपराधिक अनवधानता की दोषी है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : वह विरोध पत्र को तथा उन पर उत्तर प्राप्त हुए हैं उनको सभा पटल पर क्यों नहीं रखते ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सारे दलों को यह स्वीकार्य हो तो, सर्वप्रथम वैदेशिक कार्य मंत्रालय के द्वारा जिस वितरण का उल्लेख किया गया है उसको तैयार किया जाये और भेज गये विरोध पत्रों आदि सहित सारी जानकारी दी जाये। फिर अगले सत्र में संविधान संशोधन विधेयक के पश्चात् इस पर सब से पहले विचार किया जाये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : In the calculations of tne United Nations an area of about 30 thousand sq. kilometers of Jammu and Kashmir has been excluded from the map of India. Even in the Survey of India Reports of 1954 and that of 1964 we find a discrepancy of 8 thousand sq. miles. This *snaches* of the ulterior motives of the Government of surrendering our territory. Even it is a mistake of calculation, it must be attributed to the Government and the Government have no right even for a second to remain in office. The hon. Minister stated that there is a footnote in the 1964 report. But here is that Report and you see that there is no footnote in it.

The failure of the Government is abundantly clear, therefore, this Adjournment Motion should be admitted. If this adjournment motion is postponed for tne future grave consequences are likely to follow.

श्री मु० क० चागला : डा० लोहिया द्वारा यह जो आरोप लगाया गया है कि भारत की नीयत भविष्य में कुछ क्षेत्र देने की है। मैं उसका खंडन करता हूं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि भारत के सर्वेक्षण विभाग में जो आंकड़े बताये हैं उनसे किसी से भी भारत का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा परिक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1966, को एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6359/66।]**

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उड़ीसा में इसी प्रकार के प्रतिवेदन उन पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के लगभग 2/3 महीने बाद सभा पटल पर रखे गये थे। क्या इसके लिय कोई समय सीमा निर्धारित है। इस मामले में कितनी देर लगी है ?

अध्यक्ष महोदय : नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने 10 मई को इस पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके सभा पटल पर रखे जाने में कोई देर नहीं हुई है।

केरल वन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसुचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल वन अधिनियम, 1961 की धारा 77 के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 16/66 की एक प्रति दिनांक 1 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र मे प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6360/66।]**

चीन के दुतावास को भारत सरकार का पत्र

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं विदेश मंत्रालय, पीकिंग, द्वारा चीन स्थित भारत के दूतावास को दिये गये दिनांक 6 नवम्बर, 1965 और 2 अप्रैल, 1966 के पत्रों (नोट्स) के उत्तर में भारत स्थित चीन के दूतावास को दिये गये दिनांक 13 मई, 1666 के भारत सरकार के पत्र (नोट) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6361/66।]**

केरल स्टाम्प अधिनियम, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 की धारा 69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 121/66 की एक प्रति, जो दिनांक 15 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल स्टाम्प निर्माण तथा बिक्री नियम, 1960 में एक संशोधन किया गया।

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 149/66 की एक प्रति जो दिनांक 5 अप्रैल, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित थी।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 40वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 14 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस आर० 580 में प्रकाशित हुए थे।

[श्री ब० रा० भगत]

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 42वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 14 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 581 में प्रकाशित हुए थे।

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(एक) जी० एस० आर० 611 जो दिनांक 20 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जी० एस० आर० 643 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) जी० एस० आर० 644 जो दिनांक 30 एप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(चार) जी० एस० आर० 645 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) जी० एस० आर० 652 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०–6362, 6363, 6364 और 6365/66।]

कम्पनी अधिनियम मे अन्तर्गत अधिसूचनाए

विधि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 631 की एक प्रति, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–6366/66।]**

विमान निगम नियम 1954 के अन्तर्गत पत्र

परिवहन, तथा उड्डयन, मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): मैं विमान निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) एयर इंडिया के वर्ष 1966–67 की आय और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश।

(दो) एयर इंडिया की पूँजी के अन्तर्गत वर्ष 1964–65 के वास्तविक आँकड़ों, वर्ष 1665–66 के बजट प्राक्कलनों तथा संशोधित प्राक्कलनों और वर्ष 1966-67 के बजट प्राक्कलनों का सारांश।

(तीन) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष 1966–67 की आय तथा व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश।

(चार) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की पूँजी के अन्तर्गत वर्ष 1964–65 के वास्तविक आंकड़ों, वर्ष 1965–66 के बजट प्राक्कलनों तथा संशोधित प्राक्कलनों और वर्ष 1966–67 के बजट प्राक्कलनों का सारांश।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०–6367, 6368, 6369 और 6370/66।]

तारांकित प्रश्न संख्या 1669 के बारे में वक्तव्य

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरमैय्या) : मैं काली सूची में दर्ज फर्मों को दिये गये कच्चे माल के कोटे के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1669 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के दौरान 13 मई, 1966 को सभा में उठाई गई कुछ बातों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6371/66।]**

केरल राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1966-67 के बजट प्राक्कलन तथा वर्ष 1965-66 के अनुपूरक वित्त विवरण

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): मैं डा० कु० ल० राव की ओर से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित बिजली (संभरण) अधिनियम 1948 की धारा 61 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1966-67 के बजट प्राक्कलनों तथा वर्ष 1965-66 के अनुपूरक वित्त विवरण (खण्ड 1 और 2) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-6372/66।]**

लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक में संगठन सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं लोहा तथा इस्पात नियंत्रक का संगठन—देशी इस्पात का उत्पादन, मूल्य तथा वितरण—सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन (भाग 1) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-6373/66।]**

रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : मैं रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 21 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 627 में प्रकाशित हुए थे सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6374/66।]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS, AND RESOLUTIONS

कार्यवाही सारांश

Minutes

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं चालू अधिवेशन के दौरान हुई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की 77वीं से 89 वी बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

कार्यवाही सारांश

Minutes

श्री सुबोध हंसदा (झाड़ग्राम) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 12वें और 14वें से 31 वें प्रतिवेदनों के संबंध में कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
कार्यवाही सारांश
Minutes

श्री सिद्धनंजप्पा (हसन) : मैं चालू सत्र के दौरान हुई सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की 23 वीं बैठक का कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य-सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 7 मई, 1966 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि 30 अप्रैल, 1967 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक-सभा की लोक-लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य-सभा से सात सदस्य नाम-निर्दिष्ट किये जाये और राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम जो इस समिति के लिए निर्वाचित किये गये हैं सूचित किये हैं :—

(1) श्रीमती देवकी गोपीदास

(2) श्री पी० के० कुमारन्

(3) श्री ओम मेहता

(4) श्री गोडे मुराहरि

(5) श्री एम० सी० शाह

(6) श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह

(7) (कर्नल) बी० एच० जैदी

(दो) कि राज्य-सभा ने अपनी 7 मई, 1966 की बैठक में लोक-सभा की इन सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि तीन सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के कारण हुई रिक्तताओं में लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए तीन सदस्यों को नियुक्त किया जाये और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त किया है :—

(1) श्री लोकनाथ मिश्र

(2) श्री प्रतुल चन्द्र मित्र

(3) कुमारी शान्ता वशिष्ठ

(तीन) कि राज्य-सभा ने अपनी 7 मई 1966 की बैटक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट कि है कि दो सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के कारण हुई रिक्तताओं में लोक-सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की शेष अवधि के लिए इस समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य-सभा से दो सदस्य नाम-निर्दिष्ट किये जायें और राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम सूचित किये हैं जो इस समिति के लिए निर्वाचित किये गये थे :—

(1) श्री अर्जून अरोड़ा

(2) श्री बिमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये निम्नलिखित दो विधेयक जिन पर 7 अप्रैल, 1966 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (संख्या दो) विधेयक, 1966।

(2) वित्त विधेयक, 1966।

न्यायाधीश (जांच) विधेयक
JUDGES (INQUIRY) BILL
संयुक्त समिती का प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सदाचार या असमर्थता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की और संसद द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन रखने की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले विधेयक सम्बधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

संयुक्त समिती के समक्ष साक्ष्य

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सदाचार या असमर्थता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की और संसद् द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन रखने की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले विधेयक सम्बधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

विमानों की उड़ानों में पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप के बारे मे तारांकित प्रश्न संख्या 261 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO S. O. NO. 261 RE: INTERFERENCE BY PAKISTAN TO AIR FLIGHTS

परिवहन, उड्डयन. नौवहन तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रेड्डी) : मैं विमानों की उड़ानों में पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप के बारे में श्री प्रताप केसरी देव तथा अन्य सदस्यों के तारांकित प्रश्न संख्या 261 के 16 नवम्बर, 1965 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक विवरण सभा पटल पर रखता हुं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6375/66।]**

काली सूची मे दर्ज फर्मो को दिये जाने वाले कच्चे माल के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1669 के उत्तर मे शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. NO. 1669 RE: QUOTAS OF RAW MATERIALS TO BLACK LISTED FIRMS

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : 13 मई, 1966 से तारांकित प्रश्न संख्या 1669 से उत्पन्न एक अनुपूरक प्रश्न में श्री महावीर त्यागी ने कहा था कि क्योंकि इसमें मंत्रियों के नामों को लाया गया है; इस लिये इसकी पूरी जांच होनी चाहिये। लोक लेखा समिति के 50 वें प्रतिवेदन में तत्कालीन मंत्री के बारे में एक निर्देश किया गया है। सम्पूर्ण प्रतिवेदन की जांच की जा रही है और विभिन्न सिफारिशों पर जो कार्यवाही की जायेगी उसकी सूचना समिति को यथा समय दे दी जायेगी।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : निर्माण तथा आवास मंत्री के घर में जो आग लगी थी उसकी रिपोर्ट का क्या बना ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मुझे समिति की रिपोर्ट कोई एक सप्ताह पूर्व मिली थी और मैंने आदेश दे दिया है कि इसकी जांच फिर से की जाय।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा सीधा सा प्रश्न यह था कि अमीनचन्द प्यारेलाल कम्पनी के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है और उसके परिणाम क्या निकले।

श्री त्रि० ना० सिंह : जो कार्यवाही की है उसके बारे में पहले ही बता दिया गया है। इस सार्थ को पाबन्दी वाली श्रेणी में रख दिया है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Speaker, the Public Accounts Committee has stated that its sub-committee are unable to understand the circumstances under which the Minister changed his previous orders so soon that the business suspension of Messres Aminchand Parelal group of firms should not be communicated to other Government departments. In spite of this they are not disclosing the name of the Minister due to whose orders the country had to suffer a loss of Rs. 1 crore. Parliament should know that.

श्री त्रि० ना० सिंह : यह मामला 17 जुलाई 1963 का है। मुझे पता नहीं है कि उस समय मंत्री कौन था। मैं जांच करूंगा कि कौन था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका पता लगायें और सदन से स्थगन से पहले सदन को उसकी सूचना दें।

श्री हवेलीराम के घर की तलाशी और उसके उत्तर के बारे में एक सदस्य का वक्तव्य (नियम 115 के अन्तर्गत)

STATEMENT BY MEMBER (UNDER RULE 115) RE: SEARCH OF SHRI HAWELI RAM'S HOUSE AND REPLY THERETO

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On 24th February the Miniser of State in the Ministry of Finance, Shri B.R. Bhagat while replying to my starred Question had stated that the house of Shri Haveli Ram was not raided. Mr. Speaker, Shri Haveli Ram wrote a letter to you also stating that neither he nor any of his sons was engaged in any business. But I proved to you that the sons of Shri Haveli Ram were doing business and the name of their firm was Joshi Traders and they had dealings with Chamanlal firms.

On 24th March Shri Sachindra Chaudhri confirmed the allegations which I levelled against that firm but also stated that Shri Haveli Ram's house at Daryaganj had been raided for concealment of foreign exchange.

I want to know as to who of the two Minister *viz.* Shri B. R. Bhagat and Shri Sachindra Chaudhri is true. Both of them have contradicted each other and both cannot be true.

Secondly on 24th March, Shri Sachindra Chaudhri confirmed about the concealment of foreign exchange which is to the tune of Rs. 75 lakhs. He also disclosed that Shri Chamanlal had been asked to give Rs. 40 lakhs of foreign exchange to the Government and about the rest they would discuss it later on. From a reliable source I have come to know that till 24th March when the minister announced about it, the firm had not paid that amount of Rs. 40 lakhs. It is a serious matter. However influential a man may be, serious action should be taken against him.

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैंने 24-3-66 को आधे घंटे की चर्चा के दौरान जिसका संबंध एक ज्योतिषी के घर की तलाशी से था, कहा था कि दरयागंज के एक घर की भी तलाशी ली है। यह कहा गया है कि मैं ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के वक्तव्य के विरुद्ध वक्तव्य दिया है परन्तु ऐसी बात नहीं है।

मैंने यह भी कहा था कि मैसर्ज़ चमनलाल ब्रदर्स जो कि निर्यात का कार्य करते हैं के हिसाब में कुछ अनियमितता है और मैंने कहा था कि 40 लाख रुपया अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा कि इस रकम के बारे में समझौता हो गया है जिसके अनुसार एक इंगलैंड की कम्पनी ने यह 40 लाख रुपया जून 1966 तक किस्तों में देना स्वीकार कर लिया था। वास्तव में दो किस्त जिसकी राशि 55,000 पौंड होती है दे भी दी हैं। परन्तु इन दो किस्तों के पश्चात इंगलैंड की कम्पनी ने कुछ नहीं दिया और अब उस रक़म की वसूली के बारे में कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

Shri Madhu Limaye: Sir, he said that Rs. 40 lakhs have been received and now he says that only a part tnereof has been received back. Why has he misled the House and told a lie?

श्री शचीन्द्र चौधरी : महोदय, इस प्रकार आरोप लगाना संसदीय पद्धति के विरुद्ध है। इसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

Shri Madhu Limaye : I will call it 'incorrect'. I withdraw the word "lie".

Mr. Speaker : He nas withdrawn the word "lie".

Shri Madhu Limaye : Sir, what about the reply to my question whether Rs. 40 lakhs have been received back?

Mr. Speaker : Under direction 115 you have made a statement and the Finance Minister has also replied to that, now the matter is over.

Shri Madhu Limaye : The minister has given incorrect information.

विशेषाधिकार समिति के पांचवे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: FIFTH REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के पांचवे प्रतिवेदन पर, जो कि 30 अप्रैल 1966 को सदन में पेश किया था, विचार किया जाय।

इस प्रतिवेदन का संबंध एक श्री सैली से है जिन्हों ने पीछे एक किताब छापी थी।

मैं इस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये इस लिये प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि यह बड़ा गंभीर मामला है जिसका संबंध सदन के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से है। दूसरे इस ने सभा की मर्यादा का भंग किया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसके दो गंभीर परिणाम होंगे। पहले तो यह कि सदन को यह विश्वास ही नहीं होगा कि जो कुछ इसके सामने इसकी समिति ने रखा है वह सत्य है या नहीं। साथ ही यह कि सदन के मौलिक विशषाधिकारों पर गहरी चोट होगी। दूसरी बात यह होगी कि झूठी क्षमा मांग कर सदन की कार्यवाही से मुक्ति प्राप्त करने का एक बुरा उदाहरण स्थापित हो जायेगा।

30 मार्च, 1966 को सैली ने हमारी समिति को एक पत्र लिखा जिसमें विशेषाधिकारों के तोड़ने के बारे में अपनी स्थिति बयान की। फिर 7 अप्रैल को व्यथित क्षमा का पत्र लिखा। उसी दिन उसे समितिने पर्यवेक्षण किया और ऐसा प्रतीत होता था कि समिति ने उसकी खुशामद करके उससे क्षमा मंगवाई। उन्होंने साफ बताया कि यह क्षमा वह अपनी मर्जी से नहीं मांग रहे हैं तथा यह भी कि पंजाब में कुछ अन्य मुख्य व्यक्तियों ने भी इस प्रकार मर्यादा भंग की है। मैंने अपने विमति के नोट में इसका वर्णन भी किया है।

[श्री कपूर सिंह]

इस लिये मेरा कहना यह है कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न करके जो सदन की मर्यादा को भंग करते हैं, यह सदन एक गलत पूर्व दृष्टान्त कायम करेगा। यदि सदन ने अपनी की हुई गलतीयों को ठीक नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

Shri Buta Singh (Moga) : Mr. Speaker, there was such substance in what Shri Kapur Singh nad said. The manner in which Sally was persuaded to tender apology as also his behaviour indicated that his apology was not spontaneous.

I therefore suggest that he should be reprimanded. I also suggest that this report, the notes of Shri Kapur Singh thereon and the aplogy tendered by Sally should be reviewed by a Committee presided over by you.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I nave got nothing to say against tne 5th report of Committee on Privileges which relates to the case of Sally. But I object to the way in which this has been decided and tne minute of dissent given by Shri Kapur Singh has been appended to that. Because after the report of the Committee has been accepted, there is no business before the Committee and hence there is no question of appending Minute of Dissent to it.

I therefore request you to direct the Privileges Committee and your Secretariat to act according to rules so that nobody mav complain that the work is not being done according to rules.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा प्रस्ताव यह हैं कि इसे फिर से विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये।

श्री रंगा : मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। प्रथम, मैं श्री सैली के तथाकथित क्षमा याचना के पत्र से संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने अध्यक्ष महोदय पर जो आरोप लगाये हैं तथा पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में समिति के 3 सदस्यों के बारे में जो कुछ कहा है तथा क्षमा-याचना न मांगने की जो हठ की है इन सब बातों से जो अपमान हुआ है उसको समिति क्षमा नहीं कर सकती।

दूसरी बात यह है कि जब समिति ने, अपना दूसरा टिप्पण दिया तो उस समय समिति को श्री कपूर सिंह के टिप्पण के लिये अनुमति देने के बारे में भी विचार करना चाहिये था। चूंकि समिति ने यह निश्चय किया था कि श्री कपूर सिंह के टिप्पण को शामिल न किया जाए, हम को यह निश्चय करना चाहिये कि इसे समिति को वापस भेज दिया जाए और समिति से यह अनुरोध किया जाए कि वह अपने दूसरे टिप्पण को भी, शामिल न करे। समिति को अपने पहले टिप्पण से जो वह हमारे पास भेज रही थी, और जिसमें क्षमा-याचना के पत्र को स्वीकार करने के लिये सुझाव दिया गया था, संतुष्ट होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या समिति के अध्यक्ष को कुछ कहना है? समिति पर तथा मुझ पर आरोप लगाये गये हैं। अतः क्या वह कुछ कहना चाहते हैं?

श्री कृष्णमूर्ति राव : नियमों के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के साथ असहमति का टिप्पण नहीं लगाया जा सकता। समिति के अनुसार, श्री सैली द्वारा की गई क्षमा-याचना पूर्ण तथा बिना शर्त के थी। समिति ने उनकी क्षमा याचना को स्वीकार कर लिया है और इस सभा को सुझाव दिया है कि उनको क्षमा किया जा सकता है। पहले भी ऐसे मामले उठे हैं और विशेषाधिकार समिति के निर्णयों के अनुसार क्षमा-याचनायें स्वीकार की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः जब कभी समिति ने ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी है तो उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने श्री कपूर सिंह को यह कहना भेजा है कि वह समिति का निर्णय है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। परन्तु वह इस से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने यह आग्रह किया कि रिपोर्ट पर चर्चा की जाये। अतः

मैंने 5 मई को उसे मंत्रालय के पास भेज दिया ताकि उस पर चर्चा के लिये कोई समय निकाला जाये। इस के पश्चात् तिथि निश्चित की गई। अतः इस सम्बन्ध में मेरा कोई दोष नहीं है। उन्होंने मेरी आलोचना की है। मैं इस बात का बुरा नहीं मानता कि उन्होंने मेरी आलोचना की है। परन्तु इस प्रकार समिति की आलोचना करना ठीक नहीं है जब कि निर्णय सर्व सम्मति से हुआ है।

श्री कपूर सिंह : मैं समिति की आलोचना नहीं कर रहा है। मैं केवल अवैध प्रक्रिया की आलोचना करता हूं जो कि समिति ने अपनाई है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह कहते हैं कि उन्होंने समिति की आलोचना नहीं की है, बल्कि समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की आलोचना की है तो मैं उनकी बात को सत्य मानता हूं। प्रश्न यह है :

"कि 30 अप्रैल, 1966 को प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार समिति के पांचवे प्रतिवेदन पर सभा द्वारा विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा 30 अप्रल, 1966 को प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा 30 अप्रैल, 1966 को प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: THE THIRD REPORT OF THE RULES COMMITTEE

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 14 मई, 1966 को सभा पटल पर रखे गये नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : नियम समिति ने तीन सिफ़ारिशें की थी। एक, नियम 2 में व्याख्या शामिल करने के बारे में, दूसरी, नियम 170 और तीसरी नियम 374 के बारे में। मैं ने प्रत्येक सिफारिश पर एक संशोधन पेश किया था। नियम 374 पर दिये गये संशोधन पर बाद में विचार किया जायेगा। नियम 170 गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना के बारे में है।

इस समय सभा के समक्ष जो सब से अधिक महत्वपूर्ण मामला है वह सभा के नेता के बारे में है।

नियम समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में नियम 2 में यह नई व्याख्या लगाये जाने की सिफ़ारिश की थी :—

"'सभा के नेता' का मतलब है प्रधान मंत्री यदि वह सभा का सदस्य है, अथवा मंत्री है जो कि सभा का सदस्य है और प्रधान मंत्री द्वारा सभा के नेता का कार्य करने के लिये नामांकित किया गया है।"

परन्तु मैंने अपने संशोधन में यह रखा था कि यदि प्रधान मंत्री सभा का सदस्य नहीं है तो मंत्रि-परिषद का कोई वरिष्ठ सदस्य जो सभा का सदस्य हो और जिसे प्रधान मंत्री ने इस कार्य को करने

[श्री हरि विष्णु कामत]

के लिये नामांकित किया हो। सभा के नेता का कार्य कर सकेगा। मेरे संशोधन का ध्येय यह था कि प्रधान मंत्री तब ही सभा का नेता हो सकता है जब वह सभा का सदस्य हो।

नियम समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में कहा है कि लोकसभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में "सभा के नेता" की व्याख्या नहीं दी हुई है। समिति ने कहा है कि सभा का नेता पर मुख्यत: सभा के सरकारी कार्य की व्यवस्था निर्देशन तथा ताल-मेल की ज़िम्मेदारी है। यदि प्रधान मंत्री सभा का नेता नहीं हैं तो उसकी अनुपस्थिति में विशेष अवसरों पर सभा का नेता उनके प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। उस पर समूची सभा का उत्तरदायित्व है और वह सभा का कठिनाई के समय दिग्दर्शन करता है। अत: सभा के नेता के कार्यों का महत्व देखते हुए, जब वर्तमान प्रधान मंत्री सभा की सदस्या हो जायें तो उन्हें ही सभा का नेता होना चाहिये। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरु ने सभा के नेता का कार्य बड़ी निष्ठा और रुची से किया था। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी उनका अनुकरण किया था। अत: मैं ज़ोर देकर कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को ही सभा का सदस्य होने के बाद सभा का नेता होना चाहिये। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस व्याख्या में जो संशोधन मैं ने प्रस्तुत किया है और जिसे नियम समिति ने अस्वीकार कर दिया है, सभा स्वीकार करे।

श्री रंगा (चित्तूर) : कल संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक पर विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि सभा में सदस्यों की आवश्यक संख्या उपस्थित नहीं थी। यह बड़ी असाधारण बात है। यह सभा के नेता द्वारा गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार के कारण हुआ है। यह सरकार की बड़ी भारी भूल है और इस से सरकार द्वारा प्रजातंत्रीय ढंग से कार्य चलाने के बारे में अयोग्यता का पता चलता है। सरकार इस विधेयक का महत्व नहीं समझ सकी और न यह महसूस कर सकी कि सभा में कम से कम 256 सदस्यों का उपस्थित होना तथा मतदान में भाग का लेना आवश्यक है। सरकार ने बिल्कुल अन्त में कार्य क्रम बदल दिया। इन सब बातों से सरकार की अयोग्यता का पता चलता है। यदि मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री को सभा का नेता बनाया गया होता और उन्हें प्रधान मंत्री का पूर्ण विश्वास प्राप्त होता तो कल जो कुछ हुआ वह नहीं होता। सरकार प्रजातंत्र के प्रति अपने बुनियादी उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यों को भूल रही है। इन सब बातों को देखते हुए यह और भी आवश्यक है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : I want to say two things in connections with the report of the Rules Committee which is before the House at this moment. The amendment tabled by Shri Kamath is very good but nobody can say what will be the consequences of it.

It is not proper to tie down the Prime Minister to a particular Procedure concerning appointment of the Leader of the House. It is possible that a Senior Minister may not command confidence of the House. Hence, in my opinion, the Prime Minister should have the direction to appoint any Member whom he thought fit to be the leader of the House. Hence I support that power given in this connection to the Prime Minister by the Rules Committee.

The next point is regarding Rule 170. The old practice of admitting non-official resolutions and balloting then should be restored. The Rules Committee should reconsider the matter. With these words, I support the proposal of the Rules Committee.

योजना मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा की यात्रा के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE: PLANNING MINISTER'S VISIT TO THE U. S. A. AND CANADA

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैंने श्री अशोक मेहता की द्वारा विदेश यात्रा से वापस आने के बाद दिये गये वक्तव्य के बारे में इस चर्चा के लिये प्रस्ताव किया था क्योंकि कुछ समय से हमारी आर्थिक स्वतंत्रता पर घोर आक्षेप किये गये हैं। ऐसा कहा जा रहा है और समाचार-पत्रों में भी

प्रकाशित हो रहा है, कि अमरीका में योजना मंत्री ने "बैक-सीट ड्राइविंग" जैसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे बहुत सी ग़लतफहमियां उत्पन्न हो गई हैं। इस सभा में दिये गये अपने वक्तव्य में उन्होंने अर्थ व्यवस्था के बारे में 'रचनात्मक परिवर्तन' (स्ट्रक्चरल ट्रांसफार्मेशन) शब्दों का प्रयोग किया है। 'बक सीट ड्राइविंग' का वास्तविक उदाहरण मद्रास उर्वरक करार है। इसी प्रकार स्वतंत्र अनुमान लगाये बिना बहुत से क्षत्रों में नियंत्रण में जो ढील तथा विदेशी ग़ैर-सरकारी पूंजी को जो रियायत दी गई है उनसे अनेक गम्भीर ग़लतफहमियां उत्पन्न हो गई हैं कि क्या हम अपनी स्वीकृत नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं और क्या वास्तव में हम अपने राष्ट्रीय हितों का सौदा नहीं कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हम अत्यधिक अधीन होते जा रहे हैं।

सभा में दिये गये उनके वक्तव्य से यह बात स्पष्ट है कि हमारी चौथी योजना विश्व बैंक द्वारा बनाई जायगी और इससे पूर्व कि हम इसको अन्तिम रुप दें विश्व बैंक द्वारा इसका मूल्यांकन कराना आवश्यक होगा। अब ऐसा नहीं किया जा रहा है। जब दूसरी योजना पर विचार किया गया था तो इसको बनाने से पूर्व सभी दलों के नेताओं को अपने अपने विचार देने के लिये आमंत्रित किया गया था। सभा के लिये अपनी स्थिति स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है और इसे अपने परमाधिकारों को नहीं छोड़ना चाहिये। इसी कारण मैंने यह चर्चा उठाई है। पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्षों में बैल मिशन तथा विश्व बैंक जिस नीति को अपनाये हुए हैं उसके बारे में श्री मेहता ने मुलायमियत से यह कहा है कि वह भारत के आर्थिक विकास को मज़बूत बनाने तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिये है। स्वर्गीय शास्त्री जी ने भी जुलाई 1965 में हमारे विदेशी सहायता पर निर्भर रहने को ग़लत बताया था। उन्होंने कहा था कि हमें उसी अनुपात में ऋण लेना जिसमें चुका सकें। यदि हम अभी से सावधान नहीं हुए तो ऋणों के ऐसे विषैले चक्र में फंस जायेंगे जो हमें दल दल में ढकेल देगा जहां से फिर हम उठ नहीं सकेंगे। हो सकता है हमारी भी इन्डोनेशिया की सी स्थिति हो जाये जिसके ऋण वार्षिक भुगतान तथा व्याज उसकी राष्ट्रीय आय से भी अधिक है। इसका अर्थ पूर्ण दिवालियापन है। हमें कम से कम 6,000 करोड़ रुपये निर्यात द्वारा कमाने चाहिये।

दूसरी योजना में तैयार किये गये कुल पूंजी व्यय की तुलना में खर्च के लिये निर्धारित किया गया विदेशी ऋण कुल नौ प्रतिशत था। तीसरी योजना में इसको 20 प्रतिशत कर दिया गया था। चौथी योजना में यह 22.3 प्रतिशत है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

हम विदेशी सहायता के रुप में जो डालर में सहायता ले रहे हैं उसके लिये अंधाधुन्द घाटे की अर्थ-व्यवस्था कर रहे हैं। तीसरी योजना में लगभग 550 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गई थी और अनुमान था कि राष्ट्रीय आय 30 प्रतिशत के लगभग बढ़ जायेगी परन्तु केवल 15 प्रतिशत बढ़ी है। परन्तु घाटे की यह अर्थ-व्यवस्था 1,200 करोड़ रुपये हो गई है।

श्री त्यागी ने हाल ही में कहाथा की सभा की विदेशी ऋणों की सीमा निर्धारित करनी चाहिये। हमें सरकार के किसी भी मंत्री को उसकी इच्छा अनुसार ऋण के आंकड़े निर्धारित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। विदेशी ऋणों को हमें अपनी भुगतान क्षमता के अनुसार सीमित रखना चाहिये और हमें सोच विचार कर यह ऋण लेने चाहिये और इनके साथ कोई शर्त नहीं होनी चाहिये।

हम जानना चाहते हैं कि आयात के जिन क्षेत्रों में उदारता दिखाई गई है क्या उन क्षेत्रों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया गया है। जिन वस्तुओं के आयात के लिये हम ऋण ले रहे हैं उन से केवल 'रेफ्रिजिरेटर' 'एयर-कन्डीशनर', 'मोटर कारें' आदि बनाई जायेंगी जो कि विलास वस्तुएं हैं। ऐसा करना हमारे हित में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ये वस्तुएं निर्माण उद्योगों में प्रयोग की जायेंगी। इन उद्योगों की बनी हुई वस्तुओं के निर्यात पर पश्चिम में बहुत अधिक प्रशुल्क लगा हुआ है। इस लिये इन वस्तुओं के निर्यात से हम अधिक विदेशी मुद्रा की आशा नहीं कर सकते। इस से आयात की गई वस्तुओं के स्थान पर देश में वस्तुयें बनाने में बाधा पडेगी। अतः इस से आत्म-निर्भर होने में भी कठिनाई आयेगी।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

कई प्रकार के 'परिवर्तन' करने का दावा करके अपनी गलत बात को सही सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। कई प्रकार का स्वतन्त्र अनुमान लगाये बिना बहुत से क्षेत्रों में नियन्त्रणों में ढील तथा विदेशी गैर सरकारी पूंजी दी जो रियायत की गई है, उससे कई प्रकार की भ्रान्तियां पैदा होने की सम्भावनायें पैदा हो रही है। जिन शर्तों पर हम सारी प्रबन्ध व्यवस्था उन लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं, उसका अध्ययन करने पर आपको पता चलता है कि स्थिति क्या है। कोचीन शोधन शाला की भी लगभग यही स्थिति है। 51 प्रतिशत अंश भारत के और 49 उनके। यदि कोई संकट उत्पन्न हो जाये तो स्थिति क्या होगी, विचारणीय बात है। मेरे विचार में यह लज्जाजनक सौदा है जो कि किया गया है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मेरी मांग यह है कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट घोषणा करें कि आगे से यह उर्वरक सौदे जैसे अराष्ट्रीय सौदे नहीं किये जायेंगे। इस बात को परम्परा नहीं बनाई जानी चाहिए।

बिरला बन्धु कोई संयन्त्र लगा रहे है और व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें भी कुछ मद्रास उर्वरक सौदे में उपलब्ध रियायतें देने का अवसर प्राप्त हो। मेरा कहना है कि इतने गम्भीर परिणामों वाली रियायतें देने के स्थान पर हमें कम जटिल औद्योगिकीय व्यवस्था से काम चलाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभा को यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए कि पाकिस्तान के फ्रंट पर प्रतिरक्षा सम्बन्धी खर्च में कमी नहीं की जायेगी। और चीन के फ्रन्ट पर भी हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे। हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है अतः हमें स्पष्ट कह देना चाहिए कि हम सहायता के जैसे भी चाहेंगे उसका प्रयोग करेंगे। मेरी राय तो यह है कि मेहता जी ने अमरीका जा कर जानसन के हाथ मजबूत किये हैं।

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : वक्तव्य विशेष पर आपत्ति करते हुए पूर्व वक्ता ने कुछ सिद्धान्त हमारे समक्ष प्रस्तुत किये हैं। उन सिद्धान्तों से मेरा पूर्ण रूप में एक मत है। सभा को सरकार द्वारा लिए गये आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणों को विनियमित करने के अधिकार होने चाहिए। हमारे संविधान के अन्तर्गत सरकार को ऋण लेने की शक्ति के विनियमन के लिए संसद द्वारा एक कानून का निर्माण करना चाहिए। इस दृष्टि से सरकार को ऋण लेने की शक्तियों के विनियमन के लिए विधेयक को लाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे अशोक मेहता के वक्तव्य में कोई आपत्तिजनक बात दिखाई नहीं देती है।

इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि भारत को विदेशी सहायता की जरूरत है। इसके बिना काम नहीं चल सकता। निर्यात द्वारा हमारी आय हमारी आयात की जरुरतों से कम है और हमारे उद्योगों की लगभग 50 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता साधारण आयातों की कमी के कारण बेकार पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी निवेदन करना है कि मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए अधिक मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं का होना आवश्यक है। यह बात तथ्य पर आधारित है कि उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई के लिए गैर-परियोजना सहायता की बहुत आवश्यकता होगी।

मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि लोगों में एक अजीब भावना पैदा हो गई है कि पश्चिम अथवा अमरीका अथवा विश्व बैंक से आने वाली प्रत्येक वस्तु पर रोक लगाई जाय। विदेशों से प्राप्त कुल सहायता का 50 प्रतिशत से अधिक भाग अमरीका से प्राप्त हुआ है। पूर्व यूरोप के देशों से भी हमें कुल विदेशी सहायता का केवल .10 से 12 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हुआ है। और यह भी ठोस तथ्य है कि जो भी अनुदान विदशों से प्राप्त हुए हैं वह पश्चिमी गुट के देशों से ही प्राप्त हुए हैं। पूर्वी गुट के देशों से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। समृद्ध देशों का वैसे तो यह कर्तव्य है कि वे अविकसित देशों की सहायता करें। यदि कोई देश सहायता लेता है तो इसमें अपमान की कोई बात नहीं है।

लेनिन इस शताब्दी का सब से महान क्रान्तिकारी था। वह पूरी तरह साम्यवादी समाज का निर्माण करना चाहता था। साम्यवादी भावना के होत हुए भी उन्हें विदेशी पूंजी पतियों को रियायत देने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ मामलों में तो वह 51 प्रतिशत अंश की देने को तत्पर थे। एसी स्थिति भी निर्माण हो गई थी कि वह विदेशी नियोजकों को 75 प्रतिशत तक देने और रूस के लिए केवल 25 प्रतिशत तक रखने को तैयार हो गये थे। यह खेद की बात है कि अमरीका से आने वाली प्रत्यक्ष प्रकार की सहायता पर यह संदेह किया जाता है कि वहां का गुप्तचर विभाग इसकी छानबीन करता है। गुप्तचर अथवा जासूसी का कार्य तो लगभग सारे ही देश करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जासूसी विश्व भर में एक स्वीकृत तथा जानी पहिचानी चीज है। प्रत्येक राष्ट्र की इस दिशा में अपनी पद्धति है। अतः इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता।

वित्त मंत्री ने जो यह बात कही थी कि प्रत्यक्ष सहायता के साथ शर्त तो लगी ही रहती है, ठीक ही है। मैं इस बात से सहमत हूं। कोई भी देश अमरीका हो अथवा रूस, सद्भावना से किसी की सहायता नहीं करता। प्रत्येक देश अपनी नीति का पालन करने के लिए सहायता देता है, परन्तु हमें यह देखना होता है कि शर्तों को हमारा गला घोंटने के लिए प्रयोग में न लाया जाय। इन शर्तों को हमें दरिद्रता और पिछडेपन के गढ़े से उठाकर समाज की आधुनिक अवस्था तक लाने के लिए सीढो के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। मेरा इस दिशा में कहना है कि अमरीका सहायता के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक देश की रक्षा का प्रश्न है यह समझ लिया जाना चाहिये कि सरकार काफी शक्तिशाली और जागरुक है।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं यह बिना संकोच के कह सकता हूं कि श्री अशोक मेहता अपने मिशन में सफल हुए हैं। परन्तु योजना मंत्री ने जो कुछ कहा है उससे यह पता चलता है कि उनके वक्तव्य से जो अमरीका के प्रति घृणा की बू है, वह ही उनके प्रति व्यक्त किये गये विरोध का मुख्य कारण है। इसका एक कारण यह भी है कि विरोधी सदस्य इस बात से जले भुने बैठे हैं कि योजना मंत्री अपने मिशन में असफल नहीं हुए है। इस में कोई सन्देह नहीं कि उनके सामने जो कार्य था, उसमें वह काफी सफल रहे हैं। इसी संदर्भ में मेरा यह भी निवेदन है कि चालू वर्ष के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि गैर-परियोजना प्रयोजनों तथा परियोजना प्रयोजनों, दोनों के लिए सहायता के स्वरुप, क्षेत्र तथा उसकी भाषा के सम्बन्ध में एक करार कर लिया गया है।

इसके सम्बन्ध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि सब से पूर्व सहायता उन उद्देश्यों के लिए दी जानी चाहिए जिनके लिए उस देश ने सहायता मांगी है। और निश्चय ही वह कोई विशिष्ट परियोजना ही हो सकती है। अथवा उसके प्रयोजन विशिष्ठ ढंग के हो सकते हैं। इस प्रकार की शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई बन्धन, अथवा देश को अपने साथ बांधना आपत्ति जनक कहा जा सकता है। यदि ऐसा होगा तो इस प्रकार की सहायता देने वाला देश अपने देश से ही आयात का प्रतिबन्ध लगायेगा। यह तो एक सिद्धान्त की बात है कि बन्धन वाली सहायता से आयात की लागत सामान्यतः अधिक हो जाती है जब कि किसी अन्य देश से उसी वस्तु का आयात कम मूल्य पर हो सकता है।

इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस बात की आवश्यकता है कि सरकार सहायता का सामान सरकारी कार्यों के लिए अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए गैर-परियोजना पर फजूल खर्ची न करे। गत दस वर्षों में देश में विदेशी मुद्रा के संसाधनों के प्रबन्ध की एक खास बात यह रही है कि आय कार्यों के लिए सरकार की विदेश मुद्रा के संसाधनों की मांग बहुत अधिक रही है और विशेष रूप से गर-परियोजना सहायता पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मांग बहुत ही अधिक रही है।

[श्री नारायण दांडेकर]]

इस चालू वर्ष की विदेशी मुद्रा सहायता में से परियोजना सहायता कृषि के विकास, जनसंख्या नियन्त्रण, देश के भीतर ही उर्वरक उत्पादन के कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित करने, निर्यात द्वारा आय में वृद्धि करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के अच्छे उपयोग के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में वर्तमान मूल्यों पर विदेशी ऋण का भार 8000 करोड़ रुपये बढ जायेगा और ब्याज, पुन: भुगतान आदि का भार जो हमें डालर में देना वह लगभग 3200 करोड़ रु० होगा। एक सरकार को दूसरी सरकार पर स प्रकार का बहुत ऋण नहीं लादना चाहिए। मेरा विचार यह है कि विदेशी सहायता को सब से पहले अधिष्ठापित क्षमता के अधिकतम उपयोग पर लगाया जाना चाहिए। इसे दूसरी तीसरी योजना के शेष रहे कार्यों पर तथा तीसरी योजना को निर्दिष्ट परियोजनाओं पर लगाया जाना चाहिए।

इस बारे में अच्छी बात यही है कि विदेशी सहायता को देश में व्यक्ति से व्यक्ति के आधार पर विदेशी विनियोजन को प्रोत्साहन दिया जाय। और इसे सरकार से सरकार के आधार पर होना चाहिए। यह बात का भी तथ्य है कि व्यक्ति से व्यक्ति के आधार पर विनियोजन सस्ता पड़ता है, यह विनियोजन की जोखिम पर होता है न कि देश की जोखिम पर। ऋण लेने का यह तरीका सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर आगे ही काफी भार है और अधिक भार डाला गया तो शायद अर्थ-व्यवस्था का ढांचा ही बिखर जाय।

श्री के० डे० मालवीय (बस्ती) : आधारभूत बात यह है कि क्या हम अपनी अर्थ नीति को बदल रहे हैं। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जिन का यह कहना है कि प्रथम, द्वितीय और तीसरी योजनाओं के अन्तर्गत अपनाई गई आर्थिक नीति में मूल भत तबदीली करने की जरुरत है। मेरा मत तो इससे विपरीत है और वह यह है कि ये नीतियां जारी रहनी चाहिए। हमें यह अहसास नहीं होना चाहिए कि हम इस दिशा में कोई गलत काम करते रहे हैं।

आधारभूत रूप से विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि कार्यान्वित करने में हम काफी पीछे रह गये हैं। मुझे इस बात का विश्वास है कि यदि हम अपने प्रशासन में कोई हलचल पैदा करें तो हमें उपलब्ध होने वाली सहायता द्वारा बहुत अधिक लाभदायक परिणाम प्राप्त किये जा सकते है। इसी दृष्टि से ही हमने चौथी योजना के लिए जो समय सीमा निर्धारित की है, इसमें हमें विदेशों से अधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में अपनी गतिविधियों पर अधिक जोर न देकर प्राप्त धन, मशीनरी और व्यक्तियों को अधिक दक्षता से प्रयोग करने का कष्ट करना चाहिए।

यह विचार भी मुझे सही प्रतीत नहीं होता कि अमरीकी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप हमारे कार्यों, कार्यक्रमों तथा गति विधियों का अनुमोदन किया है। अमरीकी सरकार और विश्व बैंक ने भी हमें सरकारी क्षेत्र की गतिविधियों के लिए सहायता देने से इन्कार कर दिया है, चाहे वह कोयला, या हीरा, इस्पात या तेल की खोज का कोई भी काम हो। इसी संदर्भ में मेरा यह भी मत है कि अधिक जटिल उद्योगों में हमें अधिक आधुनिक राष्ट्रों के साथ मिलने में जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हमें सब से आगे बढ़ने का यत्न नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों में तबदीली करनी होगी। और इससे असमानता बढ़ेगी। हमारी क्रय शक्ति कम हो जायगी, मुद्रास्फीति म बहुत वृद्धि होगी। और इस सब के अनुपात से उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी।

यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हमारा उत्पादन परिचालित धन के समान हो, मुद्रास्फीति न बढ़े और हमारी क्रय क्षमता कम न हो, हमें ऐसी गतिविधियों को सीमित रखना

है। प्रयास होना चाहिए कि इस तरह से हमारा उत्पादन तुरन्त बढ़े। यह भी है कि हमें अधिक उद्योग चालू करने के लिए ऋण लेने में उत्सुक नहीं होना चाहिए। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमारे पास काफी साधन जनशक्ति और तकनीकी जानकारी है।

श्री म० ना० स्वामी (ओंगोल) : मैंने योजना मंत्री का वक्तव्य पढ़ा है, परन्तु उसमें मुझे एक बात के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। उनकी भाषा से यह पता नहीं लग सकता कि वह कहना क्या चाहते है। योजना मंत्री का यही कहना है कि पहले इस बात का पता चल जाने दो कि विदेशों से क्या साधन उपलब्ध हो रहे हैं। मेरा निवेदन इस संदर्भ में यह है कि विदेशी सहायता पर निर्भर रहना ठीक नहीं कहा जा सकता। हमें इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने साधनों पर निर्भर रहे। हमारे राष्ट्रीय हितों को ऐसा करने से काफी हानि पहुंचती है। हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम अपने ही साधन पर निभर रहे। देश में काफी जन शक्ति है, केवल इतना ही है कि हमने अपने साधनों का उपयोग नहीं किया है। साधनों के उपयोग की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए।

हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमें यह पता चले कि हमारी आवश्यकतायें क्या है। केवल बड़े बड़े उद्योगों की ही आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रश्न नहीं है। रोजगार, खाने और पीने की आवश्यकताओं की भी तो समस्या है। आज तो योजनाओं की दृष्टि से हमें पता ही नहीं कि स्थिति क्या है। हमें विदेशी सहायता के बारे में निश्चिन्त नहीं रहना चाहिए। इस दिशा में अफ्रीका और एशिया के देशों का अनुभव बहुत ही कटु है। हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। उनकी कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में इस सहायता से अधिक प्रगति नहीं हुई है। श्री अशोक मेहता कहते हैं कि विदेशी सहायता के लिए कोई मांग नहीं कोई शर्त नहीं। परन्तु उर्वरक संयन्त्र का मामला हमारे सामने है। उस पर तो वहां चर्चा कई बार हो चुकी है। 14 मई को मेहता साहब उन सहायता देने वाले मित्र देशों को हिस्सा देना मान लिया। चाहें हमारे अंश बहु संख्या में है, परन्तु फिर भी प्रबन्ध में उनका हाथ बहुत अधिक है। यह हमारे उद्योग नीति प्रस्ताव के सरकार विरुद्ध है। मंत्री म्होदय कह देंगे कि यह अपवाद है।

चौथी योजना के अन्तर्गत हमें 4000 करोड़ के विदेशी विनिमय की हमें आवश्यकता होगी। यह भी सम्भव है कि आगे चल कर यह और भी बढ़ जाय। प्राप्त ऋण का आधा धन उनको भुगतान तथा सेवा भारों के रूप में वापस देना पड़ा है। ब्याज भी देना पड़ा है। यह अफ्रीका और एशिया के देशों का आय अनुभव है।

'वेसमिनिस्टर बैंक रिव्यू' के फरवरी मास के अंक में भारत के विषय में यह लिखा है कि भारत विश्व के उन देशों मे से एक है जो भारी ऋण से दबे पड़े हैं। यह हिसाब लगाया गया है कि जितना हम उधार लेते है उसका तीसरा भाग ऋण की अदायगी में वापिस देना पड़ता है। जितनी हमारी निर्यात से आय होती है उसका 20 प्रतिशत भी ऋण की अदायगी में ही जाता है। इस प्रकार हम जितना उधार लेते हैं उसका लगभग आधा पहले लिये हुये ऋण की अदायगी में हमे वापिस उन्हीं देशों को देना पड़ता है तो इस स्थिति में विदेशों से अधिकाधिक आर्थिक सहायता लेने से कोई लाभ नहीं है।

सहायक देशों ने हमारी अर्थ व्यवस्था को ऐसा बना दिया है जिससे आयात के बिना हमारे कारखाने बन्द हो जाते हैं। इन कारखानों की 40 प्रतिशत क्षमता को तो हम उपयोग में ला ही नहीं पाते। दूसरी ओर उस विदेशी सहायता से हमारी राष्ट्रीय नीति भी बहुत हद तक प्रभावित होती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक हमारि साम्राज्यवाद-विरोधी और तटस्थ नीति रही है। किन्तु आज वह तटस्थता

[श्री म० ना० स्वामी]

की नीति कहा गई ? आज हममें यह साहस नहीं है कि हम सहायता देने वाले देशों के विरोध मे बोल सकें। वियतनाम के विषय में हमारी चुप्पी का यही कारण प्रतित होता हैं। अत: विदेशी सहायता प्राप्त करते हुये हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिये।

Shri Bade (Kargone) : The Statement given by the Planning Minister does not give full information. There is no indication as to how many dollars India is going to receive from U. S. A. or Canada. How much wheat Canada is going to offer to us. Our Planning Minister is being condemned for his action of taking away the Fourth Plan with him to U. S. A. It is against national prestige to beg dollars from U. S. A. On the other hand America is interested that we should go on fighting China and surrender Kashmir to Pakistan. Johnson Administration proposed Indo-Pakistan Joint Project to him to which Shri Mehta might have answered that it is not possible to have a Joint Project with Pakistan in view of Pakistan's belligerent attitude towards India.

Secondly, the statement is silent about the proposed aid of 28.5 crore dollars which was freezed during Indo-Pakistan War. I would like to know whether U.S. Government have given an undertaking to release that freezed aid.

The Minister said that America is prepared to give non-project aid but import licences should be relaxed in order to get that. It means that America is interested in exporting its goods to India. It is in this way that they want to make us self-dependent. Moreover, America promised to give assistance for the Ist year of the Fourth Plan. It is said that they would consider our request for rest years of the plan. It means that America wants to tie its aid with some strings.

Now people in India are heavily. taxed. Prices areshooting up and dearness is also going up. Now people are the least plan-conscious and unless you are in a position to have public cooperation, planning will not be successful. So people should be given relief and their basic requirement should be met. I say, therefore, that the Government should not hanker after foreign aid or loan but it should try to make India self-sufficient.

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि श्री अशोक मेहता का मिशन बहुत ही कठिन था। हमें उनके कार्य की दल-स्तर से ऊपर उठकर प्रशंसा करनी चाहिये। जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष आरम्भ हुआ तो अमरीका तथा अन्य सहायता देने वाले देशों ने आर्थिक सहायता स्थगित कर दी थी। हमें वास्तव में उस समय सहायता की आवश्यकता थी। तदुपरान्त सहायता की संभावना बहुत कम प्रतीत होती थी। परन्तु अब प्रधान मंत्री और श्री मेहता के दौरे के परिणामस्वरूप वातावरण में कुछ परिवर्तन नजर आने लगा है। यह और भी अच्छी बात है कि अब रुस भी हमारे द्वारा अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों से सहायता प्राप्त करने को बुरा नहीं समझता रुस ने तो इस बात का स्वागत किया है कि भारत अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों से प्राप्त सहायता और रूस से प्राप्त सहायता से प्रगति करता जा रहा है। परन्तु इस सम्बन्ध में साम्यवादी दल का रवैया समझ मे नहीं आता। वे बार बार अमरीका की आलोचना करते है जबकि भारत अमरीका से सहायता की प्रार्थना करता। अत: उन्हें आलोचना अपनी सरकार की करनी चाहिऐ अमरीकी सरकार की नहीं।

हमारे लिये यह सौभाग्य की बात है कि पूर्व और पश्चिमी देशों से हमे समान रुप से सहायता मिल रही है। साथ ही एक बार फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि योजना मंत्री का मिशन सफल रहा है। उन्होंने जिन देशों का दौरा किया है उनको अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से समझाई है। उन्होंने विश्व बक से परियोजना सहायता तथा गैर-परियोजना सहायता के लिये आश्वासन प्राप्त कर लिया है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The Planning Minister has based his statement on differentiating between project aid and non-project aid. There is only one sentence, which is important. It says that International Development Association "will participate in a substantial manner in the provision for our non-project aid requirements besides continuing to entertain requests for project assistance". I see some prediction regarding India's future in it. It dra ws a map of what is actually going to happen in coming three or four years. All the heavy plants under construction or proposed to be constructed steel plant at Bailadila, alloy plant at Neyvelli, petroleum refinery at Haldia and electricals plant at Pinjore etc. will not receive the required investment and the progress there will be slowed down. The reason, why he asked for and accepted the non-project aid, is that he wants to help big business magnets. Since last September there has been shortage of raw materials and spareparts. On account of this dearth most of the industries of these capitalists were put to close. This is the Government of capitalists and the Government is bound to help them so that their factories may go on working, that is why non-project aid has been accepted. It reveals the economic policy of the Government. Government always talks in terms of socialism but acts reverse to its principles.

All the advanced countries of Europe do not want that less-developed countries should come to the level of their advancement. They do not want that they should stand in competition. They want India to produce only consumers goods and depend upon themselves for capital goods. But we need not blame America and other aid-giving countries for all this. It is our present Govt. which is responsible for it.

[श्री सोनावणे पीठासीन हुए
SHRI SONAWANE *in the Chair*]

Now I would like to take up the smuggling. I am surprised to now that consumers goods worth of Rs. 600 crores are being smuggled annually in our country. This statement will further help smuggling. Apart from it, India is going to be heavily debted on account of such Plans, which will have effect on our future generations also.

Our economic policy is going from bad to worse. It affects our foreign policy too. I will say this much that our national as well as foreign policies have been sold for this economic aid.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : सभापति महोदय जी, मुझे खेद है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषयपर वाद-विवाद के दौरान पारस्परिक विचारधाराओं की चर्चा छिड़ गई । मेरा यह आग्रह है कि सहायता या ऋण समस्या पर चाहे वह किसी भी देश से प्राप्त की जाय, इस बात को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिये कि इस प्रकार की सहायता से हमारा कार्य किस हद तक सिद्ध होता है । यह विचार करते समय हमें दलगत विचारों से ऊपर उठ जाना चाहिये । अमरीका में श्री मेहता ने अधिकतम सहायता प्राप्त करने के साथ दो बातें और कही थीं । एक तो यह बात थी कि चाहे सहायता मिले या न मिले हम अपनी घरेलू नीति नहीं बदलेंगे और दूसरी थी कि हम रुपये का अवमूल्यन स्वीकार नहीं करेंगे ।

पहले मैं अवमूल्यन के प्रश्न को लेता हूं । अवमूल्यन का अर्थ है रुपये की क्रय-शक्ति का कम होना । सरकार बेशक उसे न माने परन्तु यह सत्य है कि रुपये की वास्तव में क्रय-शक्ति कम हो ग है । सन् 1952-53 में रुपये की कीमत पूरे 100 प्रतिशत थी, किन्तु निर्वाह-मूल्य बढ़ जाने के कारण रुपये के मूल्य में कमी हो गई है । श्री मेहता ने यह अनुभव नहीं किया कि उनका रूपया ज्युरिच

[श्री नाथ पाई]

या जिनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में कितनी मात्रा में कोई वस्तु खरीद सकेगा । मेरा निवेदन है कि श्री मेहता जी इस तथ्य पर ध्यान दें कि विश्व में रुपये की कीमत कम हो चकी है ।अतः उनके यह कहने से काम नहीं चलेगा कि रुपये की कीमत नहीं घटाई जायगी ।

दूसरी बात मैं नीतियों को न बदलने के विषय में कहना चाहता हूं । यह आवश्यक नहीं है कि जो नीतियां पुरानी हैं वही जारी रखी जानी चाहिये । क्योंकि नीतियों में परिवर्तन आवश्यक है । आप भी इस बात को मानते हैं । तो सरकार इस बात को क्यों छिपाना चाहती है कि वह नीतियों में क्या परिवर्तन लाना चाहती है ? एक ओर तो सरकार कहती है कि हम नीतियों को परिवर्तित नहीं करना चाहते दूसरी ओर वह औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन कर रही है ।

एक प्रश्न के उत्तर में श्री बलीराम भगत ने यह कहा था कि चतुथ योजना की कुल लागत नहीं बताई जा सकती क्यों कि अभी विदेशों से मिलने वाली सहायता की मात्रा का ठीक अनुमान नहीं है । दुसरी ओर सहायता देने वाले देश कहते हैं कि उन्हें भारत की चतुर्थ योजना के विस्तार का ज्ञान नहीं है इसलिये वे नहीं बता सकते कि वे भारत को कितनी सहायता देंगे । एक बार श्री मेहता ने कहा था कि शायद विदेशों से लगभग 4,800 करोड़ रूपये की सहायता मिलेगी । परन्तु मंत्री जी ने तो अपने वक्तव्य में भी विदेशी सहायता की ठीक राशि नहीं बतलाई । इस प्रकार श्री मेहता के विदेश दौरे के बाद भी हमें इस विषय पर सत्य सूचना नहीं मिली ।

सरकार कहती है कि सहायता लेना अनिवार्य है तो वह सहायता के साथ जुड़ां हुई शर्तों को स्पष्ट रुप से स्वीकार करने से क्यों हिचकिचाती है और क्यों उन शर्तों को संसद और जनता को नहीं बतलाती ? यह सत्य है कि हर प्रकार की सहायता के साथ कुछ न कुछ शर्तें अवश्य जुड़ी हुई होती हैं जैसे बोकारों में स्थित इस्पात कारखाने पर रुस पूर्ण रुप से अपना नियंत्रण चाहता था क्यों कि वह कारखाना रूसी मदद से तैयार किया जा रहा है । इसी प्रकार अमरीका की भी कुछ शर्तें होती हैं । हम तो यह चाहते है कि सरकार यदि सहायता लेना चाहती है तो इन शर्तों को मान ले और उन्हें छिपाने का यत्न न करे अथवा आर्थिक सहायता लेना ही बन्द कर दे ।

सरकार यह भी निश्चयपूर्वक नहीं बता सकी कि चतुर्थ योजना के लिये कितनी विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी । अक्तूबर 1964 मे योजना ज्ञापन से 3,200 करोड़ रुपये की आवश्यकता की बात कही गई थी । सितम्बर 1965 में यह बढ़कर 4,000 करोड़ हो गई और अब योजना मंत्री इसे 4,800 करोड़ बताते हैं।

देशी संसाधनों के विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विदेशी सहायता की अपेक्षा हमें अपने आन्तरिक संसाधनों का विकास करना चाहिये । हमारी विदशों पर निर्भरता तभी समाप्त होगी जबकि देशी संसाधनों से राष्ट्रीय आय बढेगी आज भारतीय कारिगर रूसी कारिगरसे, और किसान जापानी या अमरीकन किसान से बराबरी नहीं कर सकता । जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हमारी उत्पादकता और संसाधन-क्षमता नहीं बढ़ेगी । मैं आशा करता हूं कि योजना मंत्री उत्तर देते समय इन सब बातों के बार में बतायेंगे ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I want to ask two things. First is that uptil the end of Sept. 1965 our foreign debt was amounting to 55 billion rupees. It means that every Indian is to pay 128 rupees as debt. I want to know the amount as it would be after the end of the third Five Year Plan? Second question that the aid that we receive in the shape of goods, why it is not returnable in the shape of goods? I request that Planning Minister should throw some light on this.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मंत्री ने कह दिया है कि उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होने वाला नहीं है । और इस दृष्टि से उनकी नीति में परिवर्तन की कोई गूंजाइश नहीं । क्या अब भी योजना मंत्री का विचार है कि अमरीका हमारी सहायता करेगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने लाभदायक सुझावों से हमें अनुग्रहीत किया है। मेरा निवेदन यह है कि हम योजना बनाते हुए साथ साथ इस बात पर भी पूरा ध्यान रख रहे है कि हमें कहां तक बाह्य सहायता प्राप्त हो सकती है। दोनों बातें साथ साथ चल रही है। हमने रूस से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री 1965 में मास्को गये थे । उस का लाभ उठाते हुए हमने पता करने का प्रयास किया कि कहां तक हम वहां से सद्भावना प्राप्त कर सकते है। हमारी प्रधान मंत्री हाल ही में अमरीका गई तो इन देशों तथा विश्व बैंक से कितनी सहायता उपलब्ध हो सकती है, इस बात का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया। हमें एक बात बिलकुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि इस का यह मतलब कदापि नहीं है कि हमने किसी अन्य देश को इस बात का निमन्त्रण दिया है कि वह हमें बताये कि हमारी योजना क्या होनी चाहिए।

एक अन्य गलत बात का प्रचार किया गया है और यह प्रश्न उठाया गया है कि ऐसे दस्तावेज जो संसद को उपलब्ध नहीं हो सकते वे विश्व बैंक को कैसे दिखा दिये गये। यह बात बिलकुल निराधार है। ऐसी कोई दस्तावेज विश्व बैंक में नहीं ले जाई गई जो संसद को दिखाने के लिए उपलब्ध नहीं है। श्री नाथ पाई का कहना है कि हम चक्कर में पड़े हुए है। चौथी योजना बनाई जा रही है। यदि 4,000 अथवा 4,500 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता वाली कोई योजना संसद को पेश की जाती तो सदस्य यह पूछ सकते थे कि सरकार कैसे जानती है कि इतनी सहायता उपलब्ध हो जायेगी। अत: मेरा निवेदन है कि योजना को कागजी योजना कहना निराधार है। हमारी अपेक्षित विदेशी सहायता प्राय: सुनिश्चित हो गयी है। यह भी हम पर आरोप लगाया है कि हम संसद के परामर्श के बिना ही फैसला कर रहे है। मेरा तो इस दिशा में यह सुझाव है कि सरकार द्वारा कार्य करने के लिए कुछ प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। यह बात तो सब को समझ लेनी चाहिए कि इस दिशा में सभी अन्तिम निर्णय संसद द्वारा ही किये जायेंगे।

सहायता देने वाले को यह सोचने का अधिकार है कि वह सहायता दे अथवा न दे। क्या किसी विशिष्ट परियोजना अथवा किसी योजना विशेष के लिए विश्व बैंक हमारी सहायता करना चाहता है अथवा नहीं। इस बात का पता लगाना हमारा कर्तव्य है। परन्तु विश्व बैंक को यह तो अधिकार है कि वह जिस को चाहे सहायता दे और जिसको चाहे न दे। यह बात भी स्पष्ट है कि विश्व बैंक तथा अमरीकी सरकार खास तरह की सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को सहायता नहीं करते। सभी प्रकार की परियोजनाओं के मामले में विश्व बैंक और अमरीका सहायता देने को तैयार है। वे उद्योगों को सहायता देने को तैयार नहीं है। हम तो विभिन्न देशों से सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। इस का कारण यह है कि हमारी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न प्रकार की है। उनकी सहायता का हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास करते हैं।

प्रथम योजना से आरम्भ करके पांचवी योजना के अन्त तक हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऊपर लाना है। अपनी अर्थ व्यवस्था को ठोस आधार पर गति शील रूप में बदलना है। क्योंकि ऐसा करने पर ही हम आत्मनिर्भर बन सकते है और निरन्तर आगे बढ़ सकते हैं। परिवहन तथा बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो ही गये हैं। एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करते जा रहे है। इसके लिए कई बार अधिक विनियोजन भी करना पड़ता है। भुगतान शेष संकट से निकलने के लिये यह नितांत आवश्यक ही है कि सभी प्रकार की उत्पादन क्षमता, सभी मशीनों सभी रसायनों तथा सभी इंजीनियरी की वस्तुओं को बनाने की क्षमता बना ली जाये जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था में स्वयं उत्पादन बढ़ सके।

हम अर्थ व्यवस्था के समुचे ढाँचे तथा स्वरुप में परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे है। इसके लिये, हम बहुत कठिन अवधि में पहुंच गये हैं। पहले ऋण दस अथवा बारह वर्षों की अवधि

[श्री अशोक मेहता]

से लिये थे और ब्याज की दर बहुत अधिक थी। यही कारण है कि चौथी योजना के दौरान हमारी राशी लौटाने की जिम्मेदारी बहुत अधिक होगी। यही कारण है कि सहायता के स्वरूप तथा शर्तों के बारे में पुनः बातचीत हो रही है। यह कहा गया है कि हम पर दबाव डाला जा रहा है। माननीय सदस्यों को अनुभव करना चाहिये कि हम उन पर अधिक दबाव डाल रहे हैं, जिन्होंने हमें सहायता दी है। हम उन्हें न केवल इस बात के लिये मनवा रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी सहायता दें बल्कि ऐसी शर्तें पर दें जो हमारे लिए अधिक अच्छी और हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हों, हमें अनुभव करना है कि चौथी योजनावधि के दौरान राशि लौटाने का दायित्व बहुत अधिक होगा तथा अर्थ व्यवस्था में विकास की आवश्यकतायें भी बहुत अधिक होंगी।

हमारे आयोजित प्रयत्नों के परिणामस्वरूप विकास की दर 4 या $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत है। चौथी योजना के दौरान यह नितान्त आवश्यक है कि हमारे विकास की दर $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत हो। विकास की $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत दर के बिना हमारे सामाजिक न्याय के सभी स्वप्न अधूरे रहेंगे। तब तक हम विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर करेंगे। पांचवी योजना के बाद हम आत्मनिर्भर हो जायेंग और अपने ऋण लौटाने आरम्भ कर देंगे। कुल मानवजाति के सातवें भाग वाले देश में, जहां इतनी अधिक निर्भरता है हम विदेशों से आर्थिक सहायता के बीना 25 वर्ष से भी कम समय में मूल परिवर्तन नहीं ला सकते। बलिदान भी हम कर सकते हैं परन्तु उसकी भी तो कोई सीमा होती है।

एक बात हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हम जो विदेशी सहायता मांग रहे हैं, वह आन्तरिक संसाधनों के स्थान पर नहीं है। हम योजना के लिए अपेक्षित आन्तरिक साधनों में वृद्धि करने के लिए दृढ़-संकल्प है। भुगतान और संतुलन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विदेशी सहायता मांगी जा रही है। मेरा कहना है कि जब तक हम विभिन्न वस्तुओं का आयात करने के योग्य नहीं हो जाते, हमारे विकास में बाधा होगी। हम अधिक गैर-परियोजना सहायता की मांग इस लिए नहीं कर रहे हैं कि हम उपभोक्ता वस्तुएं अथवा विलास की वस्तुओं का निर्माण करना चाहते हैं। आयात का लाभ तो हम इस लिए उठाना चाहते है कि उत्पादन करने वाली मशीनरी तथा इंजीनियरी वस्तुओं को प्राप्त किया जाय।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

और आत्मनिर्भयता की दिशा में चलने के लिए जो क्षमता का हमने आजतक निर्माण किया है उस को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाय। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारा देश अब अविकसित देश नहीं है। यद्यपि हमें पूर्णरुपेण विकसित नही है। हम विकास के दौर में है और उसके लिए सहायता की जरूरत है। विकास के लिए आवश्यक सहायता का प्रबन्ध किया जायेगा। सब परियोजनाओं का त्याग करके प्रायोजना से भिन्न कामों के लिए सहायता प्राप्त करने का उद्देश्य पूंजिपतियों की सहायता करना नहीं है, ऐसी सहायता का प्रयोग उचित प्रकार से किया जाता है।

कुछ परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। इन परियोजनाओं को विश्व बैंक के सामने कभी भी पेश नहीं किया गया। इन परियोजनाओं को हम दूसरे देशों की सहायता से तथा अपने साधनों से पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रायोजनाओं की रूपरेखा हमने तैयार की है। यह परियोजनायें हमारे लक्ष्यों के अनुसार है और वे हमारे हाथों में सुरक्षित हैं।

विश्व बैंक को गैर-परियोजना सहायता देने के लिए मनवाना एक बहुत ही कठिन कार्य है क्योंकि वह मुख्यत: परियोजना सम्बन्धी सहायता देने के लिए ही स्थापित किया गया है। वे ऐसा इस लिये कर सके हैं क्योंकि तर्क तथा अपने साधनों को बढ़ाने सम्बन्धी हमारे प्रयत्नों से विश्व बैंक तथा सहायता देने वाले देशों को विश्वास आ गया है। रूस गैर-प्रायोजना सहायता देने के लिए तैयार नहीं था। हम ने अन्य देशों को विश्वास दिलाना है। ऐसे बहुत कम देश हैं जो ऐसे देश की, जो कि विकास के मध्य में हो, आवश्यकताओं को समझ सके हैं। इस पर सरकार विचार कर रही है। विश्वास दिलाया गया कि परियोजनाओं को पूरा किया जायेगा। गैर-परियोजना सम्बन्धी सहायता पूँजीपति की सहायता करने के लिए नहीं ली जाती। ऐसी सहायता समस्त देश के लिए होती है और इस का उपयोग ऐसे ढंग से किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में बहुत विकास हो और हम आत्मनिर्भर बन पायें। गैर-प्रायोजना सम्बन्धी सहायता से हम देश में मशीनरी और अन्य साज-सामान शीघ्र ही उत्पन्न कर सकेंगे।

यह कहना ठीक नहीं है कि विदेशी सहायता हमारी अर्थव्यवस्था के ढांचे को अस्तव्यस्त कर देगी। विदेशी सहायता का 70 प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र में लगाया जायेगा और आगामी पांच वर्षों में हम सरकारी क्षेत्र के लगातार विस्तार का प्रयत्न करेंगे जिससे समाजवाद का विस्तार होगा। हम सरकारी धन को ऐसे विनियोजन के लिए प्राथमिकता देंगे जिससे विकास तेजी से हो। इसके साथ ही हम गरीब लोगों की सुख-सुविधा सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देंगे। अकसर कर लगाये जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आय हर वर्ष बढ़े। नया सामाजिक ढांचा खडा करने के लिए उपज का अधिक से अधिक अंश बचाना तथा उसका पुनर्निवेश तथा पुनर्वितरण करना आवश्यक है किन्तु करों तथा अन्य नीतियों का विरोध किया जाता है।

जहां तक विदेशी सहायता प्राप्त करने का सम्बन्ध है हमें रुस तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों से काफी सहायता मिली है। पश्चिमी देशों तथा विश्व बैंक से भारी सहायता प्राप्त की है। हमारे देश की आवश्यकताओं के औचित्य को देखते हुए यह सहायता दी गई है और इस में कोई हेराफेरी पाने में वे असमर्थ रहे है। मानव कल्याण के लिए यह सहायता ली गई है, कोई भीक नहीं मांगी गई। विदेशी सहायता से हम अपने उद्देश्यों को तेज़ी से प्राप्त कर लेंगे अन्यथा अपने प्रयत्नों से इस कार्य को सम्पन्न करेंगे। विपक्षी दलों की सहायता से इस कार्य को सम्पन्न किया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मु तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयत्न करने का समाचार

श्री अ० व० राघवन (बडागरा) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"16 मई 1966, को बारामूला में जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का प्रयत्न करने का समाचार"

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : बारामूला में एक दुर्घटना हुई। इसमें तीन व्यक्ति मारे गये और 37 व्यक्ति ज़खमी हुए। जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री सौभाग्य से बच गये।

जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री ने बारामूला से आरम्भ करके काश्मीर घाटी का एक दौरा करने का निश्चय किया था। वह कल लगभग 3.30 बजे दोपहर बारामूला पहुंचे। ज्योंही वह करियापा पार्क के मुख्य द्वार में घुसे, जहां उन्हे एक सार्वजनिक सभा में भाषण देना था, तभी उनसे लगभग 15 फूट की दूरी पर सडक पर एक हथगोला अचानक फटा। मुख्य मंत्री ने आधे घंटे से अधिक समय तक एक बडी सभा में भाषण दिया और वह बिल्कुल शांतचित्त रहे। अन्य कार्यों को सम्पन्न करने के पश्चात मुख्य मंत्री श्रीनगर लौट गये।

[श्री नन्दा]

इस विस्फोट में 37 व्यक्ति ज़खमी हुए। तीन ज़खमी व्यक्ति मर गये। छः घायल व्यक्तियों को श्रीनगर ले जाया गया। घायल व्यक्तियों में दो सिपाही और चार 'होमगार्ड' के सदस्य थे। इन घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए डाक्टरों का एक दल श्रीनगर से बारीमूला के लिए तुरन्त चल पडा।

स्थानीय पुलिस तथा कद्रीय गुप्तचर विभाग ने जाच-पडताल आरंभ कर दी है तथा केंद्रीय गुप्तचर विभाग के अधिकारीने उनके साथ निकट सम्पर्क बनाया हैं। अनेक व्यक्तियों को जिन पर शक था जांच पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है।

यह भली भांति ज्ञात है कि कई वर्षों से विशेष रुप से 1957 के पश्चात से, पाकिस्तान जम्मू तथा कश्मीर में तोडफोड की कार्यवाही कर रहा है। प्रतिष्ठित व्यक्ति इन एजटों के मुख्य निशाने रहे हैं। 1964 में ये विस्फोट शिखर पर पहुंच गय थे। अक्तूबर 1965 तक ये घटनायें चल रही थी। इस के पश्चात वहां कुछ शांति थी। स्थानीय पुलिस ने तोड़फोड़ तथा जासूसी के एक मास्टर 'सेल' तथा कई सहायक 'सेलों' को तोड़ने में शानदार काम किया है। समय-समय पर अवैध शस्त्र तथा बारूद बरामद किया गया है। केन्द्र तथा राज्य दोनों बहुत सतर्क हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा विरोधी सभी कार्यों को विफल बनाने के प्रबन्धों में हम बराबर सुधार कर रहें हैं।

श्री अ० व० राधवन : ताशकन्द घोषणा के पश्चात यह एक भारी विस्फोट है। इससे क्या यह आशय लगाया जाये कि पाकिस्तान की नीति में अन्तर आ गया है और पाकिस्तान पिछले वर्ष के समान ही गड़बड़ पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान की इन विश्वासघातक कार्यवाहियों को रोकने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

श्री नन्दा : इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। गड़बड़ी पैदा करने के लिए स्थापित किये गये 'सेलों' का पता लगा लिया गया है और उन्हें नष्ट कर दिया गया है। कुछ समय पहले जब मुख्य मंत्री बारामूला गये थे तो हालात भिन्न थे। अब हालातों में परिवर्तन आ गया है और अब वहां उत्साह की भावना है तथा प्रशासन को, जनता का समर्थन प्राप्त हो गया है।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान द्वारा प्रेरित राष्ट्र-विरोधी व्यक्तियों के लिए कश्मीर अड्डा बन गया है। ताशकंद घोषणा के पश्चात चीन-पाकिस्तान की सांठ-गांठ बढने के कारण पाकिस्तान काश्मीर के बारे में कुछ अजीब दावे कर रहा है। भारत-पाकिस्तान झगड़े के दौरान कश्मीर में आये 5,000 घुसपैठियों को निकालने में सरकार असफल रही है। रिपोर्ट मिली है कि 70,000 व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गये थे वापिस कश्मीर आ गये हैं और उनमें से बहुत से जासूस हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्य महोदय अपना प्रश्न करें।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सत्य है कि :

(क) इस सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान झगड़े के दौरान काश्मीर में आये 5,000 घुसपैठियों को निकालने में सरकार असफल रही है।

(ख) क्या सरकार मुख्य मंत्री सहित काश्मीर के लोगों की सुरक्षा करने में असफल रही है ?

श्री नन्दा : 70,000 व्यक्तियों के लौट आने का आरोप गलत है। काश्मीर की पुलिस तथा अन्य अधिकारियों ने जासूसी व्यवस्था को नष्ट करने का बहुत अच्छा कार्य किया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : काश्मीर में घुसपैठियों के आने के समय वहां पर गोला बारूद के भण्डार जो मौजूद थे, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं। इस विस्फोट के लिए प्रयोग किये गये विशेष गोले के बारे में मंत्री महोदय की क्या जानकारी है।

श्री नन्दा : इस विस्फोट में जिस गोले का प्रयोग किया गया था उस गोले के टुकड़ो की सैनिक विशषज्ञ जांच कर रहे हैं। यह विश्वास करने के कारण हैं कि यह हथगोला पाकिस्तान से आया था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने गोला बारुद के बारे में कुछ नहीं बताया ।

श्री नन्दा : उन सैलों की तलाश करने के पश्चात हमें काफी गोला बारुद और हथियार मिले है । यदि यह गोला बारूद पकड़ा न गया होता तो बड़ी भारी हानि होती ।

श्री नाथ पाई : पाकिस्तान भेजे गये लोगों को वापिस आने देने सम्बन्धी नीतियों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बीच मतभेद है । मै जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है ।

Shri Madhu Limaye : I want to know that whether our intelligence Department is at fault and if so, whether Government is thinking to punish those officers, who are responsible ?

श्री नन्दा : पाकिस्तान गये लोगों को वापिस नहीं आने दिया जाता । यह हमारी नीति है और इसका पालन किया जा रहा है । केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच इस मामले पर कोई मतभेद नहीं है । जहां तक गुप्तचर संस्था का प्रश्न है संसार में किसी भी देश की गुप्तचर संस्था से हमारी गुप्तचर संस्था की तुलना की जा सकती है । यह संस्था बिल्कुल पूर्ण नहीं है और जहां भी सुधार करने आवश्यक होंगे किये जायेंगे । जहां तक अपराधी को पकड़ने का प्रश्न है पूछताछ चल रही है । घाटी तथा अन्य स्थानों पर अपराधी को पकडने के प्रबन्ध किये गये हैं ।

Shri Bade : Punjab Police was engaged in Kashmir during Indo-Pak hostilities. The same conditions prevail in Kashmir after Tashkent Declaration. It appears from newspapers and otherwise that there is no security arrangement for Hindu population against pro-Pakistanis. I want to know in this connection that how many pro-Pakistani suspects have been rounded up who were responsible for throwing the hand-grenade. Has any special force been sent there for security arrangements ?

Shri Nanda : There are many suspects. We have taken steps during this period. It cannot be disclosed.

Snri Vishwanath Pandey : Baramula had been a centre of anti-national elements. A hand-grenade was thrown at the Chief Minister at this place before a period of two years. I want to know whether this hand-grenade has been thrown by the Pakistani infiltrators or citizens of Kashmir. Had any special security arrangements been made ?

Shri Nanda : Baramula was a stormy centre in the past but now there is a change and it is an upsurge of enthusiasm. Other things are under investigation.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जब मुख्य मंत्री की जान लेने की कोशिश की गयी, उसी समय श्रीनगर पोलिटैकनिक स्कूल को जलाने की घटना हुई । इससे स्पष्ट है कि इसमें जासूसों का हाथ है । इस बात को देखते हुए क्या सरकार ताशकंद करार को एकतरफा क्रियान्वित करना चाहती है?

श्री नन्दा : यह प्रश्न इस प्रसंग से बाहर का विषय है ।

श्रीमती सावित्री निगम : गृह मंत्री के उत्तर से स्पष्ट है कि इस घटना में विदेशी लोगों और पाकिस्तानियों का हाथ है इसलिये मैं जानना चाहती हू कि क्या 'प्लैबिसाइट फ्रन्ट' जैसे राष्ट्र-विरोधी राजनैतिक दलों का इस में कुछ हाथ है और इस सम्बन्ध में काफी प्रमाण मिले हैं ।

श्री नन्दा : प्लैबिसाइट फ्रन्ट' और अन्य राष्ट्रविरोधी राजनैतिक दलों के साथ सख्त कार्रवाई की गई है ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Pakistan Government is not prepared to take back the infiltrators and Indian Government has not built up any jail or camp for them. In this connection, may I ask, whether Government has got any list which indicates the number of Pakistani Spies in India. Until and unless some arrangements are made for the infiltrators, there is no guarantee that such incidents will stop.

Shri Nanda : Arrangements are being made. Attempts are being made to stop completely such incidents.

श्री जसवन्त मेहता : केन्द्रीय गुप्तचर्या विभाग काश्मीर तथा अन्य स्थानों की घटनाओं का ठीक ब्यौरा देने में असफल रहा है। मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार दिल्ली में गुप्तचर्या विभाग की सूचना के अनुसार वे जानते थे कि घुसपैठिये आ रहे है। यदि एसा है तो सरकार इन घुसपैठियों को रोकने में असफल क्यों रही है जिससे देश में जीवन असूरक्षित हो गया। क्या गुप्तचर्या विभाग ने हाल में पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों के बारे में कोई सूचना दी है ?

श्री नन्दा : हमारे जानने का फल ही है कि कार्यवाई की गई थी और स्थिति पर कामगार रुप से काबू पा लिया गया था।

Shri Prakash Vir Shastri : The country did not know exactly the time and date of Pakistani intruders who infiltrated into Kashmir. May I know in this connection whether central intelligence, provincial intelligence or military intelligence was responsible? What action has been taken against them? What action Government propose to take to overcome the present situation?

Shri Nanda : The material date was not precisely known to us. We knew about other details and that is how we could deal with the situation. I shall admit my mistake if you could name any other intelligence of the world that could know surprise attack.

श्री दी० चं० शर्मा : काश्मीर में भारत सरकार की उदार नीति का ही यह फल है कि लोगों का भारत सरकार और काश्मीर सरकार से विश्वास उठ गया हैं। जम्मू तथा काश्मीर की बसों पर राष्ट्रपति अयूब का फोटो लटकाया जाना इस का प्रमाण है। मुख्य मंत्री पर प्रहार करना इस प्रक्रिया की शिखर है। तो क्या भारत सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त उपाय करेगी और खुले आम पाकिस्तानी प्रचार को रोकने के लिए कार्रवाई करेगी ?

श्री नन्दा : नीति में समायोजन किया गया है। पिछले छः महीनों में सख्त कार्रवाही की गई है और उसका कठोरता से पालन किया गया है। राज्यद्रोहियों के साथ कड़ा व्यवहार किया गया और अब भी ऐसा किया जायेगा।

श्री वासुदेवन नायर : सरकार का दावा है कि पहले आये और हाल में आने वाले घुसपैठियों के विरोध कामगर कारवाई की गई है। हम सब जानते हैं कि अन्य देशो में भी पाकिस्तान के सहयोगी है। युद्धविराम रेखा से न जा कर भारत से सीधे काश्मीर जाने वाले लोगों की रोकथाम के लिए क्या सरकार का गुप्तचर्या विभाग काफी उपाय कर रहा है और क्या भारत के रास्ते जाने वाले पाकिस्तान के सहयोगियों की रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है ?

श्री नन्दा : ऐसा करना केन्द्रीय गुप्तचर्या विभाग का कर्त्तव्य है। मैं ऐसा कोई विश्वास नहीं दिला सकता कि बिल्कुल शांति स्थापित हो जायेगी। हो सकता है हमें कठिनाईयों का सामना करना पड़े। यथासम्भव कामगर रुप से स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमने अपने आप को मज़बूत बनाना है। **(अंतर्बाधा)**

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

श्री नन्दा : अब विधेयक के लिए तो समय नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य आज प्रात: जो अफवाह सुनी गयी है उसके बारे में कुछ जानने के इच्छुक हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : आज प्रात: एक गोष्ठी कक्ष में यह सुनने में आया है कि एक मंत्री महोदय के 'गनमैन' पर हमला किया गया तथा वह गम्भीर स्थिति में इस्पताल में पड़ा है। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ बताने को क्यों तयार नहीं हैं?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is a very serious matter and an inquiry may be made into it today the minister has been assaulted, tomorrow we may also be attacked.

Mr. Speaker : Inquiry would be conducted. सरकार दिल्ली प्रशासन विधेयक को पारित करवाने के लिए बहुत इच्छुक है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। मुझ बताया गया है कि सदस्य इस विधेयक को अगले सत्र में लाने के लिए सहमत हो गय हैं। इसके लिए उन्हें नया नोटिस देना पडेगा तभी सभा में उठाया जायगा। अब हम दिल्ली प्रशासन विधेयक पर बहस कर सकते हैं। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए तीन घंटे दिये गये थे। 2 घन्टे 10 मिनट गुज़र गये हैं। अब केवल 50 मिनट रहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : संशोधनों में हम कैसे जल्दबाजी कर सकते है। कम से कम दो घन्टे का समय चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, हम किसी वस्तु को रोक नहीं रहे।

श्री ह० ना० मुकर्जी : आज सभा स्थगित होना चाहती थी। किन्तु यदि सभा इस मामले को परिणत करना चाहती है और मंत्री महोदय इसे आज पारित करवाना चाहते हैं तो इस के लिए आज समय नहीं है। और मैं नहीं समझता कि यह कैसे हो सकता है।

श्री बड़े : सभी प्रक्रिया खराब है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। विधेयक कार्य सूची में है। हमने इसपर कुछ विचार किया है। उसपर बातचीत को उठाने पर यदि सदस्य दबाव न डालें तो हम इस को पूरा कर सकते हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद : दिल्ली प्रशासन विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। हमें अगले सत्र में इस पर बहस करने का मौका दिया जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि वह वास्तव में इसे पारित करवाना चाहते हैं तो सभा की बैठक कल बुलवाई जा सकती है।

श्री हरि विष्णु कामत : नियम 15 के अधीन आप ऐसा निश्चय कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार इसी सत्र में ही उस विधेयक को पारित करवाना चाहती है तो सदस्य कल पारित करने के लिए तैयार हैं।

श्री पें० वेंकटासुबय्या : इस पर आज बहस की जाये और इसे समाप्त किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री नन्दा : हम इससे कल पूरा करेंगे ।

श्री त्यागी : अब सभा स्थगित की जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत : कल नियम समिति सम्बन्धी प्रस्ताव और मेरे नाम पर बाकी अन्य प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाय ।

अध्यक्ष महोदय : नियम समिति की रिपोर्ट पर चर्चा का कार्य अभी हाथ में है ।

श्री त्यागी : कल कोई प्रश्न नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस की ओर से कुछ विरोध प्रकट किया गया है । क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि उस विधेयक को पारित करने के लिए सभा की बैठक कल तक बढ़ाई जाय ।

श्री नन्दा : हम कल बैठेंगे ।

श्री त्यागी : अब सभा स्थगित की जाये । कल शेष बचे हुए मदों पर समय लगाया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : जो कार्य आज की कार्य सूची पर है और समाप्त नहीं किया गया उस पर कल चर्चा की जायगी । अब सभा स्थगित की जाय और कल 11 बजें पुनः बैठेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 18 मई, 1966/वैशाख 26, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 18, 1966 *Vaisakha* 26, 1888 (*Saka*).

भा०स०मु०ना०—वि० 1—78 लोक सभा/66—7-11-67—565